खण्ड-233, अंक-2
सोमवार, 29 श्रावण, शक संवत् 1884
(20 अगस्त, 1962 ई0)

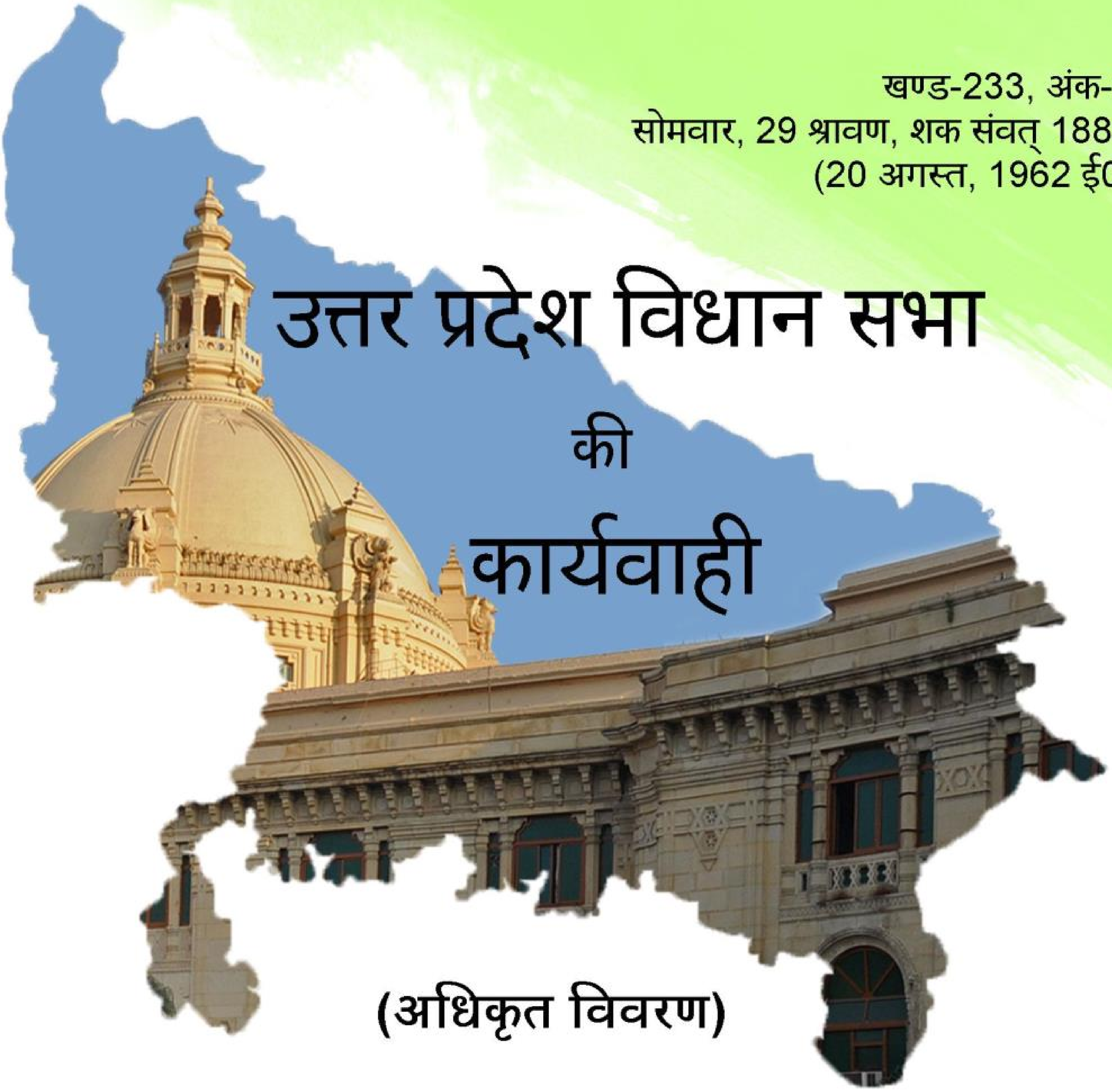

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 233 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	८१–८५
प्रश्नोत्तर	८५–११६
राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या १६८८/१-क—३८३ (डी)–६१, दिनांक १९ मई, १९६२ के अधीन प्रख्यापित संशोधन (उपस्थापित किये गये)	११६
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (जन्ममृत्यु पंजीयन) नियमावली, १९६२ (उपस्थापित की गयी)	११६
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (सदस्यता के सम्बन्ध में विवादों के निपटारे की) नियमावली, १९६२ में प्रख्यापित संशोधन (उपस्थापित की गयी) ..	११७
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (प्रमुखों तथा उप-प्रमुखों के निर्वाचन और निर्वाचन विवादों के निपटारे की) नियमावली में प्रख्यापित संशोधन (उपस्थापित किये गये)	११७
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर का कारोबार सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लाभ हानि का विवरण तथा लेखा परीक्षकों का निरीक्षण प्रतिवेदन (उपस्थापित किया गया)	११७
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का १९६१–६२ का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र (उपस्थापित किया गया)	११७
पंचायत राज रूल्स में प्रख्यापित संशोधन (उपस्थापित किये गये) ..	११८
पूर्वी जिलों में मजदूरी के सम्बन्ध में अभिकथित जारी किये गये सरकारी सर्कुलर के बारे में जानकारी की मांग	११८–११९
रसद मंत्री के विरुद्ध श्री उल्फतसिंह द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (अनुज्ञा नहीं दी गई)	११९
१ अगस्त, १९६२ को स्वास्थ्य उपमंत्री द्वारा गलत उत्तर देने के सम्बन्ध में श्री उग्रसेन द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना	११९–१२०
प्रदेश में बाढ़ के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	१२०–१२२
सदन में घोर अशान्ति	१२२–१३४
रेलवे स्टेशनों पर पड़ी डकैतियों से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य (जारी)	१३४
सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन-त्याग	१३४
रेलवे स्टेशनों पर पड़ी डकैतियों से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य (जारी)	१३४–१३७

विषय	पृष्ठ-संख्या
लखनऊ शहर में लावारिस कुत्तों से उत्पन्न खतरे की स्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	१३७–१३८
जे० के० रेयन मिल, कानपुर की हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	१३८–१४०
१३ अगस्त, १९६२ को मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर हुये विभाजन की संख्या का शोधन	१४०–१४१
प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अवैध शस्त्रास्त्र बनाने के कारखाने तथा शस्त्रास्त्र पाये जाने के सम्बन्ध में गृह उप-मंत्री का वक्तव्य	१४२–१४३
बरेली रबड़ फैक्टरी में हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य	१४३–१४४
उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १०३ में संशोधन का प्रस्ताव	१४४
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) विधेयक, १९६२ (पुरःस्थापित किया गया) उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६२ (विचारोपरान्त पारित)	१४४–१४५
	१४५–१६४
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) विधेयक, १९६२ (जारी)	१६४–१७९
नत्थियां	१८०–२०५

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २० अगस्त, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६७

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अच्छैबरसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अजमद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णा, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री

गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ, राव श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल कखरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री (पिठौरागढ़)
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री

पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसंतलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री

राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाँडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूपभारतीय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशनलाल यादव, श्री
विश्वनाथ पांडेय "प्रणव", श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफतहुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्रशुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री

सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेताकृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुबेदारसिंह, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सुरजलाल, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट---वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री तथा नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्द सिंह, भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २० अगस्त, १९६२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बाराबंकी में मेहतरों की हड़ताल

१---श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत ११ जुलाई से बाराबंकी शहर में मेहतरों की हड़ताल चल रही है ?

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)---जी हां ।

२---श्री झारखंडेराय**---क्या यह भी सही है कि हड़ताल के कारण शहर में बीमारी फैल रही है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---जी नहीं ।

३---श्री झारखंडेराय**---क्या सरकार बतायेगी कि इस स्थिति तथा हड़ताल के समाधान हेतु वह क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---जिलाधीश से कहा गया है कि दोनों पक्षों (मेहतर तथा नगर-पालिका) के बीच उचित समझौता करा कर हड़ताल खत्म कराने की कोशिश की जाय ।

श्री झारखंडे राय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस समय लेटेस्ट पोजीशन क्या है ? क्या इस समय हड़ताल चल रही है या समाप्त हो गई है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---समझौते का प्रयास किया जा रहा है।

श्री झारखंडेराय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस हड़ताल में मेहतरों की कौन-सी मुख्य मांगें हैं जिससे इतनी लम्बी हड़ताल चल रही है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---मांगों की सूचना तो सरकार को मिली नहीं है किन्तु बहुत सी मांगें ऐसी हैं जो नगरपालिका पहले से पूरी कर रही है इसलिये सम्भव है कि समझौता हो जाय।

श्री झारखंडेराय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस सिलसिले में मेहतरों का या उनके प्रतिनिधियों का कोई डेप्यूटेशन सरकार से मिला था ? यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई आश्वासन दिया था ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---श्री शंकर राय, एम० एल० सी० मिले थे।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि हड़ताल के दौर में शहर में सफाई का क्या प्रबन्ध किया गया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---काफी माकूल प्रबन्ध किया गया। बाहर से ६७ मेहतरों को बुलाकर सफाई का प्रबन्ध कराया गया और सफाई के बारे में कोई शिकायत नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि बाहर से जो कार्यकर्त्ता आये थे उनके वेतन का दर क्या है और उन्होंने हड़ताल की है उनके वेतन का दर क्या है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरा खयाल है कि जो उनको दिया जाता था वही उनको दिया जा रहा है।

***४---श्री कल्पनार्थसिंह** (जिला गोरखपुर)---[स्थगित किया गया।]

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

मुरादाबाद जेल से कुछ व्यक्तियों को न छोड़ने की शिकायत

***१—श्री रियासत हुसैन** (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को मालूम है कि मुरादाबाद जेल में चन्द सम्मननीय व्यक्ति अभी तक बन्द हैं जबकि उनकी जमानतें ५ मई, १९६२ को मंजूर हो चुकी हैं और जामिनान मुरादाबाद के बड़े-बड़े व्यापारी हैं और एक जामिन स्थानीय एम० एल०ए० भी हैं जिसकी वजह से मुरादाबाद की जनता में बहुत असन्तोष है ?

कारागार राज्य मंत्री (श्री गोविन्दसहाय)---जी नहीं, मुरादाबाद जेल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बन्द है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ।]

स्वायत्त शासन संस्थाओं के कम्पाउण्डरों का वेतन बढ़ाने पर विचार

*१—**श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री दौलतलाल** (जिला आजमगढ़) तथा **श्री मंगलदेव** (जिला आजमगढ़)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री १६ अप्रैल, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना के लागू होने पर कितने कम्पाउन्डर लाभान्वित होंगे तथा कुल कितना क्या सरकार को देना होगा ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार नगरपालिकाओं, नगर महापालिकाओं तथा अंतरिम जिला परिषदों के एलोपैथिक डिस्पेन्सरी तथा अस्पतालों में काम करने वाले ५५ कम्पाउन्डर उक्त वेतन-क्रम वृद्धि से लाभान्वित होंगे। सरकार को इस वेतन-क्रम वृद्धि के परिणामस्वरूप राजकीय कोष से कोई व्यय वहन नहीं करना पड़ेगा। संबंधित स्थानीय निकायें उक्त व्यय स्वयं वहन करेंगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो निर्णय विचाराधीन था उसका निर्णय हो गया या नहीं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—१-१०-६२ से यह वेतन वृद्धि हो गयी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बतायेगी कि इस संबंध में जो सहायता निकायों की ओर से कम्पाउन्डरों को दी जायगी, उस में सरकार की ओर से अनुदान न देने का कारण क्या है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—कारण तो सिर्फ यह है कि जितनी स्वायत्त शासन संस्थाएं हैं उनसे आशा की जाती है कि वह खुद अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लें, जैसे हम कर लगाते हैं, वैसे वह भी कर लगाएं। उसी जनता से उनको भी लेना है और हम को भी लेना है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बतायेगी कि यह योजना लाग हो जाने के बाद इन निकायों में काम करने वाले कम्पाउंडरों का वेतन-क्रम क्या हो जायगा ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—इसमें दो वेतन-क्रम हैं ४५-१०० और ७५-१२० रु० ।

जिला बन्दीगृह, खीरी से कैदियों का भागना

*२—**श्री तेजनारायण त्रिवेदी** (जिला खीरी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बन्दीगृह, खीरी से यदाकदा बन्दियों के Escape करने की घटनाओं का क्या कारण रहा है और इन घटनाओं की सूचना पाने के बाद सरकार ने कौन-सा उपाय उक्त जेल से Escaping को रोकने के लिये किया है ?

कारागार मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)—खीरी जेल से बन्दियों के भागने के प्रमुख कारण जेल प्रशासन के नियमों का उल्लंघन तथा कर्मचारियों की लापरवाही रहे हैं। शासन ने आदेश दे रखे हैं कि जो कर्मचारी दोषी पाये जायं उन्हें सख्त सजा दी जाय।

श्री तेजनारायण त्रिवेदी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन नियमों के उल्लंघन व किन-किन कर्मचारियों की लापरवाही से बन्दी भाग गये और सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—श्रीमन्, जेल का मुख्य नियम तो कैदियों की तलाशी लेना है और इसमें जो भागने का कारण है उसमें कुछ चीजें जो जेल में नहीं रहनी चाहिये, उनकी सहायता से कैदी भाग गये। उसमें कुछ वार्डर और कर्मचारियों को सजायें दी गयी हैं और जो बाकी रह गये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही किये जाने के आदेश जारी हो चुके हैं।

श्री तेजनारायण त्रिवेदी—मैं मंत्री जी से उन कर्मचारियों के नाम जानना चाहता हूं, जिनकी लापरवाही से बन्दी भाग गये और उनके खिलाफ सरकार ने कार्यवाही की, वह कौन-कौन कर्मचारी थे ?

श्री गोविन्दसहाय—अध्यक्ष महोदय, पहले केस में तीन सिपाही दोषी पाये गये थे। उनमें से दो की नौकरी समाप्त कर दी गयी तथा तीसरे का मासिक वेतन घटा दिया गया। दूसरे केस में एक वार्डर की नौकरी समाप्त कर दी गयी और दूसरे का वेतन पांच स्थान नीचे घटा दिया गया। तीसरी घटना में जो सिपाही जिम्मेदार पाये गये उनको असावधानी के कारण तम्बीह दी गयी और एक सिपाही के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

श्री झारखंडेराय—क्या कारागार मंत्री जी बतायेंगे कि उनकी बात से लगता है कि तीन कैदी इस बीच में भागे हैं, तो इन कैदियों में कितने पकड़े जा चुके और कितने अब तक फरार ही हैं ?

श्री गोविन्दसहाय—वैसे तीन दफा में चार कैदी भागे थे। जहां तक दूसरी बात का ताल्लुक है इसमें मैंने खुद कुछ जानकारी ज्यादा नहीं की।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—जैसा कि बताया गया, कई बार कैदियों के भागने की घटनायें घट चुकी हैं, तो इस प्रकार की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो इसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री गोविन्दसहाय—असल में इस जेल में से क्यों ज्यादा भागते हैं यह सवाल आसानी से पूछा जा सकता है और उसका कारण यह है कि उसकी कुछ सुविधाजनक स्थिति है। जेल की दीवारें कुछ ऐसे ढंग की बनी हैं और उसकी कार्निस वगैरह ऐसी हैं कि जो इस कार्य के लिये बहुत ही सुविधाजनक हैं, उसकी जो लैट्रिन्स वगैरह हैं वह मेन दीवारों के पास हैं। अब इस बात की कोशिश की जा रही है कि जो मेन दीवारें हैं उनकी कार्निस को ठीक कराया जाय, लैट्रिन्स वगैरह अलग बनायी जांय और फिर एक ही वाल है उस के फौरन बाद क्वार्टर्स शुरू हो जाते हैं, तो नये क्वार्टर्स बनाने की योजना है। बहरहाल जितनी बातें अपने सीमित साधनों से हम कर सकते हैं वह सब करने की पूरी कोशिश की जा रही है।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भागने वाले कैदियों में कोई राजनीतिक बन्दी भी था ?

श्री गोविन्द सहाय—जी नहीं।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मन्त्री जी के पास जो सूचना है उसके आधार पर यह बता सकते हैं कि इनमें से लम्बी सजा वाले भी कोई कैदी हैं या सब छोटी सजा वाले हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—डिस्ट्रिक्ट जेल में लम्बी सजा के कैदी नहीं रहते।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जेल बनी कब की है ? उनके समय की है या उनके पहले की ?

श्री अध्यक्ष—यह तो उन्होंने बता दिया कि उनको रोकने के लिये क्या योजनायें हैं।

श्री भीखालाल—जो चार कैदी भागे हैं वह किस पीरियड के अन्दर भागे हैं ?

श्री गोविन्दसहाय—यह भागे हैं १९-११-५९, ३-१२-६० और ४-२-६२ को।

गढ़वाल के लिए सीमेंट

*३--श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५९, १९६० और १९६१ में प्रतिवर्ष कितना सीमेंट कोटद्वार होकर गढ़वाल में सरकारी सार्वजनिक कामों के लिये अर्थात् सड़क, पुल व इमारतों के लिये भेजा गया या एलाट हुआ और उसमें कितना काम में वहां आया और कितना प्रतिवर्ष बाकी रहा ?

रसद मन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १८० पर)

*४--श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (अनुपस्थित)---क्या यह बात सही है कि ६ अप्रैल, १९६२ को टी० जी० एम० ओ० की ६ गाड़ियों में करीब ८० कट्टे सीमेन्ट के जोशीमठ से श्रीनगर लाये गये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--ऐसी कोई सूचना नहीं है।

*५--श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (अनुपस्थित)---क्यों सीमेंट जोशीमठ से वापस नीचे आया, वह किसने भेजा, किसके हाथ बिका, और वह सीमेंट किसको एलाट हुआ था ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--प्रश्न नहीं उठता।

सप्लाई विभाग के नान-मैट्रिक क्लर्क

*६--श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)---क्या यह सही है कि इस प्रदेश के सिविल सप्लाई विभाग में अब भी बहुत से ऐसे क्लर्क हैं जो नान-मैट्रिक हैं और विभाग द्वारा उनको शैक्षिक छूट भी प्राप्त नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

रसद उपमन्त्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)---जी हां।

ऐसे क्लर्कों का मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री गंगाप्रसादसिंह---क्या माननीय मन्त्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि इस प्रदेश के सिविल सप्लाइज डिपार्टमेंट में ऐसे कितने क्लर्क नान-मैट्रिक हैं जो कि एजूकेशनल क्वालीफिकेशन से एग्जम्प्ट नहीं हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---ऐसे ४० हैं।

श्री गंगाप्रसादसिंह---क्या यह सही है कि जिला बलिया में भी ऐसे कोई क्लर्क हैं जिनके मुताल्लिक इंसपेक्टर आफ आफिसेज ने कई मर्तबा अपने इंस्पेक्शन नोट में लिखा कि इनको हटाया जाय लेकिन हटाया नहीं गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---हर जिले की बाबत सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या यह सही है कि जिन क्लर्कों की शैक्षिक योग्यता नहीं है उन्होंने अपने कार्यकाल में इतना अनुभव प्राप्त किया है कि जिसमें नये लोगों से वह अच्छे पड़ेंगे ? क्या इस बात का भी ध्यान सरकार ने रखा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इसका ख्याल रख के २४ को एग्जम्प्ट कर दिया है क्वालीफिकेशन से और ४० में भी जो बहुत बूढ़े हो गये हैं उनको मेरिट के ऊपर कंसीडर करेंगे, बाकी जो अभी इम्तेहान देने लायक हैं उनसे हम कहते हैं कि इम्तेहान दे लें और पास हो लें।

गाजीपुर जिले में वनरोपण कार्य

*७—श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वन विभाग द्वारा वन लगाया गया है? यदि हां, तो किन स्थानों पर?

वन मन्त्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—जी नहीं।

*८—श्री झिलमिटराम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में तृतीय पंचवर्षीय योजना में किन-किन स्थानों में वन लगाने की योजना है तथा कितने एकड़ भूमि पर?

श्री हरीदत्त कांडपाल—जहां तक वन विभाग का सम्बन्ध है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में कोई वनरोपण का कार्यक्रम गाजीपुर जिले के लिये नहीं है, पर अनुमान है कि नियोजन विभाग की फार्म फारेस्ट्री योजना के अन्तर्गत इस जिले के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में कुछ कार्य हो रहा है। इसके विषय में विस्तृत सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री झिलमिटराम—क्या वन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पहली और दूसरी पंजवर्षीय योजना में वन न लगाने का क्या कारण है?

श्री हरीदत्त कांडपाल—अध्यक्ष महोदय, इस जिले में वन विभाग का कोई क्षेत्र नहीं है। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से ग्राम वन योजना के अन्तर्गत सन् १९६१ में कार्य शुरू हुआ है। उसमें गाजीपुर जिले में कुछ कार्य हुआ है और कुछ आगे होगा।

श्री झिलमिटराम—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में किन-किन स्थानों में वन लगाने का कार्य हो रहा है और विस्तृत सूचना कब तक एकत्रित हो जायगी?

श्री हरीदत्त कांडपाल—स्थानों के सम्बन्ध में तो सूचना की आवश्यकता होगी। इतनी सूचना है कि सन् १९६१ में ११५ एकड़ क्षेत्र में वन लगा है और सन् १९६२ में १०० एकड़ में वन लगाया जायगा। वह इस बरसात में लग गया होगा। १९६३ में ६०० एकड़ में, १९६४ में ७०० एकड़ में और १९६५ में ८०० एकड़ में वन लगाया जायगा।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि वन मन्त्री जी कांटे वाले दरख्त लगाना ज्यादा पसन्द करते हैं?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न इससे पैदा नहीं होता।

श्री गेंदासिंह—मन्त्री जी ने आजमगढ़ में यह बात कही है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि वन मन्त्री जी कांटेवाले वृक्ष लगाना ज्यादा पसन्द करते हैं और फलदार वृक्ष लगाना कम पसन्द करते हैं?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—इसमें कुछ गलतफहमी मालूम होती है। उनका मतलब कांटेदार पेड़ से नहीं बल्कि कांटेदार तार से रहा होगा जो पेड़ों के चारों तरफ लगाया जाता है? (हंसी)

श्री झारखंडेराय—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी अंचल में आजमगढ़ या गाजीपुर या और जगहों में जो जंगल लगाये गये हैं या लगाये जाने वाले हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना में उनमें किन पेड़ों के लगाने में तरजीह दी जाती है?

श्री हरीदत्त कांडपाल—वे ही वृक्ष अधिक लगाये जाते हैं जिन वृक्षों के लगाने से किसानों का लाभ हो, इंडस्ट्रीज के काम में ज्यादा लकड़ी आती हो और ऐसे पेड़ जो चार के काम में आ सकते हैं, उनको ही लगाया जाता है।

जेलों के अध्यापक

*९—**श्री होरीलाल यादव** (जिला इटावा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जेल मन्त्री ने कोई आदेश या डी० ओ० जुलाई से दिसम्बर, १९६० के बीच निकाला है जिसमें आई० जी० जेल को आदेश दिया गया था कि जेलों में काम करने वाले शिक्षा अध्यापकों का स्थानान्तरण न किया जाया करे जब तक वे स्वयं स्थानान्तरण की मांग न करें या उनका कार्य खराब न हो?

श्री धर्मदत्त वैद्य—जी नहीं, जुलाई से दिसम्बर, १९६० के बीच ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया।

*१०—**श्री होरीलाल यादव**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जेलों में काम करने वाले शिक्षा अध्यापकों का कोई प्रार्थना-पत्र अपनी कठिनाइयों को दूर करने के सम्बन्ध में फरवरी, १९६० को सरकार या आई० जी० जेल को मिला है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री धर्मदत्त वैद्य—जी नहीं।

*११—**श्री होरीलाल यादव**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अभी इस वर्ष वर्तमान जेल मन्त्री जी के माडल कारागार लखनऊ के निरीक्षण के समय कारागार के शिक्षा अध्यापकों ने कोई स्मृति-पत्र उनको दिया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री धर्मदत्त वैद्य—जी नहीं।

श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यदि जुलाई और दिसम्बर के बीच कोई प्रार्थना-पत्र नहीं मिला तो जुलाई के पहले या दिसम्बर के बाद कोई प्रार्थना-पत्र मिला है?

श्री गोविन्दसहाय—अध्यक्ष महोदय, १९४९ में जरूर इस किस्म का सर्कुलर ईशू किया गया था लेकिन चूंकि प्रश्न जो था वह सीमित वक्त के अन्दर आपने पूछा था कि कोई ऐसा सर्कुलर ईशू हुआ या नहीं तो यह उत्तर दिया कि जी नहीं।

श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार ने जो उत्तर दिया है उसको वह और स्पष्ट करन की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने जवाब दे दिया कि दिसम्बर और जुलाई के बीच उनको कोई प्रार्थना-पत्र नहीं मिला।

जेलों में पाखाना साफ करने का काम तथा जौनपुर जेल के हवालाती

*१२—**श्री केशरीप्रसाद पांडेय** (जिला जौनपुर)—क्या कारागार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की जेलों में इस समय कितने मुसहर तथा हरिजन शौचालय साफ करने का कार्य करते हैं?

श्री धर्मदत्त वैद्य—२८२।

*१३—श्री केशरी प्रसाद पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर कारागार में इस समय कितने अन्डरट्रायल्स हैं और किन-किन दफाओं के अधीन हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—७ जुलाई, १९६२ को ५४ अण्डरट्रायल बन्दी इस जेल में थे जिनका विवरण संलग्न सूची १ में दिया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १८१-१८२ पर)

*१४—श्री केशरी प्रसाद पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर कारागार में कौन-कौन उद्योग चलाये जाते हैं और उन पर कितना खर्चा होता है ? उक्त उद्योगों से कारागार को क्या आमदनी है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—वांछित सूचना संलग्न सूची २ में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १८३ पर)

श्री केशरी प्रसाद पांडेय—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि इस २८२ की लिस्ट में कितने मुसहर हैं और कितने हरिजन ?

श्री गोविन्दसहाय—इसमें ८९ बन्दी हरिजन हैं और १७३ बाहरी रखे हुये हरिजन हैं, कुल २६२ हरिजन हैं और मुसहर हैं १७ बन्दी और बाहरी हैं ३ कुल २०—इस तरह से यह २८२ हैं ?

श्री केशरी प्रसाद पांडेय—क्या यह सही है कि मुसहर और हरिजन मेहतर का काम नहीं करते फिर भी जेल में उनसे जबरदस्ती पाखाना उठाने का काम करवाया जाता है ?

श्री गोविन्दसहाय—जहां तक काम करने का ताल्लुक है, आज की सोसाइटी में बहुत से काम जो लोग पहले नहीं करते थे, करने लगे हैं, लेकिन वहां जबरदस्ती की कोई बात नहीं है। बहुत से कैदी जो वाकिफ होते हैं या उस काम को पसन्द करते हैं वह उन्हें दे दिया जाता है।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार और कारागार मन्त्री इस बात की चेष्टा करेंगे कि कोई इंसेंटिव जेलखाने के लोगों को दिया जा सके और पाखाना साफ करने का काम कुछ सीमित जातियों तक ही सीमित न रहे बल्कि उसे दूसरे लोग भी कर सकें ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसका जवाब मैं देता हूं। मुझे बहुत अनुभव है। दूसरी जाति के लोग हजार-हजार रुपया देने पर भी इसके लिये तैयार नहीं होते इसलिये गवर्नमेंट के इंसेंटिव देने की बात पैदा नहीं होती।

श्री गेंदासिंह—मैं आपत्ति करता हूं। चूंकि कारागार मन्त्री यहां उपस्थित हैं इस लिये आप उनको इजाजत दें जवाब देने की। वही जवाब दें ?

श्री गोविन्द सहाय—उन्हें इस शोबे में मुझ से ज्यादा वाकफियत है इसलिये वह उत्साह में पहले जवाब दे गये। मैं भी इसका जवाब देना चाहता हूं। मेरा ख्याल है कि जहां तक नये लोगों को प्रेरणा देने का ताल्लुक है ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं है, लेकिन अगर कुछ लोग इस किस्म के जायं और समझा जाय कि वह ऐसा काम कर सकते हैं तो आइन्दा ऐसा भी किया जायगा।

श्री झारखंडेराय—क्या कारागार मन्त्री उदारतापूर्वक इस सुझाव पर विचार करेंगे कि जेलखाने में जाने के बाद जिन लोगों का बाहर पैतृक पेशा यह काम करने का नहीं है, कम से कम उनसे जेल में वह काम न लिया जाय, ऐसे कोई आदेश देने की वह कृपा करेंगे ?

श्री गोविन्दसहाय—साधारणतः ऐसा होता है कि जो लोग ऐसा पेशा करते हैं उन्हें ही वह काम दिया जाता है और अगर कमी पड़ जाती है तो आप देखेंगे कि, बाहर से लोग रखे जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर उच्च जाति के लोग यह सोचें कि ऐसा करने से उनकी आत्मशुद्धि होती है तो उनको यह पेशा करने का मौका हम दे सकते हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या माननीय मन्त्री जी जेलखानों में फ्लश सिस्टम के पाखाने बनाने की बात पर विचार करेंगे ?

श्री गोविन्दसहाय—जहां तक आपकी आकांक्षा का सम्बन्ध है, मेरा ख्याल है कि हम भी उससे सहमत हैं, लेकिन यह कहां तक सम्भव है आज के साधनों को देखते हुये यह एक प्रश्न है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—क्या माननीय मन्त्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि जेल गये हुये मुसहर और हरिजनों से जबरदस्ती पाखाना उठाने का काम नहीं लिया जायगा ?

श्री गोविन्दसहाय—मैंने पहले ही कह दिया कि जबर्दस्ती ऐसा काम लिया जायगा ऐसी बात नहीं है और अगर कोई बात आप के नोटिस में आए और कोई कैदी शिकायत करे तो उस पर गौर किया जा सकता है।

एत्मादपुर कट्टी खाना

*१५—**श्री राजेन्द्रसिंह** (जिला एटा) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि एत्मादपुर, जिला आगरा में १४ वर्षों से बंद कट्टीखाने को खुलवा दिया गया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हाँ। करीब १३ वर्ष के उपरान्त यह कट्टीखाना चालू हुआ।

*१६—**श्री राजेन्द्रसिंह** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त कट्टीखाने के विरोध में कोई जलूस निकाला गया तथा सभा की गई और संघर्ष समिति का भी गठन किया गया ? यदि हाँ, तो क्या परिणाम निकला ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हाँ। संघर्ष समिति तथा टाउन एरिया कमेटी में दिनाँक ११ मई, १९६२ को एक समझौता हुआ जिसके फलस्वरूप कट्टीखाना बंद कर दिया गया है।

पेय जल व्यवस्था पर व्यय

*१७—**श्री गेंदासिंह** तथा **श्री कल्पनार्थसिंह**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितनी रकम ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में पीने के पानी का प्रबन्ध करने के लिये निर्धारित की गई थी और उसमें से कितनी रकम खर्च हुई ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में शहरी योजनाओं के लिये पेयजल व्यवस्था हेतु ४९१.९३ लाख रु० की धनराशि की व्यवस्था हुई थी जिसको कर्ज के रूप में स्थानीय निकायों को दे दिया गया था। ग्रामीण क्षेत्र के लिये उक्त अवधि में २३०.०० लाख रु० का प्राविधान किया गया था जिसमें से केवल १७९.०० लाख रु० की रकम खर्च हुई थी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में शहरी पेयजल योजनाओं के लिये ३६५.३८२ लाख रु० की व्यवस्था की गई थी जिसको कर्ज के रूप में स्थानीय निकायों को दे दिया गया था। उक्त अवधि में ग्रामीण जल वितरण योजनाओं के लिये २०० लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी जिसमें से ८३.८५ लाख रु० ही व्यय हुआ था।

*१८—श्री गेंदासिंह तथा श्री कल्पनार्थसिंह—राज्य को उक्त दोनों मदों में उक्त अवधि में भारत सरकार कर्ज तथा अनुदान के रूप में कितनी रकम देने के तैयार थी और उससे कम रकम किस कठिनाई के कारण ली गई या देने पर भी खर्च नहीं की गयी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—भारत सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में शहरी जल वितरण योजना के लिये ४९१.९३ लाख रु० कर्जा के रूप में देने को तैयार हुई थी और यही धनराशि प्राप्त हुई थी। इसमें कोई अनुदान नहीं था। उक्त अवधि में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के लिये भारत सरकार से ११५ लाख रु० की धनराशि प्राप्त होना था लेकिन ८९.५० लाख रुपये की धनराशि ही अनुदान के रूप में तथा ४० लाख रु० ऋण के रूप में प्राप्त हुई थी।

इसी प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में भारत सरकार से शहरी पेय जल योजनाओं के लिये ३६५.३८२ लाख रुपया प्राप्त हुआ था जो ऋण के रूप में था। शहरी जल वितरण योजनाओं के लिये भारत सरकार का अनुदान कुछ भी नहीं था। उक्त अवधि में ग्रामीण जल वितरण योजनाओं के लिये भारत सरकार से १०० लाख रुपया अनुदान के रूप में प्राप्त होना था लेकिन केवल ४१.९२५ लाख रुपया ही प्राप्त हो सका। ऋण के रूप में कोई भी धनराशि प्राप्त नहीं हुई थी।

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जल वितरण योजनाओं के अन्तर्गत दिये गये अनुदान के साथ निम्नलिखित दो मुख्य शर्तें थीं :—

प्रथम यह कि ग्रामों को मिला कर पेयजल योजना बने, तथा

द्वितीय कि योजना से लाभान्वित जनता अपना अंशदान भी दे जो २५ प्रतिशत हो।

कई ग्रामों को सम्मिलित करके योजना को कार्यान्वित करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ ग्राम चाहते थे कि पेयजल की व्यवस्था हो जबकि अन्य ऐसा नहीं चाहते थे। इसका मुख्य कारण यह था कि जनता २५ प्रतिशत अंशदान या तो देना नहीं चाहती थी अथवा निर्धनता के कारण दे नहीं सकती थी। योजनाओं को कार्यान्वित करने में वैसे ही काफी समय लगता है और उक्त कठिनाइयों के कारण और भी समय लगा। जहाँ-जहाँ भी योजनाओं को कार्यान्वित किया गया, बहुत कठिनाई के साथ, फलस्वरूप जो भी रुपया भारत सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त होना था उसका उपयोग उक्त अवधि में केवल आँशिक रूप से हो सका।

*१९—श्री गेंदासिंह तथा श्री कल्पनार्थसिंह—तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितना धन उक्त मदों में खर्च करने की व्यवस्था है और अब तक कितना खर्च किया जा सका है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—शहरी जल वितरण के लिय तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में ६२७.३३ लाख रुपया निर्धारित किया गया है जिसमें १३७.१३२ लाख रुपया उक्त अवधि के प्रथम वर्ष (१९६१-६२) में व्यय किया जा चुका है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पेयजल व्यवस्था के लिये २७ लाख रुपया उक्त अवधि में निर्धारित किया गया है जिसमें से गत वित्तीय वर्ष में २.८९ लाख रुपया खर्च किया जा सका ह।

श्री गेंदासिंह—जो फेहरिस्त माननीय मन्त्री जी ने सुनाई उसमें कितना धन इन वर्षों में खर्च किया जा चुका है यह बतलाने की कृपा करें ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस सब का ब्यौरा तो अभी जवाब में बता दिया गया है।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि कुछ करोड़ रुपया खर्च करने से बाकी रह गया है ? यदि हाँ, तो उसका क्या कारण है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उसके कुछ कारण तो जवाब में दिये गये हैं। इसके अलावा यह भी कारण था कि हमको कहीं जमीन नहीं मिलती थी समय पर। कहीं पर लोग २५ फीसदी रुपया नहीं देने को तैयार होते थे। कभी-कभी सामान भी मिलने में कठिनाई होती थी। तो यह सब दिक्कतें थीं।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि राज्य सरकार की ओर से इन कठिनाइयों की तरफ सोचने का कष्ट नहीं किया गया? अगर यह सही नहीं है तो, क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इन कठिनाइयों को किसी वक्त प्लानिंग बोर्ड के सामने, या किसी अन्य बोर्ड के सामने, या किसी कमेटी के सामने रखा गया?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जैसे जैसे कठिनाइयाँ आती हैं, हमेशा सरकार उनको उनके सामने रखती है और विचार करती है। प्लानिंग कमीशन के साथ भी हम विचार करते रहते हैं।

श्री गेंदासिंह—मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं भी प्लानिंग बोर्ड का सदस्य हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी संस्था ने किसी वक्त इन कठिनाइयों को प्लानिंग बोर्ड के सामन रखा?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—प्लानिंग बोर्ड के सामने तो नहीं रखा और उनके सामने रखने की हमने जरूरत भी नहीं समझी क्योंकि जितनी कठिनाइयाँ हैं वे ऐसी हैं कि उनमें कोई पालिसी की चीज नहीं है। छोटी-मोटी कठिनाइयाँ हैं और उनमें वह हमारी मदद क्या कर सकता है। वह कठिनाइयाँ तो गाँव-गाँव में आ सकती हैं। अगर कोई गाँव २५ फीसदी देने के लिये तैयार नहीं है तो प्लानिंग बोर्ड हमारी क्या सहायता करेगा? डिफीकल्टीज तो उसके एक्जीक्यूशन में होती हैं और उसको हम हर लेबिल पर साल्व करने की कोशिश करते हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी, गाँव की गरीबी को देखते हुए इस २५ फीसदी के बंधन को समाप्त करने की कृपा करेंगे?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, गाँव की गरीबी को देखते हुये ही सरकार माफ करने में मजबूर है क्योंकि जितना पैसा हम माफी में देंगे वह सब आयेगा तो उसी गरीब जनता से। यह तो उन्हीं के फायदे को देख कर किया गया है कि ७५ फीसदी हम दे दें और २५ फीसदी ही वे दें। हम विरोधी दल की हर राय पर पैसा बरबाद नहीं कर सकते हैं।

श्री झारखंडेराय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की जो व्यवस्था की जा रही है उसके अन्तर्गत वह किस प्रकार की व्यवस्था पर अधिक जोर देती है—पक्के कुयें बनवाने पर अधिक जोर देती है या पाइप आदि लगवाने पर या किस चीज पर?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सरकार की कोई खास प्रथा नहीं है। सरकार तो यह देखती है कि जहाँ पर पानी उपलब्ध नहीं है वहाँ पर पानी किस तरह से आसानी से सुलभ कराया जा सकता है और वह जिस साधन से भी हो सके। हम जहाँ पर जो भी सस्ते से सस्ता साधन हो सकता है उसी को अच्छा समझते हैं और उसी को कराने की कोशिश करते हैं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या मन्त्री जी ने इस बात की जानकारी की है कि कितने केसेज में गरीबी के कारण लोग रुपया कांट्रीब्यूट नहीं कर सके?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—प्रायः हर मामले में गरीबी हायल हुई?

श्री गेंदासिंह—सरकार को इन १०-११ वर्षों के अनुभव से अपनी योजना में जो पानी पिलाने की है, असफलता मिली है तो सरकार उसकी सफलता के लिये सोचने को तैयार है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सरकार के सामने कठिनाई यह है कि जितना पैसा हमारे पास है उसका सब से अच्छा उपयोग हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर जरा भी गलती हो तो उसी को दुरुपयोग कहा जाता है। यह ७५ फीसदी का अनुदान भी काफी समझा जाता है, क्योंकि यह भी आखिर गरीबों से ही आता है। अगर कहीं मालदारों के पास से आता तो सौ का सौ परसेन्ट अनुदान ही दे देते, इसमें कोई शक नहीं है और वास्तव में वे गरीबी के कारण ही २५ प्रतिशत कॉंट्रीब्यूट करने में अनवर्लिंग होते हैं। लेकिन हमारे पास साधनों की कमी है, इसलिये जहाँ पर थोड़ा बहुत भी वह कर लेते हैं या श्रमदान कर लेते हैं तो वहाँ २५ फीसदी वाले प्रतिबन्ध को घटा भी देते हैं। जब तक हमारे पास पूरे साधन न हो जायं तब तक सारे का सारा अनुदान की शक्ल में देना संभव नहीं है।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या आदरणीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर गया है कि जो कुएं बनवाते हैं उन्हें रुपया लेने में दिक्कत होती है जिसके कारण वह पानी पीने की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—ऐसा कोई उदाहरण मेरे नोटिस में नहीं आया।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—यह २५ प्रतिशत का जो कंट्रीब्यूशन है उसकी हरिजनों के सम्बन्ध में छूट देने की कृपा करेंगे?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—कहीं-कहीं पर हमने किया है और जहाँ पर एक्यूट सिचुएशन है वह बिलकुल माफ कर दिया है, और हरिजनों के लिए विशेषतौर से ख्याल रखते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है।

रिहन्द बांध पुनर्वास क्षेत्र में तेंदू के पत्तों का ठेका

*२०—**श्री रामप्यारे** (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)—क्या रिहन्द बाँध के पुनर्वास क्षेत्र के कुछ प्रतिनिधियों का ऐसा शिष्ट मण्डल कभी वन मंत्री महोदय से मिला था जिसने सुझाव दिया था कि जंगल बिना विचारे न काटे जायं? यदि मिला था तो वन मंत्री महोदय ने उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की?

वन मन्त्री (श्री अलगूराय शास्त्री)—ऐसा कोई शिष्ट मंडल वन मंत्री से नहीं मिला। किन्तु जहाँ तक जंगल को बिना विचारे काटने का प्रश्न है वह बता देना उपयुक्त होगा कि जंगल समुचित विचार करने के बाद ही काटे जाते हैं।

*२१—**श्री रामप्यारे** (अनुपस्थित)—क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुनर्वास विभाग द्वारा जो भूमि उदवासितों को दी गई है उस पर के वृक्षों का स्वामित्व किसका है? यदि उसका स्वामित्व किसानों को दिया गया है, तो उस पर खड़े तेन्दू के पत्तों का ठेका ठेकेदारों को क्यों दिया गया है?

श्री अलगूराय शास्त्री—इन वृक्षों पर वन विभाग का स्वामित्व है। अतः तेंदू के पत्तों का ठेका ठेकेदारों को दिया गया है।

ईंट के भट्ठों को कोयले की सप्लाई

*२२—**श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया** (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में किस-किस व्यक्ति तथा फर्म के पास कोयले के भट्ठों (ईंट पकाने के) के एक से अधिक परमिट है तथा कहाँ-कहाँ पर?

*२३—इन भट्ठों की श्रेणी तथा इनको मिलने वाले कोयले के वैगनों की संख्या वर्ष १९५९-६०, ६०-६१ व ६१-६२ में क्या रही है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सूचना संलग्न है। केवल पाँच जिलों को छोड़कर। १ मथुरा, २ झांसी, ३ वाराणसी, ४ उन्नाव, ५ सीतापुर जिनकी सूचना अभी नहीं प्राप्त हो सकी है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १८४–१८६ पर)

*२४—**श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया**—इन भट्ठों में इन गत वर्षों में कौन-कौन से भट्ठे नहीं चले तथा क्यों ? क्या सरकार इन न चलने वाले भट्ठों के परमिट समाप्त करने की व्यवस्था कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जो भट्ठे नहीं चले उनकी सूची संलग्न है। भट्ठों के न चलने का कारण बहुधा कोयले की कमी है। सरकार ऐसे भट्ठों की परमिट समाप्त करने की कोई व्यवस्था नहीं कर रही है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १८४–१८६ पर)

[२० अगस्त, १९६२ के लिये निर्धारित तारकित प्रश्न]

रेंट कन्ट्रोल ऐक्ट का प्रवर्त्तन

*१—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के किन-किन जिलों में रेन्ट कंट्रोल एक्ट लागू है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—रेन्ट कंट्रोल ऐक्ट प्रदेश की समस्त जिलों की म्युनिसिपैलिटियों तथा नोटीफाइड एरियाओं में लागू है। यह ऐक्ट उन टाउन एरियाओं तथा क्षेत्रों में भी लागू होता है जहां राज्य सरकार अपने विशेष विज्ञप्ति द्वारा सार्वजनिक हित के लिये लागू करती है।

*२—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में १९६१–६२ में जहां रेन्ट कंट्रोल ऐक्ट लागू है कितने आदमियों ने मकान के लिये प्रार्थना-पत्र दिये और कितने आदमियों को मकान एलाट किया गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—१९६१–६२ में समस्त प्रदेश में जहां-जहां रेन्ट कंट्रोल ऐक्ट लागू था ४२,९९४ प्रार्थियों ने प्रार्थना-पत्र दिये उनमें से १३,५५९ प्रार्थियों को मकान एलाट किये गये।

*३—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद में कितने आदमियों ने रेन्ट कंट्रोल आफिसर की आज्ञा के विरुद्ध अपील १९६१–६२ में की और कितने आदमियों को उसमें कामयाबी हुई और कितनी अपीलें नामंजूर हुईं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—रेन्ट कंट्रोल आफिसर, इलाहाबाद की आज्ञा के विरुद्ध सन् १९६१–६२ में १२५ अपीलें दायर की गईं जिसमें अभीतक ६२ अपीलों में निर्णय हो चुका है। १३ अपीलें स्वीकार की गईं ? १ में सुलह हुई १ वापस की गई तथा शेष ४७ खारिज की गईं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि किन-किन टाउन एरिया में इसके लगाने की आवश्यकता पड़ी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—नोटिस की आवश्यकता है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—प्रश्न के उत्तर में है कि उन टाउन एरियाओं और क्षेत्रों में लागू है जहां राज्य सरकार आवश्यकता समझती है। मैं यह पूछ रहा हूं कि कहां-कहां इसकी आवश्यकता पड़ी।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इन टाउन एरिया और नोटीफाइड एरियाओं की बड़ी लम्बी तादाद है।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)---इस ऐक्ट को समस्त टाउन एरियाओं में लगाने पर क्या सरकार विचार करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---स्थानीय अधिकारी और वहां की जनता के कहने पर सरकार विचार करती है।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)---रेन्ट कंट्रोल के अधीन, जो अपीलें सरकार के पास की जाती हैं, उनके निर्णय का औसत समय क्या लिया जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इसके लिये कोई समय मुकर्रर नहीं है जैसे कि और जगह ३० दिन हैं। जिलों से कागजात आने पर समय मुनहसिर करता है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)---इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शहरों में मकानों के किराये बहुत बढ़ रहे हैं, सरकार विचार करेगी कि सन् ४६ के बाद में बने मकान भी कंट्रोल में आजावें, इस कानून में आजावें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---ला कमीशन इस पर विचार कर रहा है और लोगों की राय भी मांगी गई है। जब हाउस में आवेगा तब उस पर सोचा जायगा, कि इससे मकानों के बनने में कोई रुकावट तो नहीं होगी, या प्रोत्साहन मिलेगा।

यू० पी० जेल सहकारी समिति लिमिटेड, लखनऊ में गबन

*४---**श्री हिम्मतसिंह** (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित) तथा **श्री रक्षपालसिंह** (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)---क्या कारागार मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोविन्द सिंह डिप्टी भूतपूर्व एम० एल० ए० के उनके नाम ५ मार्च, १९६२ को भेजे गये पत्र संख्या ५१-६२ में लिखित सूचना कि ५ मार्च, १९६२ को सदन में श्री मंगला प्रसाद सहकारिता मन्त्री द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या ३९ व ४० के उत्तर में जो बताया गया कि श्री ई० पी० नेगी को आडिटर ने दोषी पाया, इस पर मन्त्री जी ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री गोविन्दसहाय--कारागार विभाग के लिये इस मामले में अभी कार्यवाही करने का स्टेज नहीं आया है।

*५---**श्री हिम्मतसिंह** (अनुपस्थित) तथा **श्री रक्षपालसिंह** (अनुपस्थित)---क्या कारागार मन्त्री जी ने गत वर्ष उन्नाव जेल के कैदी कौशल किशोर त्रिपाठी की शिकायत पर उन्नाव जेल में हुई कपड़े व पये के हिसाब में गड़बड़ी व भ्रष्टाचार की कोई जांच कराई थी ? अगर हां, तो उस का परिणाम क्या निकला ?

श्री गोविन्दसहाय---उप कारागार महा निरीक्षक तथा आडिटर द्वारा जांच कराई गई। बीस शिकायतें निर्मूल पाई गयीं और शेष ५ शिकायतों पर कारागार महानिरीक्षक द्वारा अग्रेतर जांच कराई जा रही है।

केन्द्रीय कारागार, आगरा का कथित कृषि फार्म

*६---**श्री हिम्मतसिंह** (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा सेन्ट्रल जेल के कृषि विभाग का अंतिम आडिट कब हुआ ? क्या यह सच है कि इस फार्म के गबन की इनक्वायरी सन् १९५८ से हो रही है ? यदि हां, तो उसके अब तक पूरे न होने के क्या कारण हैं ?

श्री गोविन्दसहाय—केन्द्रीय कारागार, आगरा में कोई कृषि फार्म नहीं है। अतः उसके आडिट या उसके सम्बन्ध में कथित गबन का प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष, नगरपालिका, झांसी द्वारा अनियमित व्यय होने की शिकायत

*७—**श्री लखपतराम शर्मा** (जिला झांसी)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६०-६१ में अध्यक्ष, नगरपालिका, झांसी द्वारा ५० रु० की फड़ी पर बजड़ी की खरीदारी में झांसी नगरपालिका के किसी सदस्य द्वारा सरकार से गोल माल की शिकायत की गयी थी और क्या सिटी मजिस्ट्रेट, झांसी की जांच में २० व २५ की फड़ी का टेन्डर भी फाइल में मिला था ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—जी हां, सन् १९६१ में अध्यक्ष, नगरपालिका, झांसी द्वारा ५५ रु० की की फड़ी पर बजरी की खरीदारी में झांसी नगरपालिका के कुछ सदस्यों द्वारा सरकार से गोलमाल की शिकायत की गई थी ?

शेष मामले में सूचना एकत्र की जा रही है।

*८—**श्री लखपतराम शर्मा**—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, सन् १९५७ से ४ मई, १९६२ तक कितने हजार रुपये के कितने विज्ञापन अध्यक्ष की आज्ञा से बिना बोर्ड की स्वीकृति के दिये गये व विज्ञापनों के पेमेन्ट की स्वीकृति पेमेन्ट के कितने समय पश्चात् बोर्ड द्वारा ली गयी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री लखपतराम शर्मा—क्या मंत्री जी की जानकारी में यह है कि झांसी में २२ ० से अधिक का रेट नहीं था ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह हमारी भी सूचना है कि साधारणतया २०, २२ रुपये का वहां भाव है लेकिन यह ५२ रुपये में लिये हैं। इसमें कुछ संदेह था लेकिन बोर्ड ने इसकी अनुमति दी और लीगैलाइज किया कि यह ठीक है। इसलिये हमारे लिये कोई चारा नहीं रह जाता है कि हम आपत्ति करें।

श्री लखपतराम शर्मा—क्या यह सत्य है कि बोर्ड की फाइल में २२ रुपये का टेन्डर भी था और उसके बावजूद ५५ में या ५२ में खरीदा गया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—हमने जिलाधीश से इसकी इनक्वायरी कराई थी। उन्होंने लिखा कि बोर्ड ने इसकी अनुमति दी और इसमें उनकी नीयत पर कुछ खास शक नहीं मिलता है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—जो शिकायतें आई थीं वे क्या थीं और उनके सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह शिकायत थी कि इस तरह से उन्होंने खर्चा किया जबकि भाव सस्ता है।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सदन की मेज पर रखने से कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर कोई माननीय सदस्य मेरे पास आने का कष्ट करें तो मैं उन्हें दिखा सकता हूं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---अनुमानतः २२ की जगह ५२ में लेने से कितनी हानि हुई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---माननीय मित्र हिसाब लगा सकते हैं।

श्री गेंदासिंह---माननीय स्वशासन मंत्री के यहां जाने में माननीय सदस्यों का रिक्शा वगैरह का खर्चा होगा लेकिन उनका खर्चा ज्यादा होने वाला है बमुकाबले उसके जो सदन की मेज पर रखने में होगा। इसलिये उसे सदन की मेज पर ही रख दें ताकि उनका और लोगों का खर्चा बच जाय ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

झांसी जिले में टिन, लोहा तथा कोयले का परमिट

*९---**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, १९६१ से ३१ मार्च, १९६२ तक झांसी जिले में जिला सप्लाई कार्यालय द्वारा कितने मन नालीदार टिन (चद्दर) के परमिट दिये गये और उसमें से तालबेहट टाउन व तालबेहट प्रसार सेवा खंड के निवासियों को कितने मन उक्त टिन के परमिट किन-किन व्यक्तियों को दिये गये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---सूचना एकत्र की जा रही है।

*१०---**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि ३१ मार्च, १९६२ तक झांसी जिले में किन व्यापारियों को कब से कितना-कितना लोहे का तथा कोयले का कोटा मिलता है और जनवरी, १९६१ से मार्च, १९६२ तक किस व्यापारी को कितना लोहा तथा कितना कोयला मिला ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---सूचना एकत्र की जा रही है।

मड़ियाहूं तथा मछली शहर में पानी व नालियों की अव्यवस्था

*११---**श्री रमेशचन्द्र शर्मा** (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की मड़ियाहूं तथा मछलीशहर टाउन एरिया में जनता को पीने के पानी की जल-कल व्यवस्था होने वाली है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---जी नहीं। जौनपुर जिले की मड़ियाहूं तथा मछली शहर टाउन एरिया कमेटियों की ओर से शासन के पास इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया है।

*१२---**श्री रमेशचन्द्र शर्मा**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की मछलीशहर और मड़ियाहूं टाउन एरिया की गलियों की नालियों की मरम्मत और नये निर्माण के लिये सरकार किसी प्रकार का अनुदान देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---जी नहीं। उक्त टाउन एरियाओं से शासन के पास इस सम्बन्ध में कोई मांग नहीं की गई।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा---माननीय मन्त्री जी मड़ियाहूं और मछलीशहर टाउन एरिया की गरीबी को देखते हुए और पानी के अभाव में ट्यूबवेल लगवाकर वहां की जनता के लिये पानी पीने की व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मैंने निवेदन किया कि वहां से प्रार्थना आयेगी तो जरूर उस पर विचार किया जायगा।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या मैं माननीय मन्त्री जी से अपील कर सकता हूं कि हम लोगों की बातों पर ध्यान देकर उन टाउन एरियाज में, जहां पानी की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पायी है, कोई पानी की व्यवस्था कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने जबाब दे दिया कि वहां से प्रार्थना-पत्र आने पर विचार कर लिया जायगा।

*१३-१५—**श्री कल्पनार्थसिंह**—[स्थगित किये गये।]

कानपुर में कुछ ट्रक व्यवसाइयों को बसाने की व्यवस्था

*१६—**श्री लखपतराम शर्मा**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर में कलेक्टरगंज से कोपरगंज आने वाली सड़क पर एवं गुमटी नं० ५ की एरिया में जी० टी० रोड पर सैकड़ों की संख्या में मोटर ट्रक खड़े रहते हैं जिसके कारण मार्ग बन्द हो जाता है और जनता को आवागमन में बड़ा कष्ट होता है और प्रायः एक न एक दुर्घटना होती रहती है इन ट्रकों को हटाने के सम्बन्ध में कई बार शिकायत पुलिस के उच्च अधिकारियों को जनता की ओर से की गई ? अतः इन ट्रकों को हटाने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—नगर महापालिका, कानपुर इन मोटर ट्रक व्यवसाइयों को दूसरे क्षेत्रों में बसाने के लिये प्रयत्नशील है। बाबूपुरवा तथा रत्तूपुरवा क्षेत्र में १३९ प्लाट्स का एक ले आउट बनाया गया है और उन्हें प्लाट देने की व्यवस्था हो रही है। इसी प्रकार फजलगंज में भी एक ले आउट बनाकर प्लाट देने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री लखपतराम शर्मा—अभी माननीय मन्त्री जी ने बताया कि उन लोगों को दूसरे स्थानों पर बसाने की व्यवस्था की जा रही है, तो क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इसमें कितना समय लगेगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, इसके बारे में इस समय तो कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि गवर्नमेंट तो उसको करती नहीं है, नगरपालिका करती है। दूसरी बात यह है कि मोटरवाले इसके लिये तैयार हो जायं, प्लाट ले लें और वहां उपयुक्त व्यवस्था हो जाय, ऐसी बहुत सी बातें हैं।

टेहरी-गढ़वाल का वन क्षेत्र

*१७—**श्री विजयपालसिंह** (जिला मुजफ्फरनगर) तथा **श्री ऊदल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि टेहरी-गढ़वाल में रियासत मिलने के वक्त जंगलात का क्या रकबा था और इस वक्त उसका क्षेत्रफल क्या है ?

*१८—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर काशी जिले के रुवाई क्षेत्र टेहरी के बासर क्षेत्र, खासपट्टी, रमोली क्षेत्र, नेलचामी आदि क्षेत्रों में ग्राम सभाओं के जंगल जो उस क्षेत्र की ग्राम जनता के थे सरकारी जंगलों की सीमा में मिला दिये गये हैं और उनको ४ वर्ष पहले जंगलात विभाग ने नीलाम कर दिया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

*१९—क्या सरकार को पता है कि पहले टेहरी-गढ़वाल रियासत में मकान बनाने के लिये फ्री खन्ना दिया जाता था तथा पी० डी० (रियायती) लकड़ी दी जाती थी वे अधिकार अब क्यों छीन लिये गये ? इसका कारण क्या है ? क्या इसकी जांच सरकार कराकर पुराने हकूक देने की व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

गोंडा दक्षिणी कुवानों वन क्षेत्र

*२०—श्री नवरंगसिंह (जिला गोंडा)—क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जो सहूलियतें वन के करीब रहने वालों को जमींदारी के समय में वन से मिलती थीं वह अब भी मिल रही हैं ? अगर हां, तो गोन्डा दक्षिणी कुवानों रेन्ज में कितने लोगों को मिल रही है और उन गांवों तथा उन किसानों के क्या नाम हैं ? अगर नहीं, तो क्या कारण हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—सूचना एकत्रित की जा रही है।

देवरिया जेल की चहार दीवारी

*२१—श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—क्या कारागार मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जेल की चहार दीवारी और वर्तमान बैरकें किस इन्जीनियर की देख-रेख में बनी हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—निम्नलिखित पांच अभियन्ताओं की देख-रेख में :—

(१) श्री डी० सी० जैन,
(२) श्री एस० पी० हजेले,
(३) श्री डी० के० लरोइया,
(४) श्री एम० एस० वाप्ट,
(५) श्री प्रेम चन्द्र।

*२२—श्री चन्द्रबली—क्या उस जेल में सन् १९५८ में एक पागल कैदी ने अस्पताल और चक्कर के बाहर की तनहाई की कोठरियों में अनेकों नकबें लगा दी थीं ? यदि हां, तो ऐसी कमजोर बिल्डिंग बनाने का क्या कारण है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—जी नहीं।

श्री चन्द्रबली—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि देवरिया की जेल में सन् ५८ में कोई राजेन्द्र मल नाम का पागल रहता था ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—जी हां।

श्री चन्द्रबली—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि उक्त राजेन्द्र मल ने जेल की तनहाई की कोठरी में और अस्पताल की तनहाई की कोठरी में दतौन की लकड़ी से नकबजनी की थी ?

श्री गोविन्दसहाय—इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी के पास पहले भी इस प्रकार की शिकायतें आयी थीं कि देवरिया जिले की चहारदीवारी बड़ी कमजोर है ? क्या उसकी जांच करायी गयी ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री गोविन्द सहाय—जी नहीं, इसकी कोई शिकायत नहीं आयी।

आगरा में विकास कार्यों की आवश्यकता

*२३—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगर महापालिका आगरा के अन्तर्गत जयपुर से आगरा किले तक १० मील लम्बा नाला खुला रहता है ? इसमें गन्दा पानी बहा करता है, इसके सुधारने हेतु तथा और बहुत सी शिकायतें जैसे शहर के सुधार व विकास हेतु कौन-कौन कार्यवाही की गई और शहर के बीच में, जहां ५ लाख की आबादी के २०० मुहल्ले हैं, आज भी गन्दगी रहती है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—सूचना एकत्र की जा रही है।

*२४—**श्री ऊदल**—उपरोक्त शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार ने गन्दी बस्ती निपातन योजना तथा अन्य सुधार योजनाओं में आगरा नगर महापालिका को कितने रुपये का अनुदान व कर्ज अब तक दिया है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—सूचना एकत्र की जा रही है ।

टाउन एरिया अध्यक्षों का चुनाव

*२५—**श्री गणेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार इस विषय पर विचार करने की कृपा करेगी कि टाउन एरिया के अध्यक्षों के चुनाव सीधे जनता से न होकर टाउन एरिया कमेटी के सदस्यों द्वारा हुआ करें ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—जी नहीं।

श्री गणेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिस तरह से महापालिका के अध्यक्ष का चुनाव उसकी कमेटी के सदस्य करते हैं उसी तरह से टाउन एरिया कमेटी के सदस्य अपने अध्यक्ष का चुनाव करें, तो उसमें सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, सब से बड़ी कठिनाई यह है कि लोग काम की तरफ तवज्जह न देकर एक दूसरे के खिलाफ नो-कांफिडेंस लाने की बात करते हैं और उसकी वजह से काम वगैरह कुछ होता नहीं है। म्युनिसिपैलिटी में भी इसका बुरा परिणाम ही देखने को मिला है और एक बार यह बदला भी गया था कि म्युनिसिपैलिटीज के अध्यक्ष का चुनाव भी वोटर्स की मार्फत डाइरेक्टली हो लेकिन उसे हम अन्त तक निभा नहीं सके। आज भी डाइरेक्ट चुनाव की मांग बहुत जगह से आ रही है लेकिन चूंकि एक प्रथा चल गयी है और जो अनुभव उससे प्राप्त होगा उसके आधार पर ही आगे विचार हो सकेगा।

अकबरपुर तहसील से धान कूटने की मशीन के लाइसेंस की कथित प्रार्थना

*२६—**श्री गणेशचन्द्र काछी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जिले की अकबरपुर तहसील से अप्रैल, १९६१ में धान कूटने की मशीन लगाने के लाइसेंस के लिये कितने प्रार्थना-पत्र दिये गये थे और अब तक उनमें से कितनों को लाइसेंस दिया गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—अकबरपुर तहसील (जिला फैजाबाद) से अप्रैल, १९६१ में धान कूटने की मशीन के लाइसेंस के लिये कोई प्रार्थना-पत्र नहीं प्राप्त हुआ। अतः लाइसेंस देने का प्रश्न नहीं उठता।

पाठा क्षेत्र में जल-व्यवस्था

*२७—**श्री मतोलासिंह** (जिला बांदा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ४ वर्ष पूर्व बांदा के पाठा इलाके में पानी की कमी को दूर करने के लिये कितने कुएं सरकार द्वारा बनाये गये थे ? उन पर कितना व्यय हुआ और वह इस समय क्या कार्य कर रहे हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—इस क्षेत्र के लिए सन् १९५८-५९ में एक पेय जल योजना स्वीकृत की गई थी जिसके अन्तर्गत ६ नए कुओं का निर्माण तथा १० पुराने कुओं और ११ तालाबों को गहरा किया गया था। इसमें ३,०१,००० रु० खर्च हुआ है। इसके अतिरिक्त २१ नए कुओं का निर्माण और १० पुराने कुओं को गहरा किए जाने का कार्य जारी है ।

*२८—**श्री मतोलासिंह**—क्या उन कुओं में पम्पिंग सेट की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—जी नहीं।

श्री मतोलासिंह—श्रीमन्, मैंने प्रश्न पूछा था कि जो ६ कुएं बनवाये गये वे कितने गहरे हुए और उन पर कितना खर्च हुआ, इसका कोई उत्तर मुझे नहीं मिला। बाकी तालाब व पुराने कुओं की व्यवस्था की गयी है परन्तु ६ कुओं के बारे में नहीं बतलाया गया है कि उनमें पानी है, कितना गहरा है और कितना उन पर खर्च हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—यह आप अलग से सवाल पूछ लें।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ६ नये कुएं बने, वे कितने गहरे बने और उनमें कितनी गहराई में जल है तथा उन पर कितना खर्च हुआ है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उन ६ के ६ कुओं की कितनी गहराई है यह कहना तो कठिन है लेकिन आम तौर से कुयें बहुत गहरे बनते हैं और पुराने कुओं को भी और गहरा करना पड़ता है तब पानी आता है, इसलिये ठीक गहराई बताना कठिन है।

अरवा चावल का भाव

*२९—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाबा चावल अतर्रा व बांदा से सरकार १६ रु० ४ आने प्रति मन खरीदती है जब कि पड़ोसी जिला फतेहपुर से बाबा चावल को १६ रु० १२ आने प्रति मन खरीदती है ? यदि हां, तो यह अन्तर क्यों है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा (अरवा) चावल कानपुर खाद्य क्षेत्र के प्रत्येक जिले में १६ रु० २५ नये पैसे प्रति मन के भाव से ही खरीदा जाता है।

ईंट के भट्ठों में लकड़ी का प्रयोग

*३०—श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया—क्या सरकार को ज्ञात है कि ईंट पकाने के भट्ठों में कोयले के स्थान पर लकड़ी का प्रयोग हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसा कोई नियम बनाने पर विचार कर रही है या करेगी कि इन भट्टों में लकड़ी का प्रयोग बन्द हो ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां। कोयले की कमी के कारण कुछ भट्ठों में कोयले के स्थान पर लकड़ी का प्रयोग हो रहा है। सरकार ऐसा कोई नियम बनाने का विचार नहीं कर रही है कि ईंट के भट्टों में लकड़ी का प्रयोग बन्द हो। कोयले की कमी के कारण भट्ठों में लकड़ी के प्रयोग को बन्द कराना इस समय उचित नहीं है।

कानपुर में गन्दगी

*३१—श्री हमीद खां (जिला कानपुर)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर सिटी में किन-किन गन्दी नालियों तथा फैक्टरियों का गन्दा पानी गंगा नदी में डाला जा रहा है जनहित के स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या कोई ऐसी योजना सरकार के विचाराधीन है जिससे उक्त गन्दे पानी से गंगा का पानी दूषित होने से बचाया जा सके ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—लगभग १३ नालियों, जिनमें कुछ फैक्टरी एवं मिलों की नालियां भी शामिल हैं, तथा १५ टैनरी (Tanrey) का गन्दा पानी गंगा नदी में गिरता है। महापालिका इस स्थिति को सुधारने का प्रयत्न कर रही है।

*३२—श्री हमीद खां—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका की स्थापना हो जाने के बाद भी खुली हुई बाल्टियों में मल ले जाने तथा ठेलों पर से कूड़ा ले जाने के तरीके में सुधार नहीं हुआ है जिससे न केवल कार्य करने वालों को ही कठिनाई उठानी पड़ती है अपितु नगरिकों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है ?

नोट—तारांकित प्रश्न २७–२८ के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अधिकांश रूप में मल ढक्कनदार तथा बन्द बाल्टियों में ले जाया जाता है परन्तु कुछ सफाई मजदूर अब भी खुली बाल्टियों में धूल ढंक कर मल ले जाते हैं। इस पद्धति को रोकने का प्रयत्न महापालिका कर रही है। कूड़ा ट्रकों में भर कर और त्रिपाल से ढंक कर भराव के स्थान पर पहुंचाया जाता है।

*३३—श्री हमीद खां—क्या स्वायत्त शासन मंत्री को सूचना है कि हाल ही में नगरमहापालिका कानपुर के सफाई मजदूरों को भी अन्य कर्मचारियों की तरह रविवार को छुट्टी दी जाने लगी है जिससे रविवार के दिन शहर की सफाई नहीं होती ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सफाई मजदूरों को बारी-बारी से साप्ताहिक अवकाश दिया जाता है तथा सफाई का कार्य रविवार को भी नियमित रूप से दोनों समय होता है।

सिंगारघाट पुल के निकट वन पर अधिकार

*३४—श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में सिंगार घाट पुल (बिसवाई नदी) से मिला हुआ जंगल किसी व्यक्ति ने अपने नाम बाग दर्ज करा लिया है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री अलगूराय शास्त्री—जी हां। गोंडा जिले में सिंगार घाट पुल (बिसवाई नदी) से मिले हुये वन में स्थित ग्राम हथनीखास तथा तेजपुर में कुछ क्षेत्र, जो सरकारी विज्ञप्ति संख्या १८०१/१४—७६-५४, दिनांक १९ अप्रैल, १९५४ द्वारा वन घोषित कर दिया गया था, वन बन्दोबस्त अधिकारी, गोंडा के फैसले दिनांक २१ मई, १९५९ के अनुसार एक व्यक्ति के नाम बाग दर्ज किया गया है।

*३५—श्री ईश्वरशरण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त जंगल का रकबा क्या है तथा उसमें किस-किस प्रकार के पेड़ हैं ?

श्री अलगूराय शास्त्री—उपरोक्त क्षेत्र का रकबा ३०१.०३ एकड़ है व उसमें अधिकतर महुआ तथा कुछ जामुन व कोकाट के पेड़ हैं।

रीजनल फूड कन्ट्रोलर आफिस के पुराने क्लर्क

*३६—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५८-५९ से ३१ मई, १९६२ तक कितने ऐसे कर्मचारी रीजनल फूड कन्ट्रोलर आफिस में हैं, जिनको एक ही स्थान पर कार्य करते हुये ३ वर्ष से ऊपर हो गये हैं और क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—रीजनल फूड कंट्रोलर के कार्यालयों में २०५ ऐसे कर्मचारी हैं जिनको एक ही स्थान पर कार्य करते हुए ३ वर्ष से ऊपर हो गये हैं क्योंकि ऐसा होने पर कोई अनियमितता नहीं हो रही है।

*३७—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उपरोक्त कर्मचारियों का तबादला कब तक हो जायेगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इन कर्मचारियों का तबादला करने का विचार नहीं है।

बड़ा गांव बाजार को टाउन एरिया बनाने की प्रार्थना

*३८—श्री ऊदल—क्या सरकार बड़ा गांव बाजार तहसील व जिला वाराणसी को टाउन एरिया बनाने पर विचार कर रही है क्योंकि इसकी आबादी ५ हजार के ऊपर है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं।

दहगवां ब्लाक में सीमेंट के परमिट

*३९—श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं के ब्लाक दहगवां में जो सीमेंट के परमिट कुओं के बनाने के हेतु दिये गये हैं तो उस सीमेंट से कितने कुयें बन कर तैयार हो गये हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जो सीमेंट कुयें बनाने हेतु दी गई उससे ५५ कुयें तैयार हो गये हैं।

*४०—श्री उल्फतसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ब्लाक दहगवां, जिला बदायूं में कितने सीमेंट के परमिट मकान बनाने को १९६१-६२ में दिये गये हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—ब्लाक दहगवां, जिला बदायूं में सन् १९६१-६२ में २१ सीमेन्ट के परमिट मकान बनाने के लिये दिये गये।

मैनपुरी जिले के फारेस्ट विभाग में परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के कर्मचारी

*४१—श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)—क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जिले के फारेस्ट विभाग में नीचे लिखे पद पर कितने व्यक्ति इस समय कार्य कर रहे हैं और उनमें से क्रमशः कितने परिगणित तथा पिछड़े वर्ग से हैं ? (क) फारेस्ट गार्ड, (ख) कैटिल गार्ड, (ग) क्लर्क (फारेस्ट), (घ) चपरासी, (ङ) रेंजर।

श्री अलगू राय शास्त्री—वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १८७ पर)

*४२-४३—श्री शिवचरण (जिला आगरा)—[९ अगस्त, १९६२ के प्रश्न ३०६-३०७ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

नगरपालिका मुरादाबाद का अवक्रमण

*४४—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका मुरादाबाद को किस तारीख को भंग किया गया था और भंग करने के क्या कारण थे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अपने अधिकारों का अतिक्रमण करने तथा कर्तव्यों के पालन में बराबर अवहेलना करने के कारण २० सितम्बर, १९५७ से अवक्रान्त किया गया था।

*४५—श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस समय तक कितनी बार नगरपालिका, मुरादाबाद में सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर का समय बढ़ाया गया है और क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अवधि को जनहित में तीन बार बढ़ाया गया है।

*४६—श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि नगरपालिका, मुरादाबाद का अन्तिम बढा हुआ टाइम कब खत्म हो रहा है और क्या उत्तर प्रदेश में नगरपालिकाओं के चुनाव के साथ-साथ मुरादाबाद नगरपालिका का चुनाव भी होगा ? यदि हां, तो यह चुनाव कब तक होंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—नगरपालिका, मुरादाबाद के अवक्रमण की अन्तिम बढाई गई अवधि प्रदेश में म्युनिसिपल सामान्य निर्वाचन होने तक है और उत्तर प्रदेश में नगर-पालिकाओं के सामान्य निर्वाचन के साथ-साथ मुरादाबाद नगरपालिका का भी चुनाव होगा। उक्त सामान्य निर्वाचन की तिथि अभी पूर्णरूप से निश्चित नहीं हुई है।

ढोया गया कोयला

*४७—श्री शिवचरण—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिछले छः माह में प्रदेश को ढोये गये कोयले के मासिक आंकड़े क्या हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १८८ पर)

दिया ग्राम के हरिजनों का प्रार्थना-पत्र

*४८—श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम दिया, तहसील खटीमा, जिला नैनीताल के हरिजन काश्तकारों का कोई प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वह क्या है और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

*४९—क्या सरकार उक्त हरिजन काश्तकारों को उक्त ग्राम दिया कि भूमि पर से हटाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उनको दूसरे स्थान पर बसाने की कोई व्यवस्था बनाई है ?

*५०—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त ग्राम में कुल कितने एकड़ भूमि बन्जर व परती पड़ी हुई है और उक्त परती भूमि पर भूमि-हीनों को बसाने की कोई स्कीम सरकार के विचाराधीन है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

कानपुर के कारखानेदारों को क्वार्टर्स बनवाने के लिये जमीन

*५१—श्री सन्तसिंह यूसुफ—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले कुछ वर्षों में कानपुर के कारखानेदारों को नगरपालिका द्वारा अत्यन्त सस्ते दामों पर जमीन मजदूरों के लिये क्वार्टर्स बनाने के लिये दी गई थी ? यदि हां, तो उन कारखानेदारों के नाम क्या ह तथा उनको कितनी-कितनी जमीन किस दर से दी गई है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सूचना एकत्र की जा रही है।

*५२—श्री सन्तसिंह यूसुफ—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त कारखानेदारों ने उन जमीनों पर अब तक क्वार्टर्स बनाये या नहीं ? यदि हां, तो कितने तथा क्या ? उनमें बिजली पानी आदि की समुचित व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सूचना एकत्र की जा रही है।

बवां ग्राम में वनारोपण के लिये गड्ढे

*५३—श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वन विभाग की ओर से ग्राम बवां परगना पश्चिम राठ तहसील बीकापुर जिला फैजाबाद की आबादी से मिलाकर गड्ढे खोद दिये गये हैं और आबादी के रहने वालों तथा जानवरों के निवास व चारागाह के लिये आबादी से मिली हुई जमीन छोड़ी गई है तथा रहने वालों के लिये गड्ढों के कारण स्थायी परेशानी हो गई है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—ग्राम बवां में वनारोपण क्षेत्र ग्राम के निकट है। उसी क्षेत्र में ग्रामवासियों की सुविधाओं का विचार रखते हुए वनारोपण के लिये भूमि तैयार की गई जहां पर भी प्लान्टेशन के लिये गड्ढे खोदे गये थे उनमें वृक्ष लगा दिये गये हैं। इस प्लान्टेशन क्षेत्र के अन्दर चार रास्ते गांव वालों की सुविधा के लिये दिये गये हैं और १५१·८२ एकड़ भूमि गांव वालों के चर गाह के लिये प्लान्टेशन के चारों ओर छोड़ी हुई है। अतएव गांव वालों को कोई स्थायी परेशानी नहीं हो सकती है।

प्रोबेशन बोर्ड, मथुरा के समक्ष कैदियों के प्रार्थना-पत्र

*५४—श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—क्या जेल मंत्री कृपया बतायेंगे कि १ जनवरी सन् १९६१ से लगायत ३१ मार्च सन् १९६२ तक प्रोबेशन बोर्ड, उत्तर प्रदेश के समक्ष मथुरा, जिले से कैदियों के कुछ आवेदन-पत्र आये हैं ? यदि हां, तो उन पर कौन-सी कार्यवाही हुई है ?

श्री गोविन्दसहाय—जी हां। कुछ को लाइसेन्स पर मुक्त करने, कुछ को कुछ समय पश्चात अथवा कुछ शर्तें पूरी होने पर मुक्त करने तथा कुछ को स्थगित किए जाने के आदेश दिये गए।

मुरादाबाद में सफाई संघ की मांगें

*५५—श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुरादाबाद शहर में सफाई कर्मचारियों ने कोई मांग जिलाधीश अथवा स्वास्थ्य अधिकारियों को हाल में दी है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—मुरादाबाद शहर के सफाई कर्मचारियों ने हाल में कोई मांग जिलाधीश व सफाई अधिकारियों को नहीं दी। हां, श्री रामप्रसाद सेवक, जो कि अपने को सफाई संघ का मंत्री कहते हैं, ने कुछ मांग दी है।

*५६—श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह—यदि हां, तो वह मांग क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्री रामप्रसाद सेवक ने १० मांगें दी थीं जो कि संलग्नक में दी हुई हैं। नगरपालिका मांगों में कही गई सुविधाओं को पहले से ही दे रही है और मांग संख्या ७ पर विचार कर रही है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १८९ पर)

केन्द्रीय कारागार, आगरा

*५७—श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा की (Central Jail) को जिला जेल के समीप नई बिल्डिंग बनाकर ले जाने की योजना थी वह कब तक कार्यान्वित होगी ?

श्री गोविन्दसहाय—केन्द्रीय कारागार, आगरा को दूसरी जगह ले जाने की योजना को कार्यान्वित करना सम्भव नहीं है।

*५८—श्री छत्रपति अम्बेश—क्या सेन्ट्रल जेल की बिल्डिंग व जमीन पर कोई मार्केट बनाने की योजना है ?

श्री गोविन्दसहाय—जी नहीं।

आगरा नगरमहापालिका के सफाई कर्मचारी

*५९—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हेल्थ मैनुअल के अनुसार आगरा नगरमहापालिका में मेहतर, भिश्ती, जमादार, इंस्पेक्टर्स व चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टरों की संख्या कितनी होनी चाहिये और इस समय कितनी है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सूचना एकत्र की जा रही है।

*६०—श्री बालोजी अग्रवाल—[९वें गुरुवार के लिये प्रश्न २२० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

कोसी से कोल डिपो के लिये प्रार्थना-पत्र

*६१—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मथुरा के कोसी कलां नगरपालिका कस्बे में कोई कोयले का डिपो दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इस कस्बे में कोई भी साफ्ट कोक का डिपो नहीं दिया गया है क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने राज्य के कोयले के कोटे में कटौती कर ली है।

*६२—श्री लखीसिंह—क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोसी के दुकानदार तथा जनता के सरकार के पास प्रार्थना-पत्र आये हैं कि सरकार कोयले का डिपो वहां खोलने की स्वीकृति प्रदान करे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जिलाधीश द्वारा ऐसी प्रार्थना प्राप्त हुई थी जो कि कोयले के अभाववश अस्वीकार कर दी गयी।

नगरपालिकाओं के चुनाव

*६३—श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की नगरपालिकाओं के चुनाव निर्धारित समय पर होने जा रहे हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अभी आम चुनाव होने की तारीख फाइनल (final) तौर पर तय नहीं हुई है।

*६४—श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—[हटा दिया गया।]

सीतापुर में गैर-कानूनी टिन

*६५—श्री अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—क्या सरकार यह बताने कृपा करेगी कि माह मई, सन् १९६२ में सीतापुर शहर में किसी दुकानदार के यहां गैर-कानूनी टिन पकड़ी गई है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सीतापुर शहर में मई सन् १९६२ में एक दूकानदार के यहां गैर-कानूनी टिन की चद्दरें पकड़ी गई हैं। इनकी संख्या १५६ है।

सिकरौढ़ा ग्राम, खानकाह के ट्रस्टियों की प्रार्थना

*६६—श्री जगदीशनारायण सिनहा (जिला सहारनपुर)—क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि सिकरौढ़ा ग्राम, तहसील रुड़की, जिला सहारनपुर में स्थित ऐतिहासिक खानकाह के वक्त के जंगलों तथा वन सम्पत्ति के बेचने से जो कीमत प्राप्त हुई उसे वक्फ को देने की प्रार्थना पर कोई कार्यवाही सन् ६० से अब तक नहीं की गई है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—जी हां। इसका कारण यह है कि वक्फ खानकाह के ट्रस्टियों ने वन विभाग के विरुद्ध एक मुकदमा दायर कर दिया है जो कि सहारनपुर में सिविल जज रुड़की के न्यायालय में विचाराधीन है।

*६७—श्री जगदीशनारायण सिनहा—क्या यह भी सत्य है कि धन अभाव के कारण यह मशहूर खानकाह शोचनीय दशा में हो गई है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—आवश्यक सूचना एकत्र हो रही है।

आजमगढ़ जिले में लोहा, कोयला, सीमेंट का लाइसेंस

*६८—श्री सुरजन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में लोहा, कोयला, सीमेन्ट का लाइसेन्स कितने आदमियों को दिया गया है ? उनके क्या नाम हैं पूरे कोटे को देखते हुये हरिजनों को कितने लाइसेन्स दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—आजमगढ़ जिले में लोहा, कोयला और सीमेन्ट के लाइसेन्सों की संख्या निम्नलिखित है :—

लोहा	२
सायट कोक	१०
स्थायी भट्टे	६०
अस्थायी भट्टे	१०७
सीमेन्ट	६९

इनके नाम संलग्न तालिका † में दिये हैं। केवल भट्टे का एक अस्थायी लाइसेन्स हरिजन को दिया गया है। इसके अतिरिक्त और कोई लाइसेन्स नहीं दिया गया क्योंकि किसी हरिजन ने इस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र नहीं दिया।

झांसी नगरपालिका के दो सदस्यों के विरुद्ध शिकायत

*६९—श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि झांसी नगरपालिका के दो सदस्यों के विरुद्ध पुलिया नं० ९ झांसी के श्री बैजनाथ होटलवाले ने दिनांक २८ मार्च, १९६१ को जिलाधीश झांसी को मय हलफनामों के एक शिकायती पत्र इस आशय का दिया था कि उससे नगरपालिका के दो सदस्य जबरदस्ती से १०० रुपया रिश्वत ले रहे हैं ? यदि यह सत्य है तो जिलाधीश द्वारा उन सदस्यों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई व उन सदस्यों के क्या नाम थे व किस राजनैतिक पार्टियों से उनका सम्बन्ध था ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां। शिकायत सर्वश्री श्रीराम बट्टा व ओम प्रकाश कपूर, सदस्यों के विरुद्ध थी। जिलाधीश झांसी ने पुलिस द्वारा उक्त आरोप की जांच कराई मगर आरोप सत्य न पाये जाने पर सदस्यों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। ये सदस्य कांग्रेस दल के थे।

*७०-७१—श्री धूमप्रसाद (जिला फैजाबाद)—[हटा दिये गये।]

बरेली जेल में असावधानी की शिकायत

*७२—श्री मुहम्मद हुसैन (जिला बरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९६१-६२ में कितने जमानतों के परवाने जिला बरेली में मेजिस्ट्रटों के न्यायालयों से जेल में गलत पहुंचे जिनके कारण मुलजिमों की रिहाई उस दिन न हो सकी ?

---

† तालिका छापी नहीं गई।

*७३—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त मुलजिमों को परवाने के साथ न्यायालय में भेजा गया या नहीं ?

*७४—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त जेल कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गोविन्दसहाय—सूचना एकत्र की जा रही है।

मिर्जापुर में कोयले की कमी की शिकायत

*७५—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर में कोयले की कमी के कारण बर्तनों का व्यापार ठप्प हो गया है और हजारों मजदूर बेकार हो रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या किया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। अतः शेष प्रश्न नहीं उठता।

बहराइच नगरपालिका का अवक्रमण

*७६—श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका बहराइच को सुपरसीड करने का क्या कारण था और उस पर क्या चार्ज लगाये गये ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—बहराइच नगरपालिका बोर्ड के प्रशासन का निरन्तर ह्रास तथा बोर्ड द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग और उनका अतिक्रमण करना ही नगरपालिका बहराइच को सुपरसीड करने के कारण थे।

बहराइच नगरपालिका पर जो चार्ज लगाये गये थे उनकी एक प्रति† संलग्न है।

*७७—श्री रघुवीर—[१० वें गुरुवार के लिये प्रश्न ११५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

दिया ग्राम की भूमि

*७८—श्री कैलाश (जिला देवरिया)—क्या सरकार ग्राम दिया, तहसील खटीमा (नैनीताल) के हरिजन काश्तकारों को उस ग्राम की भूमि पर से हटाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उनको दूसरे स्थान पर बसाने की कोई व्यवस्था बनाई है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

*७९—श्री कैलाश—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त ग्राम में कुल कितने एकड़ भूमि बन्जर व परती पड़ी हुई है और उक्त परती भूमि पर भूमिहीनों को बसाने की कोई स्कीम सरकार के विचाराधीन है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रान्तीय रक्षक दल कार्यालय, लखनऊ में नियुक्तियों में अनियमितता

*८०—श्री सूरजलाल (जिला गोंडा) तथा श्री जगन्नाथराव (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कपा करेगी प्रान्तीय रक्षक दल प्रधान कार्यालय, लखनऊ में पैरा ५२ मैनुअल आफगवर्नमेंट आडर्स का उल्लंघन हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

---

†छापी नहीं गई।

श्री गोविन्दसहाय—प्रान्तीय रक्षक दल के प्रधान कार्यालय में केवल ४ ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी नियुक्ति मैनुअल आफ गवर्नमेंट आर्डर्स के पैरा ५२ के प्राविधान के विरुद्ध कही जा सकती है, किन्तु इन व्यक्तियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर की गई है।

फतेहपुर जिले में कोयला, सीमेंट, लोहे के लाइसेंसी

*८१—**श्री रक्षपालसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला फतेहपुर में कोयले, सीमेंट तथा लोहे के लाइसेंस होल्डर्स वर्तमान समय में कौन से व्यक्ति अथवा फर्म हैं? फर्मों के प्रोप्राइटर्स कौन व्यक्ति हैं तथा वह लाइसेंस उन व्यक्तियों अथवा फर्मों को कितने दिनों से मिले हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १९० पर)

*८२-८३—**श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय** (जिला गोरखपुर)—[९वें शुक्रवार के लिये प्रश्न ७२-७३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

लखनऊ जेल की इमारत

*८४—**श्री टम्बेश्वरीप्रसाद तथा श्री सुखलाल** (जिला लखनऊ)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ जेल की लगभग २३० फीट दीवाल इसी बरसात में गिर गई है और पूरी इमारत बहुत ही कमजोर है?

श्री गोविन्दसहाय—जी हां, किन्तु पूरी इमारत बहुत ही कमजोर है ऐसा नहीं है।

*८५—**श्री टम्बेश्वरीप्रसाद तथा श्री सुखलाल**—यदि हां, तो सरकार इसके लिये कोई उपयुक्त व्यवस्था की योजना बना रही है?

श्री गोविन्दसहाय—गिरी हुई दीवाल फिर से बनाई जा रही है। इस जेल की कुछ कमजोर इमारतों को गिराकर फिर से बनवाने का प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है।

कथित राजनीतिक बन्दी

*८६—**श्री भीखालाल**—क्या सरकार बताने की करेगी प्रदेश में कितने ऐसे राजनैतिक बन्दी हैं जो लम्बी सजायें काट रहे हैं और उनके नाम क्या हैं और उनकी कितनी-कितनी सजायें हैं?

श्री गोविन्दसहाय—चूंकि किसी को राजनैतिक बन्दी नहीं माना जाता, अतः यह प्रश्न नहीं उठता?

*८७—**श्री भीखालाल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने ऐसे राजनैतिक बन्दी हैं जिनको उत्तर प्रदेश में लम्बी सजायें हुई थीं और वह अन्य प्रदेशों की जेलों को हस्तांतरित कर दिये गये थे और उनके नाम क्या हैं और वे किन-किन जेलों में हैं और उनकी सजायें कितनी-कितनी हैं?

श्री गोविन्दसहाय—यह प्रश्न भी नहीं उठता।

*८८—**श्री भीखालाल**—क्या सरकार उन बन्दियों को छोड़ने का विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्दसहाय—यह प्रश्न भी नहीं उठता।

कानपुर नगरमहापालिका का सिटी ट्रान्सपोर्ट विषयक पत्र

*८९—श्री सन्तसिंह यूसुफ—क्या सरकार के पास नगरमहापालिका, कानपुर द्वारा कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थना की गई है कि सरकार सिटी ट्रांसपोर्ट का प्रबन्ध अपने हाथ में ले या नगरमहापालिका को कर्जा दे ? यदि हां, तो सरकार उक्त प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां। यह विषय शासन के विचाराधीन है।

श्री श्यामाधीन, असिस्टेंट सेल्स आफिसर, इवैक्यूई प्रापर्टी, इलाहाबाद के विरुद्ध कार्यवाही

*९०—श्री बृजेश्वरसहाय (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद में सन् १९५८ से सन् १९६० तक श्री श्यामाधीन, असिस्टेंट सेल्स आफिसर, इवैक्यूई प्रापर्टी के थे और उन्होंने अपने कार्यकाल में सरकारी धन का दुरुपयोग किया था जिसकी बहुत सी शिकायतें थीं ? उसपर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री गोविन्दसहाय—जी हां, श्री श्यामाधीन के विपरीत उक्त अवधि में सरकारी धन के दुरुपयोग सम्बन्धी बहुत सी शिकायतें रहीं। इन शिकायतों की जांच-पड़ताल के फलस्वरूप उन्हें मैनपुरी कलेक्टरी में अपने स्थायी कर्मचारी (क्लर्क) के पद पर १-६-१९६० से प्रत्यावर्तित कर दिया गया। उन पर चार्जशीट भी लगाई गई है और अनुशासन की कार्यवाही जारी है।

*९१—श्री बृजेश्वरसहाय—क्या सरकार बतायेगी कि इस समय श्री श्यामाधीन कहां पर और किस पोस्ट पर कार्य कर रहे हैं ?

श्री गोविन्दसहाय—श्री श्यामाधीन इस समय मैनपुरी कलेक्टरी में लोकल वाडीज क्लर्क के पद पर कार्य कर रहे हैं ?

*९२—श्री बृजेश्वरसहाय—क्या सरकार बतायेगी कि श्री श्यामाधीन असिस्टेंट सेल्स आफीसर की पोस्ट से पूर्व जब वह इन्सपेक्टर इवैक्यू प्रापर्टी थे उस समय भी जनता द्वारा इनकी शिकायतें थीं उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की थी ?

श्री गोविन्दसहाय—श्री श्यामाधीन की, जब वे पहले ज्येष्ठ निरीक्षक, निष्क्रान्त संपत्ति, मैनपुरी के पद पर थे, जनता द्वारा शिकायतों के संबंध में सहायक संरक्षक, निष्क्रांत संपत्ति कार्यालय में कोई कागजात नहीं है।

कानपुर जिले में फैब्रीकेटर्स

*९३—श्री ज्वालाप्रसाद (जिला कानपुर)—क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की कानपुर शहर तथा देहात में लोहे का कोटा प्राप्त करने वाले अलग-अलग कितने फेब्रीकेटर्स हैं क्या उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—कानपुर शहर तथा देहात में लोहे का कोटा प्राप्त करने वाले फैब्रीकेटरों की संख्या क्रमश : १९५ और २ हैं। इनकी सूची† संलग्न है।

*९४—श्री ज्वालाप्रसाद—क्या खाद्य मंत्री को यह जानकारी है कि बहुत से फैब्रीकेटर्स ऐसे भी हैं जिन के पास निज के कोई कारखाने नहीं हैं तथा कुछ फेब्रीकेटर्स विभिन्न उद्योग के नाम से कई-कई लोहे के कोटे प्राप्त कर रहे हैं ?

---

*सूची छापी नहीं गई।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि बहुत से फैब्रीकेटर्स ऐसे भी हैं जिनके पास निज के कारखाने नहीं हैं।

कुछ पुराने फैब्रीकटर्स ऐसे हैं जो विभिन्न उद्योगों के नाम से एक से अधिक लोहे के कोटे प्राप्त कर रहे हैं।

सहकारी संघ डेरवा, गोरखपुर को धान कुट्टी मशीन का परमिट देने पर विचार

*९५--**श्री अष्टभुजा** (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि धान कूटने की कोआपरेटिव सोसाइटीज को धान कुट्टी मशीन लगाने को प्रोत्साहन देती है? यदि हां, तो क्या डेरवा प्रोसेसिंग सोसाइटी, गोरखपुर को लाइसेंस प्राप्त हुआ है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी हां, सहकारी समितियों को अन्य प्रार्थियों की अपेक्षा धान कुट्टी मशीन लगाने के लिये परमिट देने में प्राथमिकता देकर प्रोत्साहन दिया जाता है।

सहकारी संघ डेरवा, गोरखपुर को अभी लाइसेंस नहीं दिया गया है क्योंकि अभी इस संघ को धान कुट्टी मशीन लगाने के परमिट देने का मामला विचाराधीन है।

कालपी में सड़क के अनुदान का दुरुपयोग

*९६--**श्री शिवसम्पति शर्मा** (जिला जालौन)---क्या सरकार को सूचना है कि पिछले माननीय गवर्नर महोदय, जब कालपी गये थे, तो व्यास जी के जन्म-स्थान तक सड़क निर्माण कराने का आश्वासन दे आये थे?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी हां। उक्त सड़क के लिये राजकीय अनुदान देने की बात कही थी।

*९७--**श्री शिवसम्पति शर्मा**---क्या यह सही है कि पन्द्रह हजार रुपया पहली किश्त में सरकार ने भेजा भी है लेकिन यह रुपया आज तक उस समय के चेयरमैन ने उस सड़क पर खर्च न करके नौकरों के तनख्वाह में खर्च कर दिया?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--पन्द्रह हजार नहीं बल्कि १८ हजार रुपये का अनुदान इस सड़क के निर्माण के लिये वर्ष १९५९-६० में सरकार द्वारा दिया गया। यह सूचना मिली है कि उक्त धनराशि जिस कार्य के लिये दी गई थी उसके प्रयोग में नहीं लाई गई।

*९८--**श्री शिवसम्पति शर्मा**---क्या सरकार उस चेयरमैन से, जिसने अनियमित रूप से यह रुपया दूसरे मदों में बिना बोर्ड व सरकार के स्वीकृति के खर्च कर दिया है, सरचार्ज के रूप में वसूल करने की कार्यवाही करेगी जिससे वह अधूरा पवित्र कार्य पूरा हो जावे?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--प्रश्न के इस पहलू पर अभी विचार नहीं हुआ है।

*९९-१००--**श्री मैनेजरसिंह**---[९वें मंगलवार के लिये प्रश्न ७४-७५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

शाहजहांपुर में ओवर ब्रिज बनाने की योजना

*१०१--**श्री रफी खां** (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि शाजहांपुर शहर में रेलवे लाइन पर किसी ओवर ब्रिज (over bridge) की कोई स्कीम चल रही है? अगर चल रही है, तो वह पुल कब तक बन जायगा और उसको बनाने के लिये कौन सी जगह तजवीज की गई है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां। अभी पुल की ओर जानेवाली सड़कें (approach Roads) बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इनके बन जाने पर ही ओवर ब्रिज बनाने का प्रश्न उठेगा। यह पुल उस रेलवे क्रासिंग के स्थान पर बनाने का विचार है जो नगर को दो भागों में बांटता है।

अतारांकित प्रश्न

कानपुर में किदवई उपनगर के समीप का जंगल

१—**श्री गोपीनाथ दीक्षित** (जिला उन्नाव)—क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर की नवविकसित उप नगरी किदवई नगर स्थित जंगल के कारण वहां के नागरिकों को असुरक्षा का घोर संकट है और क्या इस जंगल के सार्वजनिक उपयोग की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है जिससे जंगल स्थित चोरों का अड्डा समाप्त हो सके ?

श्री अलगूराय शास्त्री—किदवई उप नगर के समीप जंगल में, जो जूही वन के नाम से पुकारा जाता है, हानिकारक वन्य जन्तुओं का कोई निवास-स्थान नहीं है और न इस जंगल में चोर, डाकू, या असामाजिक व्यक्तियों के अड्डे बनाने की किसी घटना का कोई समाचार अभी तक प्राप्त हुआ है। फिर भी इस जंगल के सार्वजनिक उपयोग में लाने के लिये एक योजना बनाई गई है।

फारेस्टरों के नियुक्ति नियम

२—**श्री नरसिंहनारायण पण्डेय**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फारेस्टरों की नियुक्ति के क्या नियम हैं और कितने प्रतिशत विभागीय पदोन्नति से लिये जाते हैं, और कितने सीधे ?

श्री अलगूराय शास्त्री—सम्बन्धित नियमों की प्रति संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ १९१ पर)

उन्नाव जिले में ईंट के भट्ठे

३—**श्री भीखालाल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले में कितने लाइसेंस प्राप्त ईंट के भट्ठे चल रहे हैं, जिनको परमिट पर कोयला दिया जाता है और वे कहां-कहां हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ १९२ पर)

४—**श्री भीखालाल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खाद्य परामर्श-दात्री समिति ने कुछ अन्य स्थानों पर भट्टे खोलने की सिफारिश की है ? यदि हां, तो कब की है और उस पर अब तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जिला खाद्य परामर्श दात्री समिति ने अपनी बैठक दिनांक १९ दिसम्बर, १९६१ को मियागंज तहसील हसनगंज में श्री रामरतनसिंह के नाम एक 'बी' क्लास के भट्टे की सिफारिश की थी जिसको कि प्रान्तीय लोहा तथा इसपात नियन्त्रक ने कोयले की कमी तथा भट्टे का कोई रिक्त स्थान न होने के कारण अस्वीकृत कर दिया।

झांसी में डिप्टी रीजनल फूड कन्ट्रोलर की पोस्ट

५—**श्री मतोलासिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी में डिप्टी रीजनल फूड कन्ट्रोलर की पोस्ट अभी जारी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां।

६—**श्री मतोलासिंह**—क्या सरकार को यह भी पता है कि यह पोस्ट मई सन् १९५९ में जब गेहूं की लेवी स्कीम खुली थी उसका निर्माण हुआ था किन्तु २ साल से गेहूं की लेवी स्कीम खत्म कर दी गई है पर पोस्ट ज्यों की त्यों है इसका क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां।

डिप्टी रीजनल फूड कंट्रोलर, झांसी का पद कायम रखना आवश्यक था क्योंकि उनके नियंत्रण में बांदा जिले में भारी मात्रा में चावल की खरीद होती है। यह आफिसर गल्ले के भावों पर नजर रखते हैं और रीजनल फूड कंट्रोलर के परामर्श से भावों में स्थिरता लाने की कोशिश करते हैं। वे कंट्रोल आर्डर्स के समुचित पालन की देखरेख के अलावा गल्ले की समीपवर्ती राज्य (मध्य प्रदेश) में निकासी पर भी नियंत्रण रखते हैं।

७—**श्री मतोलासिंह**—क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि सन् १९५४ व १९५५—५६ व १९५७ ई० में प्राइस सपोर्ट स्कीम चलाई गई थी उस वक्त सरकार ने कितना गल्ला खरीदा था ? क्या उस वक्त यह पोस्ट थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—प्राइस सपोर्ट स्कीम सन् १९५५ में चलाई गई थी। सन् १९५५—५६ में ५३,२७१ टन गेहूं, १४,९१५ टन ज्वार और ८१ टन चना खरीदा गया। सन् १९५४ और १९५७ में गल्ले की खरीद नहीं हुई थी। उस समय यह पोस्ट नहीं थी।

८—१०—**श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर**—[३ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

११—१३—**श्री मतोलासिंह**—[३ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

१४—१७—**श्री नरसिंहनारायण पांडेय**—[३ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

†राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या १६८८१/३८३(डी)—६१, दिनांक १९ मई, १९६२ के अधीन प्रख्यापित संशोधन

माल मंत्री के सभासचिव (श्री बृजबिहारी)—श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश के अधीन प्रख्यापित संशोधन नगर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ के अध्याय २३ और ४ के अधीन बनी नियमावली में राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या १६८८/१(क)—३८३—(डी)—६१, दिनांक १९ मई, १९६२ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उक्त अधिनियम की धारा ८६ की उपधारा (६) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (जन्म-मृत्यु पंजीयन) †नियमावली, १९६२

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—श्रीमन्, मैं नगरपालिका विभाग के शुद्धि-पत्र संख्या १७७—पनि/१५ ग्रुप (१)—११(ग) (१) कार्य १७—५७, दिनांक २६ जून, १९६२ के साथ पठित एवं नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या १७७—पनि/१५ ११—ग (१)—कार्यों—१७—५७, दिनांक १० मई, १९६२ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (जन्म मृत्यु पंजीयन) नियमावली, १९६२ को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

---

†छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (सदस्यता के सम्बन्ध में विवादों के निपटारे की) नियमावली, १९६२ में प्रख्यापित संशोधन†

श्रम मंत्री के सभा-सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति, (सदस्यता के सम्बन्ध में विवादों के निपटारे की) नियमावली, १९६२ में पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३०४२—ए/३३—२८-आर—६२, दिनांक २८ जुलाई, १९६२ के अधीन प्रख्यापित संशोधन को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (प्रमुखों तथा उप-प्रमुखों के निर्वाचन और निर्वाचन विवादों के—निपटारे की) नियमावली में प्रख्यापित संशोधन†

श्रम मंत्री के सभा-सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (प्रमुखों तथा उप-प्रमुखों के निर्वाचन और निर्वाचन विवादों के निपटारे की) नियमावली, १९६२ में पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या २७६३—ए/३३—१९—आर—६१, दिनांक ७ जुलाई, १९६२ के अधीन प्रख्यापित संशोधन को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर का कारोबार सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लाभ हानि का विवरण तथा लेखा परीक्षकों का निरीक्षण प्रतिवेदन†

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—श्रीमान्, मैं उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर के ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त हुये वर्ष के लिये कारोबार संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन लाभ हानि का विवरण तथा लेखा परीक्षकों का निरीक्षण प्रतिवेदन, को स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन्स ऐक्ट, १९६१ की धारा ३७ की उपधारा (७) एवं धारा ३८ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का १९६२—६३ का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के १९६२—६३ का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र को इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८ की धारा ६१ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

---

†छापे नहीं गये ।

पंचायतराज रूल्स में प्रख्यापित संशोधन†

श्रम मंत्री के सभा-सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—श्रीमन्, मैं पंचायत राज रूल्स पंचायतराज विभाग की विज्ञप्तियों संख्या २०४४-प/३३-२८३-६१, दिनांक २३ अप्रैल, १९६२ एवं संख्या ३७४-प/३३-१५५-६१, दिनांक २५ अप्रैल, १९६२ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को यू० पी० पंचायतराज ऐक्ट, १९४७ की धारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री नवरंगसिंह (जिला गोंडा)—अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री महोदयों ने जो यह कहा कि सदन की मेज पर रखा है, तो वह न तो मेज पर हैं और न उन खोखलों में ही है । मैं देख कर आया हूं, वहां कुछ भी नहीं है और न यहीं मेज पर कुछ है ।

श्री अध्यक्ष—वह आप के पीजन होल से गायब हो गया होगा, मैं आपको बता दूं कि कभी-कभी गलती से एक दूसरे के पीजन होल्स से लोग निकाल लेते हैं, उस से जरा दिक्कत हो जाती है और थोड़ी सी अव्यवस्था हो जाती है । जिनको नहीं मिली है वह नोटिस आफिस ले लें ।

पूर्वी जिलों में मजदूरों के सम्बन्ध में अभिकथित जारी किये गये सरकारी सर्कुलर के बारे में जानकारी की मांग

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मैं आपके जरिये सरकार से एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं ? इधर कई जिलों में इस बात की चर्चा है और समाचार-पत्रों में भी खबर छपी है कि सरकार ने किसी प्रकार का कोई सर्कुलर जिलों को जारी किया है, जिसमें इस बात की अपेक्षा की गई है कि जिलाधिकारी इस बात को देखें, कि श्री विश्वनाथसिंह गहमरी, जो कांग्रेस की ओर से पार्लियामेंट के सदस्य हैं उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में २ से ४ पैसे जो मजदूरी दी जाती है उसकी तरफ केन्द्रीय प्लानिंग मंत्री तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ध्यान आकर्षित किया है, यह तमाम बातें गलत साबित की जा सकें और यह साबित हो कि इतनी कम मजदूरी नहीं दी जाती है । तो मैं चाहता हूं सरकार की ओर से इसका स्पष्टीकरण किया जाय, क्योंकि सरकार जानबूझ कर तथ्यों को छिपाना चाहती है ।

श्री अध्यक्ष—यदि सरकार की तरफ से कोई मंत्री वक्तव्य देने के लिये इस समय तैयार हों मैं पूछे लेता हूं, अन्यथा यह प्रश्न अल्पसूचित करके आप पूछ लें, मैं स्वीकार कर लूंगा ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—इसी के संबंध में सुन लें श्रीमन्, इसमें अल्पसूचित का प्रश्न इसलिये नहीं पैदा होता, क्योंकि योजना मंत्री जो केन्द्र के हैं उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था कि वह पूर्वी जिलों को देखेंगे । तो सरकार बताये इस तरह का कोई आदेश निकला है ?

श्री अध्यक्ष—जो आप कहते हैं, वह ठीक है । लेकिन सरकार से सूचना प्राप्त करने का जो विधान बना हुआ है उसी विधान से सूचना मांग सकते हैं । उसी के द्वारा मांग लीजिये ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—श्रीमन्, मुझे यह प्रार्थना करनी है । गाजीपुर जिले में २ आना मजदूरी....

श्री अध्यक्ष—आप बैठें । जब समय आयेगा तब कहियेगा ।

---

†छापे नहीं गये ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---अगर राजस्व मंत्री जी स्पष्टीकरण करना चाहें तो कर दें ।

श्री अध्यक्ष---अगर वह उत्तर देना चाहते तो स्वयं खड़े हो जाते ।

रसद मन्त्री के विरुद्ध श्री उल्फतसिंह द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---माननीय उल्फतसिंह जी द्वारा एक विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी गई है जिसे मैंने अस्वीकार किया है लेकिन पढ़ कर सुना देना चाहता हूं ।

"मेरे विधान सभा के चौथे सोमवार के प्रश्न संख्या २४, २५ के उत्तर में खाद्य मंत्री माननीय नेगी द्वारा बताया गया था कि भट्ठे की स्वीकृति ३१-३-६२ को समाप्त हुई । परन्तु पुनः स्पष्टीकरण मांगने पर यह स्वीकार किया गया कि (छठे सोमवार के लिये निर्धारित प्रश्न) उसकी स्वीकृति ३१-६-६० को समाप्त हुई । और आगे के अंश का उत्तर अभी भी अस्पष्ट है ।

इस प्रकार माननीय मंत्री द्वारा सदन में अशुद्ध सूचनायें देने से माननीय मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उत्पन्न होता है ।"

मैंने मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण मांगा और मैं इससे संतुष्ट हूं कि जो सूचनायें दी थीं वे ठीक हैं । जो ३१ मार्च, १९६० के बारे में सूचना दी गई थी कि लाइसेंस समाप्त हुआ वह मेसर्स बृजपाल गिरेन्द्र पाल से संबंधित था । और दूसरी सूचना में जो कहा गया कि १९६२ में समाप्त हुआ है, वह मेसर्स चन्द्रपाल महेन्द्रपाल से संबंधित था ।

सूचनाओं में न कोई विरोध है और न अशुद्धि है, इसलिये मैंने इसको अस्वीकार किया है ।

१ अगस्त, १९६२ को स्वास्थ्य उप-मन्त्री द्वारा गलत उत्तर देने के सम्बन्ध में श्री उग्रसेन द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक सूचना माननीय उग्रसेन जी ने विशेषाधिकार की दी थी, मैं पढ़ दूं । "मैं आपकी आज्ञा से सदन के समक्ष निम्न विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न माननीय धर्मसिंह, स्वास्थ्य उप-मंत्री, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध प्रस्तुत करता हूं :

दिनांक १ अगस्त, १९६२ को विधान सभा में लखनऊ चिड़िया घर (जू) से प्रवेश फीस हटाने के संबंध में माननीय उप स्वास्थ्य मंत्री धर्मसिंह ने पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा था कि १९६१-६२ का अनुदान स्वीकृत करते समय राज्य सरकार ने लखनऊ चिड़िया घर से प्रवेश फीस हटाने के लिये कोई शर्त नहीं लगाई थी । उनका यह कहना जानबूझ कर सत्य को छिपाना है, क्योंकि १९६१-६२ के अनुपूरक अनुदान खंड १ के पृष्ठ ४० पर लखनऊ चिड़िया घर के अतिरिक्त अनुदान शीर्षक में लिखा है । इस प्रवेश फीस के लगाये जाने पर जनता ने आपत्ति की है अतः प्रबन्ध कर्त्ताओं ने प्रवेश फीस हटा देने का निश्चय किया, पुनः १९६२-६३ के बजट में बजट खंड ३ के पृष्ठ १०३ पर उक्त अनुदान के संबंध में लिखा है । १९५८ में जो प्रवेश टिकट लागू किया गया था उसे १९६१-६२ में जनता के निरन्तर मांग पर हटाना पड़ा ।,

इस प्रकार माननीय मंत्री जी का सदन के समक्ष वक्तव्य सत्य पर परदा डालता है ।,,

माननीय उप-मंत्री, स्वास्थ्य कृपया बतलायें कि उनको इस संबंध में क्या कहना है ।

चिकित्सा उप-मन्त्री (श्रीधर्म सिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उग्रसेन, सदस्य विधान सभा ने सदन में दिनांक ९ अगस्त, १९६२ को जो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न प्रस्तुत किया था उसके संबंध में निम्नलिखित वक्तव्य देता हूं :

दिनांक १ अगस्त, १९६२ को विधान सभा में श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे द्वारा पूछे गये श्न संख्या ४ का उत्तर देते समय जो प्रश्न पूछे गये थे उनका संबंध उस अनुदान से था जो १९६१–६२ में लखनऊ जू को दिया गया था । १९६२–६३ में नई मांगों द्वारा जो अनुदान मांगा गया था उसकी बात अनुपूरक प्रश्नों में नहीं आई थी । अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में सत्य को छिपाने की जानबूझ कर चेष्टा भी नहीं की गई और जो स्थिति थी उसको साफ साफ अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर द्वारा कह दिया गया था । जू में जो प्रवेश शुल्क लागू किया गया था उसे १९६१–६२ में जनता की निरन्तर मांग पर हटाना पड़ा । इसका कारण यह है कि नई मांगों का नोट बनाते समय यह बिचार था कि प्रवेश शुल्क बिल्कुल हटा दिया जायगा और इसी बिना पर यह नोट दिसम्बर में तैयार करके छपने के लिये भेज दिया गया था । तत्पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि प्रवेश शुल्क जू की आर्थिक दशा को देखते हुए केवल प्रातःकाल ४ घंटे के लिये हटा लिया जाय । नई मांगें सदन के सम्मुख प्रस्तुत करते समय इस तथ्य का स्पष्टता विवरण देना चाहिये था, किन्तु कार्यालय द्वारा गलती से ऐसा नहीं किया गया । स त्रुटि के लिये मुझे खेद है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—मुझे संतोष है और मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे ठीक करवा देंगे । जो ४ घंटे के लिये जू खोला जाता है वह पूरे दिन के लिये खोल दिया जाय जैसा कि बजट में इसका वायदा था ।

प्रदेश में बाढ़ के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—अब बाढ़ के संबंध में मेरे पास ६, ७ सूचनायें आई हैं । मेरा यह खयाल था कि किसी एक विशेष घटना को ले कर कार्य-स्थगन प्रस्ताव लाना या उस पर वक्तव्य देना कुछ अधिक संतोषजनक नहीं होगा । ७ सूचनायें मेरे पास कार्य-स्थगन और नियम ५२ के अन्तर्गत हैं । मैंने राजस्व मंत्री जी के पास उन्हें भेजा है और उनसे निवेदन किया है कि २७ तारीख को यानी आगामी सोमवार को इस संबंध में अपना बयान दें नियम ५२ के अन्तर्गत ।

श्री कृष्णा (जिला देवरिया)—७ दिन तो बहुत हैं । लाखों आदमियों की जान खतरे में है । मैं तो चाहता हूं कि हवाई जहाज से मदद पहुंचाई जाये । छोटी गंडक, बड़ी गंडक में बाढ़ आ गई है, बांध टूट गया है ।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—मैं एक आप से अर्ज करना चाहता हूं कि कम से कम इन सोशलिस्ट भाइयों को इतनी तो तमीज होनी चाहिये कि जब अध्यक्ष महोदय बोल रहे हों तो ये बीच में न टोका करें । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—आर्डर प्लीज । मैं निवेदन यह कर रहा था कि बाढ़ का यह मौसम है, बहुत सी जगह बाढ़ आ रही है, तो दिन भर के बजाय प्रत्येक सप्ताह हमें सूचनायें मिलती जायं और उस संबंध में आपके सुझाव भी माननीय राजस्व मंत्री को मिलें और राजस्व मंत्री जी पूरा विवरण प्रत्येक सप्ताह देते रहें तो अच्छा हो इसलिये कि यह एक ऐसी चीज नहीं है जो आज हो गयी और कल नहीं होगी । तो मैंने यह निश्चय किया था कि इनको मैं राजस्व मंत्री जी को भेज दूं और भेज भी दिया है और यह लिख दिया है कि] स संबंध में आगामी सोमवार, यानी २७ तारीख को वक्तव्य मिल जाय और वह वक्तव्य नियम ५२ के अन्तर्गत दिया जायगा ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—मैं यह निवेदन करना चाहता था कि इस वर्ष अब बाढ़ की ऐसी विभीषिका है जिसकी तरफ सारे माननीय सदस्यों ने आपको ध्यान दिलाया। मैं समझता हूं कि उसके कुछ कारण हैं कि १०-१२ वर्षों के हमारे सारे प्रयत्नों के बावजूद भी आज यह विभीषिका है और कुछ कमियां हमारी हैं इस कार्य के पीछे। तो इन दो बातों पर मैं चाहता हूं कि राजस्व मंत्री जी के ध्यान दे देने से काम नहीं चलता, उनका बयान देना तो आवश्यक है ही, लेकिन उसके बाद माननीय सदस्यों को भी अवसर मिल जाय कि वे सुझाव दे सकें इसलिये मैं समझता हूं कि एक दिन अगर आप इस पर विवाद के लिये दे दें तो अच्छा हो।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—मुझे निवेदन यह करना है कि स्थिति बहुत भयंकर है। मंत्री जी के वक्तव्य से उसका हल नहीं निकाला जा सकता है। माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि एक दिन बहस हो और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज की सारी सरकारी कार्यवाही को रोक कर आज ही इस पर बहस करें। नारायणी बांध टूट गया, हाहाकार मचा हुआ है और कलेक्टर लोग मोटर पर मौज कर रहे हैं। राजस्व मंत्री के वक्तव्य का हम विरोध करते हैं। उनके वक्तव्य से कोई काम बनने वाला नहीं है। (व्यवधान)

मैं आपको दावत देता हूं कि चल कर हमारे घरों को देख लीजिये।

माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—जब मैं गया था तो कुछ खिलाया पिलाया तो था नहीं और कहते हैं कि हम दावत देते हैं।

श्री उग्रसेन—हम तो डूब रहे हैं, खिलाते क्या ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय उग्रसेन जी को हमारे वक्तव्य की जरूरत नहीं है।

श्री उग्रसेन—नहीं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—तो मैं अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करूंगा कि मुझे वक्तव्य देने का आदेश न दिया जाय।

श्री उग्रसेन—बहस हो।

श्री हुकुमसिंह विसेन—आपको हमारे वक्तव्य में यकीन नहीं है तो हमें आपकी बहस में यकीन नहीं है।

श्री उग्रसेन—आपकी तरफ इतने माननीय सदस्य बैठे हैं आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, बलिया के, उन सबसे पूछ लीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—आप जरा शान्ति से बैठिये। मैंने उन सबको राजस्व मन्त्री जी के पास भेज दिया है। उनकी बात सुन ली जाय। इसके अतिरिक्त बाद में हम लोग मेरे कमरे में बैठकर निश्चय कर सकते हैं कि इस विषय में क्या करना चाहिये। इस समय तो आप उनकी बात सुन लीजिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने आदेश दिया है मैं पूरी इत्तला मंगाकर देखूंगा और आपके आदेशानुसार वक्तव्य दूंगा।

श्री उग्रसेन—अध्यक्ष महोदय, हमें बोलने न दिया जाय, यह हमें कबूल है। लेकिन····

श्री अध्यक्ष—आप बोलिये, लेकिन मेरे बुलाने पर इस समय बैठिये तो सही।

श्री उग्रसेन---जी हां, बैठ रहे हैं। लेकिन मन्त्री जी जो सूचना मंगायें उसमें यह भी ब्योरा होना चाहिये कि किस प्रकार की सहायता दी जा रही है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---श्रीमन्, सभी सूचनायें होंगी।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, सब बातें गलत हैं। हमारे साथ चलकर देखिये कि वहां की हालत क्या है।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा कर बैठिये।

श्री रामेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मन्त्री जी ने अभी उत्तर देते हुए कहा कि हम बहस में भाग नहीं लेंगे या उत्तर नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष---यह नहीं कहा।

श्री हुकुमसिंह विसेन---श्रीमन्, मैंने यह कभी नहीं कहा।

सदन में अशांति

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, मैंने तारीख १० को कहा था, लेकिन मन्त्री जी ने कोई बयान नहीं दिया और आज भी नहीं दिया। वहां पर ३० जुलाई से बाढ़ आई हुई है। १९३ गांव डूबे हुए हैं और वहां पर केवल एक आध बोरा ही गल्ला जा रहा है और चारे की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा नावों की भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे लाशें तक नहीं फूंकी जा रही हैं। वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है और कोई ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। इधर सात दिन और आप लगा रहे हैं। इधर हालत खराब होती जा रही है। यह कोई प्रकृतिक बाढ़ नहीं है, बल्कि सरकार की बनाई हुई बाढ़ है ....

श्री अध्यक्ष---आप बैठिये। यह लेक्चर का समय नहीं है। मैंने आपकी बात सुन ली। इस सम्बन्ध में किस तरह से कार्यवाही हो इसके लिये आज सायंकाल विभिन्न दलों के नेताओं को बुलाकर विचार-विनिमय कर लेंगे। सरेदस्त सूचनाओं को मैंने राजस्व मन्त्री के पास भेज दिया है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---श्रीमन्, यह सही है कि बाढ़ की जो विभीषिका है उससे सभी हैरान हैं और जिन्होंने नजरों से उसे देखा है वह तो बहुत ही परेशान हैं। मैं समझता हूं कि जैसा आपने राजस्व मन्त्री जी से कहा है वे केवल रिपोर्ट ही इकट्ठी करने में न रह जायं, बल्कि इस ओर भी उनका ध्यान जाय कि किस प्रकार सहायता पहुंचाई जाय। अगर ध्यान जायगा तो रिपोर्ट इकट्ठी करने में भी आसानी होगी।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य को इत्तला दे दूं कि हम गाफिल नहीं हैं।

श्री कृष्णा (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि पहले मन्त्री जी किसी आदमी को हवाई जहाज से भेजें और देखें कि वहां की क्या हालत है।

श्री हुकमसिंह विसेन---मैं अपने मित्र की जानकारी के लिये बता दूं कि माननीय मुख्य मन्त्री दौरा कर आये।

श्री कृष्णा---वह पहले जो बाढ़ आयी थी उस समय गये थे। जब वह दौरा कर आये थे, अब यह १५ तारीख को बाढ़ आयी है।

श्री अध्यक्ष---जो कुछ माननीय सदस्यों को कहना है वह अपनी अपनी पार्टी के नेता से कह दें। सायंकाल बैठ कर हम विचार करेंगे कि आगे क्या हो।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष---आप को जो कुछ कहना है माननीय गेंदासिंह से कहिये।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---मालगुजारी और तकावी की वसूली मुल्तवी करवाइये।

श्री अध्यक्ष---आर्डर, आर्डर। सायंकाल तय होगा।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)---मुझे यह कहना है कि माननीय मंत्री जी ने उस रोज भी बयान दिया था...

श्री अध्यक्ष---आर्डर, आर्डर।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---आप तो सुनते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष---मैंने यह तय किया है कि सायंकाल बैठेंगे।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---उसमें मुझे कहां गुरेज है। कहना मुझे यह है कि पिछली बार भी जब हम लोगों का कामरोको प्रस्ताव और नियम ५२ की सूचनायें आयी थीं, उस पर आपने कहा था कि माननीय मन्त्री जी बयान देंगे। जिस रोज सदन बन्द होने लगा, उस रोज कितनी वर्षा कहां पर हुई, किस जिले में कितनी वर्षा हुई, सारा वक्तव्य माननीय मन्त्री जी ने दे डाला, लेकिन यह नहीं बताया कि क्या इन्तजाम किया है, क्या नहीं किया है, क्या सुविधा दी है, क्या नहीं दी है। अगर इसी तरह का एक हफ्ते के बाद वक्तव्य देना है तो मैं समझता हूं कि इसका कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा यह है कि एक रोज की बहस आप करवा दें। मैंने नियम ५३ में एक प्रस्ताव भी भेज रखा है। मैं यही कहूंगा कि एक रोज की बहस करवा दें जिससे सारे सदन को वास्तविकता मालूम हो कि कहां माननीय मुख्य मन्त्री जी देख रहे हैं, हवाई जहाज से।

श्री अध्यक्ष---आप बैठिए। जो मैंने कहा है वही होगा। शाम के वक्त बातचीत करके, भावी कार्यक्रम क्या होगा, यह निर्णय कर लेंगे।

श्री चन्द्रबली---यह छः हों पढ़ दीजिये।

श्री अध्यक्ष---आप बैठिए।

श्री चन्द्रबली---अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष---आप बैठिए।

श्री चन्द्रबली---जिनका पानी हमें तबाह कर रहा है....

श्री अध्यक्ष---अगर आप नहीं बैठते हैं तो सदन छोड़ दें।

श्री चन्द्रबली---जिनका पानी तबाह कर रहा है...

श्री अध्यक्ष---मैं सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं, मैं श्री चन्द्रबली को इंगित करता हूं।

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैं प्रस्ताव करता हूं कि मेरे मित्र को इस सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय उपनेता सदन ने कहा "मेरे मित्र"। यह माननीय सदस्य का नाम जानते ही नहीं हैं, तो प्रस्ताव क्या होगा ?

(शोर)

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री चन्द्रबली को तीन दिन के लिये इस सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि श्री चन्द्रबली को तीन दिन के लिये इस सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

(शोर के बीच प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---आर्डर, आर्डर। (श्री चन्द्रबली से) आप सदन छोड़ दीजिये।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---इसके ऊपर मुझे व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना है।

श्री अध्यक्ष---जब वह बाहर चले जायेंगे तो व्यवस्था का प्रश्न उठाइयेगा।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष---आप बैठ जाइये।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---मैं व्यवस्था का प्रश्न करता हूं और आप कहते हैं कि बैठ जाइये। मेरा अधिकार है कि मैं आपसे व्यवस्था का प्रश्न करूं।

श्री अध्यक्ष---(श्री उग्रसेन के खड़े होने पर) माननीय उग्रसेन, आप बैठ जाइये। मेरी बात सुनिये। आप बैठ जाइए। आपकी बात सुन ली जायगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---मैं व्यवस्था के सवाल पर खड़ा होता हूं। जब माननीय राजस्व मन्त्री ने माननीय सदस्य का नाम नहीं लिया तो प्रस्ताव पर वोट कैसे लिया गया ?

श्री अध्यक्ष---मैंने नाम लिया है।

श्री उग्रसेन---आपने नाम लिया, लेकिन माननीय सदस्य का प्रस्ताव में नाम नहीं है।

श्री अध्यक्ष---(श्री चन्द्रबली से) आप कृपा करके सदन छोड़ दीजिये।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---श्रीमन्, इस तरह से हमारे अधिकारों का हनन हो और आप उसके ऊपर जो कि हमारे संरक्षक बैठे हुए हैं हमारे अधिकारों की रक्षा न करें और आप कहेंगे कि हम सदन छोड़ दें तो कैसे कोई माननीय सदस्य सदन छोड़ देगा ? आप व्यवस्था का प्रश्न पहले सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष---बाहर जायं पहले वह, फिर व्यवस्था होगी।

(व्यवधान) मैं आदेश देता हूं कि पहले वह बाहर जायं।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---श्रीमन्, जब तक व्यवस्था के प्रश्न का निर्णय नहीं कर देंगे तब तक यह नहीं होगा। श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न इसी सम्बन्ध में है। यह क्या है कि आप हमारे हकों की रक्षा न करें.....

श्री अध्यक्ष---मैं आप को आदेश देता हूं कि बैठ जायं।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---मैं नहीं बैठूंगा जब तक कि आप हमारे व्यवस्था के प्रश्न पर निर्णय नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष—मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूं माननीय नरसिंहनारायण पांडेय की तरफ और उनको इंगित करता हूं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं प्रस्ताव करता हूं कि एक हफ्ते के लिये श्री नरसिंहनारायण को सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री नरसिंहनारायण को एक हफ्ते के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

(शोर के बीच प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—हम नहीं छोड़ेंगे।

[श्री अध्यक्ष द्वारा आज्ञा देने पर दोनों सदस्यों ने फिर भी सदन का त्याग नहीं किया और हाल में पुनः शोर होने लगा। दोनों माननीय सदस्यों ने श्री अध्यक्ष की आज्ञा से मार्शल की प्रार्थना पर भी सदन का त्याग करने से इन्कार किया।]

श्री अध्यक्ष—मैं सदन दस मिनट के लिये स्थगित करता हूं और आदेश देता हूं कि श्री नरसिंहनारायण और श्री चन्द्र बली को मार्शल बाहर करें।

(इस समय १२ बज कर ३२ मिनट पर सदन १० मिनट के लिये स्थगित हुआ।)

[इस अवधि में भी श्री चन्द्रबली तथा श्री नरसिंहनारायण ने सदन का त्याग नहीं किया। मार्शल ने श्री अध्यक्ष को सूचना दी कि सर्वश्री चन्द्रबली तथा नरसिंहनारायण अपने स्थान पर बैठे हैं और उनके प्रार्थना करने पर भी सदन का त्याग नहीं कर रहे हैं। श्री अध्यक्ष ने मार्शल को आदेश दिया कि दोनों माननीय सदस्यों को बल पूर्वक सदन से हटा दिया जाय और यदि कोई अन्य सदस्य उनको हटाने में बाधा डालें तो उनको भी सदन से हटा दिया जाये। इसके बाद मार्शल कुछ पुलिस के सिपाहियों के साथ सदन में आये और दोनों सदस्यों को बलपूर्वक सदन के बाहर निकालने की चेष्टा की। इस पर उनके साथ बैठे हुए समाजवादी दल के कुछ सदस्यों ने इस कार्य में रुकावट डाली। परिणामस्वरूप पुलिस के सिपाही श्री चन्द्रबली और श्री नरसिंह-नारायण को बाहर नहीं निकाल सके, अतएव विवश हो कर बाधा डालने वाले कुछ सदस्यों को सदन से बाहर ले गये। किन्तु सर्वश्री चन्द्रबली तथा नरसिंहनारायण सदन में बैठे रहे।]

(१२ बज कर ४५ मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापितत्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष—अब पुलिस यहां से हट जाय। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर, आर्डर।

(पुलिस के हट जाने पर)

श्री उग्रसेन—जिन के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं था कि उनको सदन से हटाया गया, उनको भी जबरदस्ती पुलिस यहां से उठाकर ले गई। यह कहां का....

श्री अध्यक्ष—आर्डर, आर्डर, अब आप बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—मुझसे और विभिन्न दलों के नेताओं से बातचीत हुई थी और फिर यह तय हुआ था कि अगर किसी समय में अध्यक्ष किसी माननीय सदस्य को इंगित करें और उसके बाद उसके विरुद्ध प्रस्ताव पेश होकर स्वीकृत हो जाय तो वह माननीय सदस्य केवल मार्शल के हाथ लगाने पर सदन से बाहर चला जायगा। मैं आशा यह करता था कि प्रत्येक विरोधीदल के नेता इस बात का और इस समझौते का आदर करेंगे। जब इस समझौते का आदर नहीं हुआ तो मजबूर हो कर मुझे पुलिस को इस सदन के अन्दर घुसने की आज्ञा देनी पड़ी।

[श्री अध्यक्ष]

मैं स्वयं नहीं चाहता कि इस प्रकार की घटना इस आदरणीय सदन में हो और मैं यह भी चाहता हूं कि इस सदन के आदरणीय सदस्य उन परम्पराओं का और उन नियमों का पालन करें कि जो नियम हमें शोभा देते हैं। माननीय चन्द्रबली जी और माननीय नरसिंह नारायण इंगित किये गये और उसके बाद प्रस्ताव पास हुआ। फिर उनका कर्तव्य था कि वह सदन छोड़ कर चले जाते। अब मैं आदेश देता हूं कि वह सदन छोड़ कर जायं।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---मैंने आपके आदेश का आज नहीं, हमेशा पालन किया और इस तरह से पालन किया है जिस तरह से कि एक अध्यक्ष का आदेश किसी आदरणीय सदन के सदस्य को करना चाहिये, लेकिन मुझे अफसोस है कि..

एक सदस्य---प्वाइंट आफ आर्डर....

(व्यवधान---शोर)

श्री अध्यक्ष---आर्डर, आर्डर। आप बैठ जायं।

श्री उग्रसेन---मेरा एक निवेदन आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष---मैं एक निवेदन कर दूं कि जो कुछ भी कार्यवाही होगी वह इस शर्त पर होगी कि पहले माननीय नरसिंहनारायण और चन्द्रबली जी सदन छोड़ दें।

श्री ऊदल---मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमान् जी।

श्री उग्रसेन---आपने श्रीमन्, जिनको इंगित नहीं किया था, श्री राधेश्याम जी और और नत्थाराम रावत, उनको भी वे जबरदस्ती घसीट कर ले गये। उनको इंगित नहीं किया गया। यह कहां का जनतन्त्र है? आप पहले इसकी सफाई कर दें।

श्री अध्यक्ष---माननीय उग्रसेन जी, आप बैठें। मैं आपकी सब बात सुनने को तैयार हूं। अगर कुछ ज्यादती हुई है तो उसके लिये भी मैं अन्वेषण करने के लिये तैयार हूं, लेकिन आपका इस समय कर्तव्य यह है कि जो मेरे कमरे में बातचीत हुई उस समझौते के आधार पर और उसका आदर करते हुए आप अपने साथियों से कहें कि वे सदन छोड़ दें।

श्री उग्रसेन---मैं यह निवेदन करूं कि जिस समय हमारे सामने आपने यह बात चलायी थी, आपको खयाल होगा, मैंने उसी समय कहा था कि यदि पुलिस आयेगी और ज्यादती करेगी तो हम अहिंसा पालन जरूर करेंगे, लेकिन हम उसके जुल्मों का डट कर विरोध करेंगे....

(शोर---व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---आर्डर, आर्डर।

श्री उग्रसेन---हम गोलियों से नहीं डरेंगे...

सूचना राज्य मन्त्री (श्री बनारसीदास)---यहां ही कौन डरने वाला है।..

श्री उग्रसेन---मरने के पहले बड़ी दुर्गति होगी। पुलिस के बल पर राज चलायेंगे तो हम देखेंगे कि वह कैसे चलेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---आर्डर, आर्डर। आप बैठिये।

श्री गेंदासिंह---श्रीमन्, मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं उस हिस्से का जो आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने कमरे में बैठ कर मंजूर किया था एक साथ एक राय से, उसमें मैं कोई आपत्ति नहीं करता। मैं समझता हूं कि यह बात जरूर तय हुई थी कि मार्शल के हाथ

लगाने के बाद हम लोगों में से कोई सदस्य भी रिजिस्ट नहीं करेगा और चला जायगा। मैं सारी बातों को छोड़ कर एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि सदन में रहते हुए मुझे १०, १२ साल का जमाना गुजरा, लेकिन जो दृश्य मैंने आज देखा है और जिस तरह से एक माननीय सदस्य को ले गये उनको अपमानित करते हुए। (व्यवधान) (शेम शेम)

श्री अध्यक्ष—आर्डर, आर्डर। माननीय गेंदा सिंह जी, एक बात देखिये। जो बात हुई अगर उसमें कोई ज्यादती हुई तो जैसा मैंने निवेदन किया, मैं उस पर विचार करने के लिये तैयार हूं, लेकिन यह आवश्यक है इस समय कि ये माननीय सदस्य सदन छोड़ दें।

श्री गेंदा सिंह—मैं आपका आदेश पालन कराने में जो कुछ भी अर्ज, मिन्नत आदि से कर सकूंगा, मदद करूंगा, लेकिन बहुमत दल से यह कहना चाहता हूं कि यदि वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन इस प्रकार करना चाहता है तो श्रीमन्, मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो कुछ यहां गुजरा वह उन्होंने अगर अपनी आंखों से देखा होता तो कम से कम उसे देख कर वह शरमिन्दा जरूर होते....

(व्यवधान)

आपको शर्म नहीं आयेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं वह मैं सुनने के लिये तैयार हूं, लेकिन जो बात हो चुकी, उसका आदर होना चाहिये और उन माननीय सदस्यों को सदन छोड़ना चाहिये। यदि वह सदन नहीं छोड़ते तो सिवाय बल प्रयोग के कोई दूसरा तरीका नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—मैं सदन छोड़ने के लिये तैयार हूं। [* * *]

आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वह बड़ी पवित्र है और उसकी पवित्रता को नष्ट न होने दें। इतना कहकर मैं सदन का परित्याग करता हूं।

(व्यवधान)

(श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय ने सदन का त्याग किया।)

श्री अध्यक्ष—माननीय चन्द्रबली, आप भी जाइये।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रबली—आप पहले उसे पढ़ दें, तो मैं चला जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष—पहले आप सदन का त्याग कीजिये।
(इसके उपरान्त श्री चन्द्र बली ने सदन का त्याग किया।)

श्री उग्रसेन—मैं आपके समक्ष जनतन्त्र को चुनौती देते हुए अपनी फरियाद रखता हूं। (व्यवधान) कृपया मुझे बोलने की इजाजत दें।

(व्यवधान)

[* * *] माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार हटा दिया गया।

श्री अध्यक्ष---माननीय उग्रसेन जी, आप कृपया बैठें।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---सब लोग आसन ग्रहण करें।

श्री झारखंडेराय---मान्यवर, नेताओं की मीटिंग आपने अपने कमरे में बुलाई थी, उसमें जो बातें तय हुई थीं, वह हम लोगों के लिये धर्म वाक्य के समान हैं। उसका पालन करने में मुझे बड़ी खुशी है। आपके आदेश से वे दोनों सदस्य तो सदन के बाहर चले गये, परन्तु मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि अगर गाहे-बगाहे जरा-जरा सी बात पर पुलिस फोर्स हाउस के अन्दर बुलाया जायगा....

(व्यवधान)

मैं यह कहूंगा कि आप मार्शल की सहायता से ऐसा कर सकते थे और काउन्सिल हाउस गार्ड भी आ सकते थे। मैं आप से अपनी बात बताता हूं कि मैं जिन्दगी में मर्डर कर चुका हूं। मैंने बहुत से कत्ल किये हैं, खून किये हैं। डकैतियां आदि तो मेरे लिये मामूली चीज रही हैं। मैं फांसी के तख्ते से बच कर आया हूं। तो अपने उसी तजुर्बे के बल पर मैं यह कहूंगा कि इस तरह से पुलिस फोर्स सदन के अन्दर आ जायगी तो किसी भी समय बैलेंस आफ माइन्ड लूज हो सकता है हम लोगों का और उसका परिणाम भी वही हो सकता है जो पूर्वी बंगाल में हुआ है, वही स्थिति यहां पर भी रिपीट हो सकती है। मैं आप से अपील करना यहां चाहता हूं कि ऐसे ढंग से इस बात को रखते कि इतनी नौबत ही न आती। आपने तो जिन सदस्यों को इंगित भी नहीं किया और उन्हें सदन से बाहर जाने का आदेश भी नहीं दिया, उनको तक पकड़ कर बाहर ले जाया गया।

अगर इस तरह से वारदातें होती रहीं, तो इस हाथापाई के अन्दर संतुलन कहां तक रह पायेगा, यह मैं नहीं कह सकता। मैं समझता हूं कि बहुमत दल को अपना संतुलन नहीं खोना चाहिये और जो प्रदर्शन हुआ है वह उचित नहीं है।

(व्यवधान---अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---मैं खड़ा हूं, आप कृपया बैठिये। आर्डर, आर्डर।

जो अभी माननीय झारखंडे राय जी ने कहा मैंने स्वयं उस पर विचार किया। लेकिन हमें यह भी समझना है कि अगर माननीय सदस्य जिनको आदेश दिया जाता है वे उसका पालन न करें तो वह सदन का अवमान करते हैं। अगर माननीय सदन का या अध्यक्ष के आदेश का पालन नहीं होता तो वह सदन का अवमान होता है।

दूसरी बात यह है कि अगर एक आदेश दिया जाता है और उस आदेश के पालन में कोई व्यक्ति बाधा डालता है (व्यवधान) तो उसके साथ क्या व्यवहार हो, इस प्रश्न पर हमें सोचना पड़ेगा। अब जो माननीय सदस्य घसीटे गये उन्होंने विघ्न डाला या नहीं यह विषय अन्वेषण का है और उस पर हम विचार कर सकते हैं और एक नतीजे पर पहुंच सकते हैं और उस पर अपना निर्णय दे सकते हैं। अब हमें इस प्रश्न को समाप्त करके अगला कार्य प्रारम्भ करना चाहिये।

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि आज जब मैं दूसरे सदन में, तीन अपने देश के महान् नेताओं के निधन के सम्बन्ध में श्रद्धाञ्जलियां अर्पित कर रहा था और जब मैं वहां का कार्य समाप्त करके यहां आ रहा था तो मुझे इस प्रकार का वातावरण यहां

आकर देखने को मिला। कई मर्तबा सदन में इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न हुआ है और मैंने बहुत ही नम्रतापूर्वक उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों से और नेताओं से निवेदन किया है कि हमारा और उनका, सभी का यह नीत कर्तव्य है कि जो उत्तरदायित्व सदन के माननीय सदस्यों पर और नेताओं के कन्धों पर है उसे हम उन परम्पराओं और मर्यादाओं के अन्दर निभायें जो मर्यादायें और परम्परायें यहां की हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सारे अधिकार आप में निहित हैं। अभी माननीय झारखंडे राय जी ने और माननीय गेंदासिंह जी ने कुछ बहुमत के सिलसिले में बातें कहीं। मैं नहीं समझता कि बहुमत दल इस के बीच में कहां आता है। यदि आप अपने अधिकारों का, जो इस सदन ने आपको दिये हैं, इस्तेमाल करते हैं और उनका इस्तेमाल करते हुये आप अपने अधिकारियों को अपने आदेश के पालन के लिये कोई आदेश देते हैं, जब आप मार्शल के द्वारा कोई व्यवस्था बनाये रखने में असमर्थ हैं और आप पुलिस के अधिकारियों से मदद चाहते हैं और आपकी आज्ञा से पुलिस के अधिकारी यहां मदद देने के लिए आते हैं, उस समय बहुमत के सम्बन्ध में यह कहा जाय कि बहुमत इस प्रकार के कार्य कर देता है जो अशोभनीय हैं, मैं बहुत नम्रता से और आजिजी के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा माननीय नेताओं और सदस्यों को कहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं बराबर कहता रहा हूं कि मैं और दुबे जी, गेंदा सिंह जी, झारखंडे राय जी और उग्रसेन जी, इन सब का परम पुनीत कर्तव्य है कि हमारे पीछे बैठने वाले साथी कभी जोश और उमंग में, अगर गलत कार्य कर दें तो उस प्रकार के कार्यों से उनको रोकें और ऐसा उनकी कार्यप्रणाली में प्रतिबन्ध लगायें कि उस प्रकार के कार्य सदन में न होने पायें। यदि बराबर सदन में अध्यक्ष की आज्ञाओं का उल्लंघन होता रहे और स्वतः अध्यक्ष महोदय अपने मार्शल के द्वारा अपनी आज्ञाओं का पालन न करा सकें और पुलिस की सहायता चाहें तो फिर मैं इस सरकार के एक प्रमुख व्यक्ति के नाते यह अपना कर्तव्य समझता हूं कि उन आज्ञाओं का पालन करूं और कराऊं।

यह दुर्भाग्य की बात है और कोई शान बढ़ाने वाली बात नहीं है कि यहां पुलिस आयी। यह कोई सदन की परम्पराओं को ऊंचा रखने वाली बात नहीं है। क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम इस तरह की व्यवस्था को इस सदन के एक सदस्य के नाते चलायें जिससे आप को पुलिस या मार्शल की सेवाओं की आवश्यकता न पड़े और उन अधिकारों को प्रयोग में लाने की आवश्यकता न पड़े जो कानून में उसे प्राप्त हैं। चाहे सदन में हो या इस सदन के बाहर, जहां व्यवस्था में फर्क आता है, जिसके कारण पुलिस की व्यवस्था कोई मांगता है तो मैं प्रमुख व्यक्ति के नाते यह कहता हूं कि वह सहायता मुझे देनी होगी। यदि आज जनसंघ का जलसा हो रहा है और पी० एस० पी० वाले या कांग्रेस वाले झगड़ा करते हैं तो मेरा कर्तव्य है कि मैं जनसंघ वाले साथियों को जलसे को चलाने में पुलिस से सहायता करूं। आज यदि सदन में भी उस तरह की अव्यवस्था फैलती है और अध्यक्ष महोदय आज्ञा प्रदान करते हैं तो मेरा कर्तव्य है कि सरकार के प्रमुख व्यक्ति के नाते मैं उनकी मदद करूं और जब-जब आप आज्ञायें देंगे हम आप की आज्ञाओं का पालन करेंगे और करते हुए उस अप्रिय कार्य के करने में भी हम हिचकेंगे नहीं जिसको स्वतः हम करना नहीं चाहते (तालियां)।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उग्रसेन---माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने भी कहा और मुख्य मंत्री ने भी कहा, मगर श्रीमन्, घटना तो ऐसी घटी कि अब इसका जवाब हम आप से चाहते हैं और न्याय चाहते हैं...

श्री अध्यक्ष---इस समय नहीं।

श्री उग्रसेन---इसी समय। यह घटना आपके सामने हुई है। माननीय राधेश्याम शर्मा, शिवनाथ, रामआसरे, नत्थाराम इनको पकड़ कर घसीटा गया, वे इंगित नहीं किये गये थे। उनकी अंगुली टूट गयी हैं। ये अपनी दर्द कहानी बतायें और उन को घसीट कर यहां

[श्री उग्रसेन]

से वहां ले जाना, ये बाधा नहीं उपस्थित कर रहे थे, अपनी जगह पर बैठे हुए थे जैसे गेंदासिंह जी या और कोई माननीय सदस्य बैठे हुए थे। आप की आंख के सामने जुल्म हुआ और उसमें हम मुख्य मंत्री, आई० जी० और पुलिस के खिलाफ अगर न कहें, तो क्या कहें? जब तक आप न्याय नहीं देंगे तो हम यहां रह कर क्या करेंगे? जो घटना सदन के सम्मुख घटी, उसमें सत्य के लिए प्रतिवेदन, आग्रह, नम्र-निवेदन की आवश्यकता नहीं है, आपके आदेश की आवश्यकता है। यदि नहीं घटी है तो आप कहें। ये सेक्रेटेरियट के लोग हैं, पत्रकार हैं इनके सामने यह सब कुछ हुआ। बहुत से माननीय सदस्यों पर पुलिस की घूंसेबाजी भी चली। हम पुलिस से डरते नहीं हैं और दो के जवाब में हम चार देने के लिये तैयार हैं। हम भी अहिंसा को अपनाये हुए हैं, लेकिन जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा, हम उनसे डरने वाले नहीं हैं। उनका और हमारा मुकाबला तो है ही।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—श्रीमन्, मुझे दुःख है कि सदन में ऐसी घटना घटी और आपने भी जो कहा वह सत्य है कि सदन के नेताओं ने मिल कर यह तय किया कि जब ऐसी परिस्थिति आयेगी और अगर मार्शल किसी पर हाथ रख देगा तो वह सदन छोड़कर बाहर चला जायगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कठिनाई बतायी वह भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन श्रीमन्, आपको याद होगा कि गत वर्ष यह तय हो गया था कि सदन में किसी तरह से पुलिस न आयेगी। उसके साथ ही यह भी तय हुआ था कि क्या व्यवस्था हो। उस समय इस सदन के अध्यक्ष खेर जी थे। उन्होंने नेताओं को बुला कर यह तय किया था कि कौंसिल हाउस के गार्ड्स की संख्या बढ़ा दी जाय और जब ऐसी परिस्थिति आये तो उनको बुला लिया जाय और यहां पी० ए० सी० अथवा पुलिस न बुलाई जाय।

श्री अध्यक्ष—माननीय नेकराम जी, यह हम सभी चाहते हैं कि वह व्यवस्था हो जाय। लेकिन अभी वह व्यवस्था नहीं हुई है।

श्री नेकराम शर्मा—जिस वक्त आपने सदन को स्थगित किया था, उस वक्त आपको चाहिये था कि आप विरोधी दल के माननीय नेता को बुला लेते और दूसरे नेताओं को भी बुला लेते और उनको समझाते कि यह निर्णय हुआ था। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप शाम को विरोधी दल के नेताओं को बुला लें और यह तय कर लें कि इस प्रकार की घटनाओं का क्या समाधान हो सकता है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—श्रीमन्, मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया था कि क्या खाली 'मित्र' कह देने से कोई प्रस्ताव सही माना जा सकता है? माननीय डिप्टी स्पीकर साहब भी वहां बैठे हुए हैं, और केवल उंगली उठा देने से वह भी हो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—लेकिन मैंने चन्द्रबली जी का नाम लिया था।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—लेकिन श्रीमन्, आप प्रस्ताव तो नहीं रख सकते। आपके नाम लेने से कोई अर्थ नहीं होता। दूसरी बात यह है कि गुमनाम लोगों को घसीटने के लिये यहां भेज दिया गया। अगर वहां उपाध्यक्ष ही बैठे होते तो?

कृपया आप मेरे पहले प्रश्न पर अपनी व्यवस्था दें कि क्या केवल 'मित्र' कह देने से कोई प्रस्ताव ले लिया जायगा और उससे किस आदमी को निकालना उपयुक्त समझा जायगा?

श्री गेंदासिंह—अभी आपने माननीय राधेश्याम जी की चर्चा सुनी। वे कुछ कहना चाहते हैं, आप कृपया उनके बाद मुझे आधा मिनट दे दें।

श्री अध्यक्ष—मैं उनको सुनूंगा, लेकिन पहले किसको बोलने का मौका दूं और किसे बाद में दूं, यह तो मैं तय करूंगा।

श्री वीरसेन---उन्होंने आफिसरों को अपनी ड्यूटीज को अंजाम देने से आब्स्ट्रक्ट किया जिसे मैं समझता हूं कि यह सदन का अपमान है, कंटेम्प्ट है और मैं चाहता हूं कि इन दोनों सदस्यों के प्रति प्रिविलेज के प्रश्न पर विचार हो और मैं नोटिस देता हूं कि उनके खिलाफ प्रिविलेज का प्रश्न मैं ला रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---बार बार इस पर बातचीत नहीं होनी चाहिये।

श्री गेंदासिंह---श्रीमन्, मैं आप की इजाजत से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो इस सदन की प्रतिष्ठा और मर्यादा कायम रखने की चेष्टा की और चेष्टा कर रहे हैं, वह तो होना ही चाहिये, लेकिन एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से माननीय राधेश्याम जी को यहां से निकाला जा रहा था, उसे इस सदन का कोई सदस्य देखता तो मैं समझता हूं कि जैसा मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिस तरह से राधेश्याम जी को अपमानित किया जा रहा था उससे जरूर उसके दिल में आघात होता या वह आवेश में आता।

श्री अध्यक्ष---अब यह बहस छेड़ने से तो कोई लाभ है नहीं।

श्री गेंदासिंह---मैं बहस नहीं छेड़ता, जो कुछ माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा---मैं उन्हीं की बातों में यह ऐड कर देना चाहता हूं कि जिस प्रतिष्ठा के रखने की बात उन्होंने की, उसके बारे में पहले वे सदन के नेता की हैसियत से जानकारी करें कि माननीय राधेश्याम व माननीय शिवनाथ जी के साथ जो बर्ताव हुआ वह कैसा रहा और मुझे आशा है कि यदि वे इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे तो खुद उनको खेद प्रकाश करना पड़ेगा और क्षमा मांगनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष---यह विषय ऐसा है जिसके ऊपर नियम के अनुसार जो कार्यवाही होगी वह की जायगी।

श्री गेंदासिंह---यह असाधारण विषय है, असाधारण समय है और असाधारण कार्यवाही है। मैं इस पर आपका और आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि...

श्री अध्यक्ष---आप कृपया बैठ जायं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदासिंह जी ने अभी मेरा ध्यान उस ओर आकर्षित किया कि २ व्यक्ति, जिनके नाम उन्होंने अभी लिये, उनके साथ कोई अभद्र बरताव हो गया। मैं अपनी जगह से यहां पर बैठा हुआ यह तो नहीं देख सकता था कि कौन व्यक्ति सिपाहियों के रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं, लेकिन इतना मैं जरूर देख रहा था कि जिन दो व्यक्तियों को हटाने की बात थी, उनके यहां से हटाये जाने के कार्य में उधर कुछ २-४ व्यक्ति बाधा डाल रहे थे और वह उनको यहां से नहीं निकालने देना चाहते थे। यह दृश्य मैंने यहीं से देखा, वे बाधा डालने वाले कौन थे यह मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सभी के नामों से मैं परिचित नहीं हूं। इसलिये यदि पुलिस का इस्तेमाल आपके आदेश से होता है और २ व्यक्ति जो निकाले गये हैं उनको हटाने का पुलिस प्रयत्न करती है और उस समय यदि कुछ लोग उनके निकाले जाने में बाधा डालते हैं तो हो सकता है कि इस तरह से बीच में आने वाले व्यक्ति कुछ थपेड़ में आ सकते हैं, इस तरह से कैसे पुलिस अलग रखी जा सकती है और बीच बचाव कराया जा सकता है कि किसी दूसरे पर हाथ ही न पड़े।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---आप इधर की भी सुन लें, उधर की बात तो रिकार्ड हो गई, वह देख रहे थे तो हम भी देख रहे थे...

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं ।

श्री दीपनारायणसिंह—श्रीमन्, मेरा कहना सुन लिया जाय. . .

श्री अध्यक्ष—नहीं आप बैठें, वह बात अब खत्म हो गई ।

श्री गेंदा सिंह जी ने कहा और इधर से भी कहा गया, दोनों तरफ की बात मालूम हो गई और जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा कि इस विषय पर अन्वेषण करना होगा, क्योंकि विभिन्न रायें हैं और विभिन्न बातें कही जाती हैं, इसलिये इस समय इस बात का निर्णय मैं नहीं कर सकता, यह जांच करने के बाद ही मैं तय करूंगा ।

श्री दीपनारायणसिंह—श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि अगर किसी सदस्य ने सदन का अवमान या अपमान किया तो नियम ६४ से लगाकर नियम ८० तक में व्यवस्था की गई है । तो जब उन का अपमान हुआ है तो वह तरीका अख्तयार होना चाहिये कि जिस तरह से आप नियम २९९ के अन्तर्गत अपनी व्यवस्था कार्यान्वित कराने के लिये कर रहे हैं । अगर सदन का अपमान किया गया तो बाकायदा यह विषय विशेषाधिकार समिति में जाना चाहिये और उसकी कार्यवाही होनी चाहिये थी, लेकिन यहां उसके पहले ही उन को हटाने की कार्यवाही कर दी गई यह नियम २९९ (३) या (४) के अन्तर्गत. . . .

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं, सुन ली आप की बात ।

श्री दीपनारायणसिंह—एक प्वाइंट और मुख्य मंत्री जी ने उठाया. . . . .

श्री अध्यक्ष—यह बहस का समय नहीं है लिहाजा आप बैठ जायं, यह प्रश्न यहां नहीं है कि मुख्य मंत्री जी ने अभी क्या कहा ।

श्री दीपनारायणसिंह—इस तरह से पुलिस को बुलाने की व्यवस्था की गई है तो क्या वह पुलिस मिनिस्टर की हैसियत से सदन के ऊपर हो गये ?

श्री अध्यक्ष—आर्डर, आर्डर, आप बैठें ।

श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)—श्रीमन् पुलिस की खैंचतान में हमारा कुर्त्ता फटा है मैं जानकारी चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ ? . . . .

श्री रामआसरे (जिला बाराबंकी)—श्रीमन्, अभी मुख्य मंत्री जी ने जो यह कहा कि हमारे लिये यह बड़ी अशोभनीय बात है कि पुलिस का यहां प्रवेश हुआ, लेकिन इस में हमारी इज्जत और हमारे सम्मान का सवाल है । आज जिस वक्त चन्द्रबली जी घसीटे जा रहे थे और उसके बाद माननीय शिवनाथ सिंह जी. . . .

श्री अध्यक्ष—माननीय उग्रसेन जी ने सब बातें कह दीं ।

श्री उग्रसेन—जिन लोगों को निकाला गया और मारा गया वह न बोलें ।

श्री अध्यक्ष—अच्छा इस पर विचार करेंगे, हम सुनेंगे । अब माननीय गृह मंत्री जी वक्तव्य देंगे ।

श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मुझे कुछ कहना है ।

श्री उग्रसेन—आप हमारी सुरक्षा के लिये बैठे हुए हैं । अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो कैसे न्याय मिलेगा । हम पर डंडे मारे जायं फिर भी हम न रोयें. . .

श्री अध्यक्ष—आप बैठिये ।

श्री उग्रसेन---आप माननीय शिवनाथ जी की बात सुनें।

श्री अध्यक्ष---(माननीय शिवनाथ सिंह जी से) आप लिख कर दे दीजिये।

श्री शिवनाथसिंह---ज्यादा अच्छा होता अगर आप सुन लें जो मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---वह तो हमने मान लिया।

श्री शिवनाथसिंह---अगर आप सुन लें तो अच्छा है, वैसे मैं आपकी आज्ञा मानने के लिये तैयार हूं।

श्री उग्रसेन---आपका क्या आदेश हुआ यह तो बतायें। माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिव्य दृष्टि लगा कर देख लिया जटायू की तरह से। उन्होंने विशेषाधिकार की अवहेलना की बात उठायी। पत्रकारों ने भी देखा। आप पहले न्याय दें तब हम बैठेंगे।

श्री अध्यक्ष---जो शिकायत हुई है कि माननीय शिवनाथ सिंह और राधेश्याम जी तथा और किसी सज्जन पर अगर कोई बात शिकायत की है तो मैंने निवेदन किया कि मैं अन्वेषण करूंगा, क्योंकि दोनों बयानात में कुछ भिन्नता है। तो मुझे तो निर्णय देना पड़ेगा वह दिया जायगा और अगर किसी की गलती होगी तो उसको दण्ड दिया जायगा।

श्री नत्थाराम रावत---कोई मारने वाला कबूल करता नहीं कि हमने मारा है।

श्री अध्यक्ष---अब आप बैठिये।

रेलवे स्टेशनों पर पड़ी डकैतियों से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---अब गृह उपमंत्री जी वक्तव्य देंगे।

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)---श्रीमन्, इस मास के प्रथम सप्ताह में रेलवे स्टेशनों पर डकैतियों की जो घटनायें हुईं उनका विवरण इस प्रकार है:---

रेलवे स्टेशन मगरवारा पर डकैती---२/३ अगस्त, १९६२ की रात को लगभग साढ़े १२ बजे १५, २० डकैतों ने जिनके पास लाठी, भाला, कांता और एक देशी पिस्तौल था मगरवारा स्टेशन पर हमला किया। उस समय एक मालगाड़ी आने वाली थी और स्टेशन के कर्मचारी सचेत थे।.....

सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन त्याग

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री तथा उनके अन्य साथियों ने घटना पर पर्दा डाला और आपने कहा कि बाद में निर्णय देंगे। हमें न्याय नहीं मिला, इसलिये सभी सोशलिस्ट सदस्य सदन का परित्याग करते हैं और आशा करते हैं कल ११ बजे आप आते आते इसका निर्णय देंगे।

(इसके उपरान्त सोशलिस्ट पार्टी के समस्त सदस्य सदन छोड़कर चले गये।)

(इस समय १ बजकर २७ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

रेलवे स्टेशनों पर पड़ी डकैतियों से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य (क्रमागत)

श्री नवलकिशोर---उन्होंने डकैतों को चैलेंज किया। डकैतों ने ड्यूटी पर स्टाफ को पीटा और अलमारी में से ९८.८५ न० पै० तोड़ कर निकाल लिये। एक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का नायक और एक सैनिक भी पीटे गये।

सूचना प्राप्त होते ही कानपुर से फ्लाइंग स्क्वाड की एक गाड़ी वहां पहुंची । पुलिस अधीक्षक, उन्नाव भी कुछ फोर्स ले कर वहां पहुंचे । परन्तु डकैत वहां से भाग चुके थे और कोई उन्हें हाथ नहीं आया । घटना के पश्चात् ए० आई० जी० रेलवेज, एस० पी० उन्नाव और सेक्शन आफिसर जी० आर० पी० घटनास्थल पर गये । अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है परन्तु इसकी सतर्क जांच हो रही है और यह आशा की जाती है कि शीघ्र ही अभियुक्तों का पता चल जायगा ।

(२) खुदागंज रेलवे स्टेशन पर डकैती—

३/४ अगस्त, १९६२ के रात में लगभग साढ़े १२ बजे ८, १० डाकुओं ने, जिनके पास लाठी व बल्लम थे, स्टेशन मास्टर के दफ्तर में घुस कर जबरदस्ती चाबी छीन ली और सरकारी धन ७० रुपये ९१ नये पैसे अलमारी में से और टिकट ट्यूब में से निकाल लिये । उन्होंने ड्यूटी पर लगे हुए कर्मचारियों को लैम्प रूम में बंद कर दिया और ४ रेलवे क्वार्टरों और एक पड़ोस की हट को लूटा । अभी तक जांच के अनुसार १,५८७ रुपये ७८ नये पै० की सम्पत्ति लूटी गयी प्रतीत होती है । जो डकैतों का हुलिया दिया गया है वह मगरवारा स्टेशन के डकैतों से मिलता जुलता है ।

इस दुर्घटना स्थल पर भी ए० आई० जी० रेलवेज, पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ़ और सेक्शन आफिसर हो आये हैं । कुछ चिन्ह इस प्रकार के मिले हैं जो एक विशेष डकैतों के गिरोह के सदस्यों से मिलते जुलते हैं । यह आशा की जाती है कि यह लोग शीघ्र ही पकड़े जा सकेंगे ।

(३) रेलवे स्टेशन, सेहल पर डकैती—

३, ४ अगस्त, १९६२ की रात को लगभग साढ़े ११ बजे सशस्त्र डकैतों ने रेलवे स्टेशन सेहल पर हमला किया और स्टेशन स्टाफ को रस्सियों से बांध कर पीटा । उन्होंने स्टेशन मास्टर से अलमारी की चाबी प्राप्त कर उसमें से १९५ रुपये ४३ नये पैसे निकाल लिये । स्टेशन मास्टर की वैयक्तिक सम्पत्ति भी, जिसका मूल्य लगभग २७० रुपये है, वह लोग लूट कर ले गये । इस घटना में रेलवे स्टाफ के क्वार्टरों को नहीं लूटा गया ।

सेक्शन आफिसर घटनास्थल पर हो आये हैं । अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, परन्तु इसकी सतर्क जांच की जा रही है ।

(४) रेलवे स्टेशन माखी की सूचना—

३, ४, अगस्त, १९६२ की रात्रि को लगभग ९—४५ पर पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को टेलीफोन पर यह सूचना प्राप्त हुई कि ३—८—६२ को लगभग १ बजे दिन और पुनः रात्रि के लगभग ९ बजे कुछ चोरों ने जो संभवतः डाकू थे, माखी रेलवे स्टेशन पर हमला किया है और वहां सरकारी धन सम्पत्ति एवं स्टेशन स्टाफ का जीवन खतरे में है । सूचना प्राप्त होते ही पुलिस अधीक्षक कुछ फोर्स लेकर रेलवे स्टेशन माखी पहुंचे । जांच करने पर मालूम हुआ कि वहां कोई दुर्घटना नहीं हुई, न ही कोई संदिग्ध व्यक्ति स्टेशन पर आया और न वहां लूट पाट हुई । जांच से यह पता चला कि वहां के रेलवे स्टाफ ने इस कारण सूचना भेजी थी क्योंकि वह मगरवारा की दुर्घटना के कारण डर गये थे और अपनी सुरक्षा हेतु पुलिस की सुरक्षा चाहते थे । इस संबंध में कोई केस रजिस्टार नहीं हुआ ।

(५) इन चार डकैतियों के अतिरिक्त एक डकैती १, २ अगस्त, १९६२ को करना रेलवे स्टेशन पर, जो हरदोई के समीप है, पड़ी । इसमें २५ डकैतों ने, जिनके पास लाठी और बल्लम थे, रेलवे स्टेशन, करना पर हमला किया । उन्होंने स्टेशन स्टाफ को पीटा और अलमारी और टिकट ट्यूब की चाबी प्राप्त करके २० रुपये ४० नये पैसे उनमें से निकाल लिये । यह समय किसी ट्रेन का जाने का नहीं था । इसलिये स्टाफ आराम कर रहा था । २ आर० पी० एफ० के सैनिक, जो वहां पर थे, वहां सो रहे थे और इस लूट में उन्हें भी चोटें आईं । डकैतों ने स्टाफ को लैम्प रूम में बन्द कर दिया और रेलवे क्वार्टर्स को भी लूटा । जो सम्पत्ति लूटी गई उसका मूल्य २,७७० रुपये ४४ नये पैसे था ।

[श्री नवलकिशोर]

ए० आई० जी०, रेलवेज, पुलिस अधीक्षक, हरदोई तथा सेक्शन आफिसर घटना स्थल पर हो आये हैं। रेलवे के दो गैंगमैनों (मजदूरों) पर, जिनके ऊपर एक दूसरा मुकदमा चल रहा है और भागे हुए हैं, इस दुर्घटना के संबंध में संदेह किया जाता है। उन्हें पकड़ने का प्रयत्न किया गया परन्तु उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। इस डाके डालने का भी वही तरीका था जो खुदागंज स्टेशन पर प्रयोग किया गया था। इस दुर्घटना के और खुदागंज के संदेहजनक व्यक्तियों का हुलिया लगभग एक-सा ही है। यह आशा की जाती है कि शीघ्र ही इस दुर्घटना का भी पता चल जायगा।

(६) समाचार-पत्रों में एक समाचार यह भी निकला है कि सफदरगंज रेलवे स्टेशन जो बाराबंकी-फैजाबाद लाइन पर है, पर ९, १० अगस्त, १९६२ को डाका डालने का प्रयत्न किया जा रहा था, परन्तु वह सफल नहीं हो सका। इस संबंध में यह ज्ञात हुआ है कि रेलवे स्टेशन पर किसी प्रकार के डाके डालने की आशंका नहीं थी। एक डाकुओं का गिरोह रेलवे स्टेशन के पास एक बाग में गांव में डकैती डालने के निमित्त छुपा हुआ था। दो सिपाहियों की सतर्कता से, जो अन्य स्टेशनों की डकैतियों के पश्चात् वहां तैनात थे, इस गिरोह का पता चला और उन्होंने डाकुओं को चैलेंज किया। उनमें से २ मौके पर ही पकड़े गये और दो बाराबंकी में पकड़े गये।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---क्या इन स्टेशनों पर हुई डकैतियों के संबंध में हुई जांच का कुछ यह परिणाम निकला है कि जो गैंग इन रेलवे स्टेशनों को लूटता है या कोई इंटर-प्राविंशल गैंग है और एक ही गैंग के कई टुकड़े हैं ?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, कोई इन्टर-प्राविंशल गैंग है ऐसी कोई मालूमात तो नहीं हुई, मगर यह जरूर है कि कोई इस तरह का गैंग है और यह सही मालूम होता है कि एक ही गैंग है जो भिन्न-भिन्न स्टेशनों पर डकैती डालता है, क्योंकि उनके डाका डालने के तरीके करीब-करीब एक से हैं।

श्री भीखालाल---माननीय मंत्री जी ने जो यह बताया कि उन्नाव जिले में माखी स्टेशन पर लूट की कोई घटना नहीं हुई थी, बल्कि स्टेशन मास्टर ने केवल खौफ के कारण पुलिस सुपरिंटेंडेंट को सूचना दी थी, तो क्या यह सही नहीं है कि कुछ व्यक्तियों ने स्टेशन मास्टर के ऊपर गोली चलायी जबकि उसने दरवाजा बन्द कर लिया था और जब उसने शोर मचाया तो कुछ लोगों ने आ कर उसे बचाया ?

श्री नवलकिशोर---इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन-जिन स्टेशनों पर डकैती पड़ी है वहां पुलिस का पहले से पहरा था या नहीं ?

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---जहां तक मुझे मालूम है हर स्टेशन पर पुलिस का पहरा नहीं रहता है और इन छोटे स्टेशनों पर भी पहरा नहीं था।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---मैंने पूछा है कि जिन रेलवे स्टेशनों पर डकैतियां पड़ी थीं उन पर पुलिस का पहरा था या नहीं और पुलिस स्टेशन वहां से कितनी दूर पड़ता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---वहां पुलिस का पहरा नहीं था।

श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)---जिस प्रकार की ये घटनायें हो रही हैं और जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोई एक ऐसा गैंग है जो कि नियोजित ढंग से ये डकैतियां डालता है, तो क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कि इन रेलवे स्टेशनों के खजाने की सुरक्षा की जा सके ?

श्री नवलकिशोर---जैसा मैंने अभी स्वयं निवेदन किया एस० पी० फतेहगढ़ के पास कुछ इस तरह की सूचना है जिससे हम यह आशा करते हैं कि यह गैंग बहुत जल्दी पकड़ लिया जायगा । मैं एक बात और भी बता दूं कि जहां जहां ये घटनायें हुई हैं वहां-वहां के एस० पी० साहबान को यह आदेश दे दिये गये हैं कि वे मिलजुल कर इन घटनाओं की जांच करें ताकि अपराधी शीघ्र पकड़े जा सकें ।

श्री भीखालाल---इस बात को देखते हुये कि इन घटनाओं के कारण रेलवे स्टेशनों का स्टाफ काफी भयभीत है, क्या सरकार जो रेलवे स्टेशन आबादी से काफी दूर हैं उनके स्टाफ की सुरक्षा का कोई प्रबन्ध करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इसका प्रबन्ध कर दिया गया है । जो थाने स्टेशन के नजदीक हैं और रात में जो दौरा इत्यादि स्टेशन आफिसर या पुलिस के सिपाही करते हैं वे समय-समय पर अब स्टेशन पर जाते हैं और कई स्थानों पर फिक्स्ड पिकेट्स लगा दिये गये हैं ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला आलीगढ़)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह आदेश देंगे कि जिन स्टेशनों पर पुलिस के पहरे का नियम नहीं है वहां के स्टेशन मास्टर या असिस्टेंट स्टेशन मास्टर को हथियार दिये जायं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यदि वे एप्लाई करेंगे तो अवश्य उस पर विचार कर लिया जायगा और उन्हें हथियार दिये जायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष---अब दूसरा आइटम लिया जायगा ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---श्रीमन्, आपने मुझे तो मौका ही नहीं दिया ।

श्री उपाध्यक्ष---आप यहां थे नहीं ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---था नहीं तो मौजूद कैसे हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---अब तो हैं, लेकिन आप बीच में कहीं चले गये थे और अब मैं दूसरा आइटम पुकार चुका हूं ।

लखनऊ शहर में लावारिस कुत्तों से उत्पन्न खतरे की स्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

***स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)**---श्रीमन्, लखनऊ शहर में लावारिस कुत्तों द्वारा उत्पन्न खतरे की स्थिति के संबंध में श्री नरसिंहनारायण पांडेय के प्रश्न पर मैं निम्न वक्तव्य देता हूं---

"लखनऊ शहर में घूमने वाले सभी लावारिस कुत्ते जहरीले नहीं हैं । साधारणतया कुत्ते पागल होने के दस दिन के अन्दर मर जाते हैं । मुख्य नगर अधिकारी, लखनऊ ने यह सूचित किया है कि यह कहना कठिन है कि कितने प्रतिशत लावारिश कुत्ते जहरीले हैं तथा उनकी संख्या कितनी है, क्योंकि इस संबंध में कोई गणना व निरीक्षा नहीं हुई है । इसके अतिरिक्त यह नहीं कहा जा सकता है कि पिछले ६ मास में कुत्तों द्वारा काटे जाने के जो मामले हुये हैं उनमें से कितने जहरीले थे । कुत्ते के काटने से न तो संक्रामक रोग होते हैं और न तो रेबे आदि की बीमारी होती है ।

महापालिका लखनऊ के पास लावारिस कुत्तों को पकड़ने के लिये दो दस्ते हैं । प्रत्येक दस्ते के पास एक गाड़ी तथा तीन कुत्ते पकड़ने वाले आदमी होते हैं । लावारिस कुत्तों को पकड़

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

लेने के पश्चात् तीन दिन तक महापालिका के कम्पाउन्ड में रखा जाता है। इसके पश्चात् यदि कोई उनका हकदार नहीं होता तो उन्हें मार डाला जाता है। यह कार्य करने में महापालिका असमर्थ नहीं है यदि जनता से उसे पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सके।

डिप्टी मेयर, श्री वी० आर० मोहन ने अपने प्रेस वक्तव्य में जनता से अनुरोध किया है कि महापालिका के लावारिस कुत्तों के उन्मूलन के संबंध में अपना सहयोग प्रदान करें। उन्होंने उन लोगों की निन्दा की है जो महापालिका के इस कार्य का विरोध करते हैं।

जे० के० रेयन मिल, कानपुर की हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्रम उप मन्त्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—श्रीमन्, जे० के० रेयन मिल, कानपुर में चल रही हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में निम्न वक्तव्य देता हूं—

"१६ जनवरी, १९६२ से जे० के० रेयन मिल, कानपुर के श्रमिकों ने हड़ताल की जिसके कारण प्रबन्धकों ने बहुत से श्रमिकों को नौकरी से अलग कर दिया। दोनों पक्षों में ९-४-६२ को हुये एक समझौते के फलस्वरूप हड़ताल समाप्त हो गई। समझौते की एक शर्त यह भी थी कि नौकरी से हटाये गये ३१६ श्रमिकों के मामलों की जांच करने के लिये एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जायगी, जिसमें प्रबन्धकों, श्रमिकों का १/१ प्रतिनिधि और श्रम विभाग का एक अधिकारी होगा।

तदनुसार एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई जिसने अपना काम ५ सप्ताह की निर्दिष्ट अवधि में पूरा किया। इन ३१६ श्रमिकों में से १३० अस्थायी आधार पर निर्धारित अवधियों के लिये रखे गये थे। ये अवधियां हड़ताल के दौरान में समाप्त हो गईं। शेष १८६ श्रमिक प्रबन्धकों द्वारा घोर अनाचार के कारण नौकरी से निकाले गये थे। इन १८६ श्रमिकों में से ५५ स्क्रीनिंग कमेटी के प्रयत्नों के फलस्वरूप नौकरी में फिर रख लिये गये। १३० अस्थायी श्रमिकों में से ५१ काम कर रहे हैं। २६ काम पर नहीं पहुंचे और शेष ५३ श्रमिकों को अभी काम नहीं दिया जा सका। यद्यपि स्क्रीनिंग कमेटी का काम पूरा हो चुका है तथापि वह सेवा योजकों पर इस बात का जोर दे रही है कि वे कुछ अन्य श्रमिकों को काम पर ले लें। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप निकाले गये श्रमिकों में से ५ श्रमिक और काम पर ले लिये गये हैं।

जाजमऊ लेबर कालोनी के कुछ क्वार्टर जे० के० रेयन, कानपुर के श्रमिकों को दिये जाने के लिये नियत किये गये हैं। इन क्वार्टरों में से ३७ क्वार्टरों में ऐसे श्रमिक रहते थे जिन्हें प्रबंधकों ने नौकरी से निकाल दिया था और वे इस प्रकार औद्योगिक श्रमिक नहीं रह गये थे। फैक्टरी के प्रबंधकों ने इन क्वार्टरों को हाउसिंग कमिश्नर के सुपुर्द कर दिया था, अतएव इंडस्ट्रियल हाउसिंग ऐक्ट के अधीन इन क्वार्टरों को उन श्रमिकों से खाली कराने के लिये जो औद्योगिक श्रमिक नहीं रह गये थे, कार्यवाही की गई। वर्तमान स्थिति यह है कि जिस तारीख से ये क्वार्टर जे० के० रेयन द्वारा हाउसिंग कमिश्नर को दे दिये गये थे उस तारीख से जो श्रमिक किराया देते चले आ रहे हैं उन्हें समय दिया गया कि वे औद्योगिक श्रमिक की स्थिति प्राप्त कर लें और शेष श्रमिक जिन्होंने किराया नहीं दिया है और जो किराया देने को तैयार नहीं हैं उन्हें क्वार्टर खाली करने के लिये अंतिम नोटिस दे दी गई है।

कुछ श्रमिकों के विरुद्ध आखिरी हड़ताल के दौरान में झगड़ा और विद्रोह आदि करने की शिकायतें आई थीं और पुलिस ने ५३ श्रमिकों के विरुद्ध विभिन्न अपराधों पर भारतीय दंड विधान की अनेक धाराओं में मुकदमे चलाये हैं। समझौता हो जाने के बाद भी फैक्ट्री में शांतिपूर्ण ढंग से काम नहीं हो रहा है। एक ऐसा भी श्रमिक जिसने हड़ताल में भाग नहीं लिया था १० जून, १९६२ को घातक हमले का शिकार हो गया और तीनों आक्रमणकारी ऐसे बतलाये

जाते हैं जो नौकरी से निकाल दिये गये थे और दोबारा काम पर नहीं लिये गये थे । उनमें से दो ने आत्मसमर्पण कर दिया है और एक अभी फरार है ।

श्री टम्ब्रेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या यह सही कि यह हड़ताल बोनस को लेकर हुई थी और जो दूसरी फैक्टरियां इसी तरह का काम करती हैं, उनके यहां वेतन भी अधिक है और बोनस भी अधिक है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, ऐसी फैक्ट्री कानपुर में दूसरी तो है नहीं ।

श्री टम्ब्रेश्वरीप्रसाद—मैं मिर्जापुर की फैक्ट्री की बात कर रहा हूं ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मैं यह सूचना भाई टम्ब्रेश्वरी प्रसाद को दे दूं कि मिर्जापुर में कोई रेआन फैक्ट्री नहीं है । भगवान करे उत्तर प्रदेश में लग जाय ।

श्री टम्ब्रेश्वरीप्रसाद—मेरा मतलब मिर्जापुर में केमिकल प्लांट से है जो काम कर रहा है ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—लोहा, तांबा और अल्युमिनियम तथा सूत के धागे का कोई संबंध नहीं है । जहां तक मजदूरों की बोनस की और दूसरी मांगों का संबंध है, वह बहुत सारी थीं, लेकिन जो रास्ता उनको अपनाना चाहिये था समझौते का, आर्बिट्रेशन का और ऐडजुडीकेशन का वह उन्होंने नहीं अपनाया ।

श्री टम्ब्रेश्वरीप्रसाद—क्या यह सही है कि श्रमिकों ने उत्पादन बढ़ जाने पर अधिक बोनस की मांग की थी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—अधिक उत्पादन बढ़ जाने का प्रश्न नहीं था, बोनस अधिक दें, तनख्वाह अधिक दें, मंहगायी अधिक दें, यह एक नार्मल मांग होती है । लेकिन उसके लिये जो तरीका सरकार ने बना रखा है, न वह हमारी सलाह मानते हैं और न लेबर लीडर्स की बातें मानते हैं । उनको कंसीलिशन और ऐडजुडीकेशन का तरीका अपनाना चाहिये । लेकिन जो उनका रुख चल रहा है उससे काम चलने वाला नहीं है । न वह हमारी नीति में आता है और न हम उसको प्रोत्साहन देने वाले हैं ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो स्क्रीनिंग कमेटी में मजदूर रह गये हैं, उनके लिये कुछ कोशिश करें, उनको भी वापस ले लें ताकि अच्छा वातावरण पैदा हो, और मालिकों और श्रमिकों के बीच में खिंचाव कम हो । मुख्यतया जो आदमी नहीं लिये जा रहे हैं, उसकी वजह से है । जो आदमी स्क्रीनिंग कमेटी की आज्ञा से चले गये, उन आदमियों को काम पर लिया जाय ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, हमने बड़ी कोशिश की कि जो मजदूर रास्ता भटक गये हैं, उनको सीधे रास्ते पर लाएं । लेबर लीडर्स ने भी कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती यह है कि यहां के मजदूरों ने ऐसा रास्ता पकड़ लिया है कि न सरकार की सुनते हैं न यूसुफ साहब की सुनते हैं । किसी की बात सुनते ही नहीं सिवा अपनी आत्मा के और उनकी आत्मा गलत रास्ते के सिवा सही रास्ते पर आती नहीं । हालत यह है कि ४२५ और ५४८ रुपये तक के मोटर पार्ट होते हैं, आजकल भी रोज टूट रहे हैं, पहले छः टूटते थे अब ५६ टूटते हैं । हमले हो रहे हैं एक दूसरे पर । माननीय संतसिंह साहब और दूसरे लेबर लीडर्स उनको समझा लें और सही रास्ते पर लाने की कोशिश करें । मिल मालिकों को हमने दबाया, लेकिन उसका बुरा नतीजा निकला । मिल मालिक कहते हैं हम को दबा देते हो तो रास्ता खराब होता है । पहले मजदूरों में शांति आनी चाहिये । जब वातावरण अनुकूल पैदा हो तो कोई विचार की बात होगी । इस समय हमारे सामने बिलकुल भी विचार नहीं है ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या यह सही है कि जो आपने स्क्रीनिंग कमेटी बना रखी है, उसने निर्णय दे दिया था कि श्रमिकों से वह क्वार्टर खाली न कराये जायं, तो क्या सरकार उनसे क्वार्टर खाली न करवाने के आदेश जारी करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, मेरी दुश्वारी यह है कि टम्बेश्वरी प्रसाद जी को ठीक-ठीक सूचना नहीं मिली है। स्क्रीनिंग कमेटी तो पहले खत्म हो गयी थी। आप मेरी बात सुन लें, शायद आपको उससे शान्ति मिले। बहुत पहले जब यह हड़ताल हुई, उस हड़ताल के खत्म होने के बाद पाँच हफ्ते के अन्दर स्कीनिंग कमेटी का काम खत्म हो गया। इन क्वार्टर्स से कोई भी मजदूर नहीं निकाला गया और अभी कोई निकाला नहीं गया है। सिर्फ नोटिस उनको दिया है और यहाँ तक कहा गया है कि औद्योगिक श्रमिक की स्थिति में वह आ जायं तो हम उनको रखने के लिये तैयार हैं। अब हालात यह हैं कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं वे किराया भी नहीं देना चाहते हैं। वह कहते हैं कि हम तो इसमें रहे हैं, रह रहे हैं और रहते जायेंगे और किराया भी नहीं देंगे। और यह स्थिति ऐसी है कि यह सदन भी तो हमको किसी पर पैसा छोड़ने नहीं देगा। जिन्होंने रुपया दे दिया उनको निकालने का आदेश नहीं दिया है। हम सिर्फ उनसे यह कहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी मजदूर की हैसियत में आ जायं, क्योंकि निकाले हुए मजदूर नहीं रह जाते। तो अगर वह कहीं काम कर लेंगे तो उनको रखेंगे नहीं तो उनको भी निकाला जायगा और जो किराया नहीं दे रहे हैं उनको निकालना ही पड़ेगा।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या यह सही है कि यह कालोनी जो थी वह मिल मालिकों को एलाटेड थी सामूहिक रूप से न कि मजदूरों को और क्या यह भी सही है कि इतने अधिक मुकदमे सरकार की ओर से मजदूरों पर चल रहे हैं कि वह दूसरे स्थान पर नौकरी करने में भी असमर्थ हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, यह जो मकान लेबर हाउसिंग के हैं यह इंडस्ट्री के लिये बने हैं, उसके मजदूरों के लिये। उसमें जे० के० रेयन ने कहा कि इतने क्वार्टर्स मजदूरों के लिये हमको दे दो, तो वह उन्हें दे दिया। अब वह उसका किराया उनकी तनख्वाह से काटते थे या अपनी जेब से देते थे, इससे हमको कोई मतलब नहीं। हमने क्वार्टर्स उनको मजदूरों के लिये दे दिये और जब उन्होंने कहा कि ये क्वार्टर्स हम खाली करते हैं, हमको नहीं चाहिये, तो हम उन क्वार्टर्स को फैक्ट्री पर जबर्दस्ती लाद तो नहीं सकते। जहाँ तक दूसरा प्रश्न है कि मुकदमे चला दिये हैं तो अब मारपीट हो, घातक हमले हों, और पुलिस पकड़े तो श्रम विभाग उसको रोक तो नहीं सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री टम्बेश्वरीप्रसाद के खड़े होने पर) अब आप विराजिये।

१३ अगस्त, १९६२ को मन्त्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर हुये विभाजन की संख्या का शोधन

श्री उपाध्यक्ष—एक सूचना देनी है वह एक दुखद घटना सी है। श्री पंचम जो हरदोई क्षेत्र से निर्वाचित यहाँ के सदस्य हैं उन्होंने उस दिन अविश्वास के प्रस्ताव पर जब विभाजन हो रहा था तो दोनों तरफ की लाबीज में जाकर दस्तखत किये हैं। यह बात अनुचित है, होनी नहीं चाहिये। इसलिये दोनों तरफ से एक-एक वोट कम कर दिये जायंगे। इधर के रहेंगे २५१ और उधर के रहेंगे १३५।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय पंचम से पूछ लिया जाय कि किधर वोट करना चाहते थे।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता था कि समाचार-पत्रों में दो तीन मर्तबा यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि कुछ माननीय सदस्यों ने किसी पार्टी को छोड़ करके गवर्नमेंट की पार्टी को वोट किया। श्रीमन्, आप जरा इस बात को ध्यान में रखें कि समूचे विरोधी दल के ऊपर यह एक लाँछन है। पब्लिक ओपीनियन, जनता के दिमाग में इसका क्या असर होगा? मैं समझता हूं कि कोई आदमी इस वक्त अपोजीशन का १८० या जितने भी सदस्य हैं इस तरफ बैठे हुए हैं उन सबके ऊपर यह लाँछन है और श्रीमन्, खास तौर से यह बात मैं आपसे इसलिये कह रहा हूं कि जो सूचना प्रकाशित हुई है अखबार में वह सरकार के द्वारा दी हुई सूचना प्रकाशित हुई है। उसमें यही लिखा हुआ है कि सरकार के प्रवक्ता ने यह कहा। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में विरोधी दल की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर के यह अवश्य करना चाहिये कि जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके नाम प्रकाशित कर दिये जायं। उनके नाम प्रकाशित कर देने से कम से कम जो सभी लोगों के ऊपर एक लाँछन है वह सब लोगों के ऊपर नहीं रहेगा। इसके लिये मैं कोई जिद न करता और न आग्रह करता, लेकिन इसलिये आग्रह कर रहा हूं कि विरोधी दल को छोड़कर उन लोगों ने सरकार को वोट किया, इसका लाँछन सब लोगों के ऊपर न रहे। जैसे श्री पंचम का नाम रख दिया गया कि उन्होंने दोनों पार्टियों को वोट किया, वैसे ही उनके नाम भी प्रकाशित कर दिये जायं जिन्होंने विरोधी दल को छोड़कर सरकार को वोट किया।

श्री उपाध्यक्ष—इस सम्बन्ध में मुझे यह अर्ज करना है कि स्पीकर साहब का जहाँ तक ताल्लुक है या मेरा ताल्लुक है हम लोगों को यह नहीं मालूम कि किसने क्या वक्तव्य निकाला। सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य निकला, ऐसी कोई सूचना हम लोगों को नहीं है। इसके अलावा एक और बात है और वह यह है कि यह तो सदस्यों की बात है जो सदस्यों की तरफ से अखबारों में निकली है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से निकली हो, यह मुझे नहीं मालूम। मैंने तो एक अपोजीशन के सदस्य की तरफ से भी पढ़ा। तो मैं यह समझता हूं कि सदस्यों की तरफ से ही मैंने पढ़ा, बल्कि उसमें यह लिखा हुआ था कि एक वक्ता विरोधी दल । इधर से भी निकला था शायद कोई एक सदस्य काँग्रेस के थे। मैंने इनके वक्तव्य को पढ़ा था, लेकिन इससे हम लोगों का ताल्लुक नहीं है।

अब रही यह बात कि किसी पार्टी पर लाँछन आता है तो इससे भी हमारा वास्ता नहीं है और न हमारे पास इसकी कोई सूचना है। इस सम्बन्ध में असेम्बली आफिस कुछ करने में असमर्थ है।

श्री गेंदासिंह—इस तरह से शिकायत हल नहीं होती। मैं एक बात कहूं कि वहीं से आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि जहाँ से सरकारी वक्ता कोई समाचार उधर से दे देते हैं। मैं समझता हूं कि हम मुहैय्या करेंगे कि वह समाचार किस तरह से प्रकाशित हुआ और अखबारों को वह समाचार कहाँ से मिला, किन्तु हमारी विवशता भी आप देखें कि सारे अपोजीशन पर एक रिफलेक्शन है। इसलिये सही बात लोगों के नजदीक तक पहुंच सके इसकी व्यवस्था करना, मैं समझता हूं, आपका कर्तव्य है। आप इस पर अभी अपनी व्यवस्था न दें। वह कागज हम आपके सामने रखेंगे तब फिर जो आप मुनासिब समझें करियेगा।

श्री उपाध्यक्ष—आप भी फ्री हैं। आप भी जैसा चाहें वैसा वक्तव्य निकालें। इससे असेम्बली आफिस का कोई सम्बन्ध नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अवैध शस्त्रास्त्र बनाने के कारखाने तथा शस्त्रास्त्र पाये जाने के सम्बन्ध में गृह उप-मन्त्री का वक्तव्य

गृह उप-मन्त्री (श्री नवलकिशोर)—श्री बिपिनबिहारी तिवारी द्वारा प्रस्तुत लोक महत्व के प्रश्न में कहा गया है कि फर्रुखाबाद, लखीमपुर-खीरी, फतेहपुर और बदायूं जिलों में पुलिस ने भारी तादाद में अस्त्र शस्त्र अथवा हथगोले बरामद किये और अवैध अस्त्र बनाने के कारखाने पकड़े गये हैं तथा कुछ विदेशी नागरिक भी पकड़े गये हैं। इन जिलों की सूचना इस प्रकार है :

जनवरी, १९६२ से जुलाई, १९६२ तक फर्रुखाबाद जिले में कुछ १३० अवैध आग्नेयास्त्र बरामद किये गये जिसमें १२० देशी और १० विदेशी आग्नेयास्त्र थे। ८ ऐसे स्थान जहाँ पर अवैध आग्नेयास्त्र बनाये जाते थे उनका इस जिले में इस वर्ष पता लगाया गया। इसी अवधि में लखीमपुर-खीरी जिले में कुल १३७ अवैध आग्नेयास्त्र बरामद किये गये जिसमें १ इंडियन आर्डिनेन्स फैक्ट्री की बनी बन्दूक, १३४ देशी और २ विदेशी आग्नेयास्त्र थे। ३ ऐसे स्थानों का भी पता लगाया गया जहाँ पर ऐसे अवैध अस्त्र बनते थे और वहाँ से कुछ बने और कुछ अधबने अस्त्र बरामद किये गये। इनमें से २ मामलों में ३ व्यक्तियों के विरुद्ध चार्ज शीट न्यायालय में भेजी जा चुकी है और १ मामले में १ अपराधी के विरुद्ध जाँच हो रही है।

फतेहपुर जिले में जनवरी, १९६२ से जुलाई, १९६२ तक कुल ३४ अवैध आग्नेयास्त्र बरामद किये गये जिसमें ३२ देशी और २ विदेशी थे जिसके सम्बन्ध में ३४ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। इस जिले में कुल्ली नामक स्थान पर कोई हथगोले बरामद नहीं किये गये। उक्त स्थान पर ५ टी० एन० टी० स्टिक्स जो कि कोयले की खानों में विस्फोट के लिये इस्तेमाल की जाती हैं, बरामद की गईं। इस जिले में जनवरी, १९६२ से जुलाई, १९६२ तक ४ ऐसे स्थानों का पता लगाया गया जहाँ पर अवैध अस्त्र बनते थे और वहाँ से कुछ बने तथा कुछ अधबने अस्त्र बरामद किये गये। इस सम्बन्ध में ६ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। चारों मामले न्यायालय भेजे जा चुके हैं और वहाँ विचाराधीन हैं।

बदायूं जिले में जनवरी, १९६२ से जून, १९६२ तक ९५ अवैध आग्नेयास्त्र बरामद किये गये जिसमें ८९ देशी और ६ विदेशी थे। १ अगस्त, १९६२ को ग्राम ददमई में एक ऐसे स्थान का भी पता लगाया गया जहाँ पर अवैध अस्त्र बनते थे और वहाँ से १ देशी एक नली १२ बोर की बन्दूक बरामद की गई। इस सम्बन्ध में ४ व्यक्ति १ अगस्त, १९६२ को गिरफ्तार किये गये जिनमें से १ हिस्ट्रीशीटर है। उनके विरुद्ध धारा १९ आर्म्स ऐक्ट का मामला दर्ज किया गया है जिसमें जाँच हो रही है।

उपरोक्त से यह विदित होगा कि अवैध अस्त्रों को बरामद करने के लिये और अपराधियों को सजा दिलाने के लिये यथोचित कार्यवाही की गई। वस्तुतः शासन द्वारा इस समस्या की ओर ध्यान देने तथा समुचित प्रयास करने के फलस्वरूप ही इन अवैध अस्त्रों को बरामद किया जा सका। ऐसा प्रतीत होता है कि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् लोगों की अस्त्र-शस्त्र के सम्बन्ध में जानकारी बढ़ी है और साथ ही साथ इंजीनियरिंग और टेक्निकल ज्ञान की वृद्धि के फलस्वरूप लोहारों तथा अन्य कारीगरों की कार्यकुशलता में भी वृद्धि हुई है। लोहे के पाइप और साइकिलों के फ्रेम आदि जिनसे अवैध अस्त्र बनाये जा सकते हैं भी सरलतापूर्वक प्राप्य हैं। इन तथा इन्हीं प्रकार के अन्य कारणों से अवैध आग्नेयास्त्रों का आसानी से बनाया जाना संभव हुआ है। इस अपराध को सरकार जिस हद तक रोकना चाहती है उस हद तक रोकने में थानों पर पुलिस की कमी एक बाधा रही है। अभी हाल में ही पुलिस में जो वृद्धि हुई उससे

इस दशा में सहायता मिलने की आशा है। फिर भी अब तक पुलिस इस विषय में काफी सतर्क रही है और समय-समय पर इस अपराध को रोकने के लिये विशेष अभियान (drive) किये गये। इस वर्ष जुलाई मास के अन्त तक पूरे उत्तर प्रदेश में २३ अवैध अस्त्र बनाने के स्थानों का पता लगाया गया तथा इस वर्ष जून मास तक कुल १,४८१ अवैध आग्नेयास्त्र पुलिस द्वारा बरामद किये गये जिसमें १३७ विदेश में बने हुए थे और १,३४४ देशी थे। सन् १९६१ में जून मास तक कुल १,२८२ अवैध आग्नेयास्त्र पुलिस द्वारा बरामद किये गये थे जिसमें १०५ विदेशी और १,१७७ देशी थे। सन् १९६० में इसी अवधि में बरामद किये गये। अवैध आग्नेयास्त्रों की संख्या १,३२४ है। इनमें से १,१९७ देशी तथा १२७ विदेशी थे। इससे स्पष्ट है कि इस वर्ष बरामद किये गये अस्त्रों की संख्या गत वर्षों से विशेष अधिक नहीं है और जो थोड़ी अधिक है वह इस कारण कि इस वर्ष विशेष सतर्कता बरती गयी।

३---जिन व्यक्तियों तथा जिन स्थानों से अवैध अस्त्र बरामद किये गये हैं उनके सम्बन्ध में छानबीन से किसी प्रकार की आपसी गुटबन्दी या राजनीतिक अथवा अपराध सम्बन्धी मेल जोल का होना नहीं पाया गया। यह अस्त्र उन लोगों ने अपने पास केवल अनैतिक रूप से लाभ के हेतु रखे अथवा बनाये थे और यह छुटपुट मामले एक दूसरे से सर्वथा असम्बन्धित हैं।

४---गत ७ मास में कोई विदेशी अवैध आग्नेयास्त्रों को बनाने के सम्बन्ध में नहीं पकड़ा गया। केवल २ विदेशियों को अवैध देशी अस्त्र रखने के अपराध में गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध धारा १९ आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमे न्यायालय में चल रहे हैं। इनमें से एक फर्रुखाबाद में पकड़ा गया था और एक बुलन्दशहर में।

५---इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि अवैध आग्नेयास्त्रों को बनाने और लोगों को देने में किसी संस्था विशेष की कोई गुप्त योजना नहीं है और इस वर्ष कोई ऐसी घटना भी नहीं हुई है जो किसी चिन्ता का कारण हो। इस विषय में जो समस्या है उसका शासन को पूर्ण ज्ञान है और उसे हल करने के लिये प्रयत्नशील है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---श्रीमन्....

श्री उपाध्यक्ष---यह तो केवल वक्तव्य के लिये था।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---स्पष्टीकरण के लिये हमेशा अध्यक्ष महोदय अवसर देते हैं। आप आज्ञा दे सकते हैं न दें तो दूसरी बात है।

श्री उपाध्यक्ष---बहुत समय हो गया है। अब दूसरा आइटम लिया जायगा।

बरेली रबड़ फैक्टरी में हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्रम उपमन्त्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---श्रीमन्, दी ल्यूमस कम्पनी इंडिया लिमिटेड सेंथेटिक रबर फैक्ट्री बरेली का निर्माण कार्य कर रही है। उस फैक्ट्री में कुल ३,९५२ श्रमिक काम करते हैं। २ अगस्त, १९६२ को सेवायोजकों को प्रेसीडेंट रबर फैक्ट्री निर्माण मजदूर यूनियन का ३० जुलाई, १९६२ की तारीख का एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें ११ मांगें दी हुई थीं और यह सूचित किया गया था कि यदि ये मांगें तुरन्त पूरी न की गयीं तो अन्त में उन्हें पूरी कराने के लिये श्रमिक हड़ताल कर देंगे। इस पत्र में इस बात की स्पष्ट सूचना नहीं थी कि श्रमिक उक्त तिथि से हड़ताल कर देंगे।

२---प्रादेशिक सहायक श्रमायुक्त, बरेली ने ४ अगस्त और ५ अगस्त को दोनों पक्षों से इस मामले में बात की और उन्हें बतलाया कि यह हड़ताल बिना उचित नोटिस दिये की गयी है अतएव वह गर-कानूनी है। अतः उन्हें अपनी शिकायतें दूर करने के लिये वैधानिक ढंग से कार्यवाही करना चाहिये।

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

३---श्रमिकों ने मिल के फाटक पर अनेक मीटिंगें कीं और साथी मजदूरों को ६ अगस्त, १९६२ से हड़ताल पर जाने के लिये प्रेरित किया। तदनुसार ६ अगस्त, १९६२ को ६ बजे प्रातः से श्रमिकों ने हड़ताल कर दी।

४---श्रमिकों की मुख्य मांग सेवायोजकों द्वारा फालतू श्रमिकों की छटनी करने के ढंग के सम्बन्ध में थी। श्रमिकों ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी छटनी "बाद में भरती हुये की पहले छटनी करने" के सिद्धांत के अनुसार की जानी चाहिये। सेवायोजकों का कहना है कि वे पहले से ही इस सिद्धान्त का अनुकरण कर रहे हैं और वे इस सम्बन्ध में वैधानिक व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं। उन्होंने यह भी इंकार किया है कि श्रमिकों को कोई नई भर्ती की गई है। जहां तक सवेतन बीमारी की छुट्टी की मांग का सम्बन्ध है सेवायोजकों का कथन है कि जिन श्रमिकों पर फैक्ट्रीज ऐक्ट लागू होता है उन्हें उस ऐक्ट के अधीन समस्त सुविधायें दी जा रही हैं। श्रमिकों के प्रतिनिधि इस सम्बन्ध में सेवायोजकों की एक भी गलती का प्रमाण न दे सके। अन्य मांगें अधिक महत्वपूर्ण किस्म की नहीं थी। और वे वैधानिक ढंग से तय की जा सकती थीं, परन्तु श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने इस विषय में प्रादेशिक सहायक श्रमायुक्त की सम्मति की कोई परवाह न की।

५---हड़ताल अभी जारी है। हड़ताल के पहले दिन २,७७७ श्रमिक हड़ताल पर थे और १,१७५ श्रमिक काम कर रहे थे। ११ अगस्त, १९६२ को ७३६ व्यक्ति तथा १४ अगस्त को ९५२ व्यक्ति काम पर थे।

६---प्रादेशिक सहायक श्रमायुक्त इस मामले में दोनों पक्षों से बातचीत कर रहे हैं, परन्तु श्रमिकों के प्रतिनिधियों की हठपूर्ण प्रवृत्ति के कारण अभी तक समस्या सुलझ नहीं सकी है।

श्री उपाध्यक्ष---यह भी केवल वक्तव्य है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)---जो स्टेटमेंट दिया गया है वह सही नहीं है उसकी बहुत सी बातें गलत हैं।

श्री उपाध्यक्ष---आप नोटिस दीजिये तो आपको जवाब मिल जायगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १०३ में संशोधन का का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष---माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने प्रार्थना की है कि जो उनका आइटम है वह स्थगित कर दिया जाय और इसलिये वह स्थगित कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) विधेयक, १९६२

परिवहन मन्त्री (श्री मुजफ्फर हसन)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) विधेयक, १९६२ [The Uttar Pradesh Motor Gadi (Yatri-Kar) Vidheyak, 1962.] को पुरः स्थापित करने की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) विधेयक, १९६२ [The Uttar Pradesh Motor Gadi (Yatri-Kar) Vidheyak, 1962.] को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मुजफ्फर हसन--मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) विधेयक, १९६२ [Uttar Pradesh Motor Gadi (Yatri Kar) Vidhyak, 1962.] को पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ १९३-२०५ पर।)

*उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६२

परिवहन मन्त्री (श्री मुजफ्फर हसन)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (संशोधन) विधेयक, १९६२ [Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Sansodhan) Bill, 1962] पर विचार किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत है विचार के लिये, उसमें आखिर में उसके उद्देश्य और कारण दिये हुए हैं जिन्हें माननीय सदस्यों ने पढ़ लिया होगा। फिर भी मैं मुखतसिर तौर पर कुछ बतला देना चाहता हूं।

इस संशोधन बिल द्वारा ३-४ तरमीमें की गयी हैं। एक तरमीम तो यह की गयी है कि हमने उसमें मौजूदा मैट्रिक प्रणाली को चालू किया है। पहले पौंड और हन्डरवेट आदि थे, जिनकी जगह पर अब मैट्रिक सिस्टम को रखा गया है।

दूसरी तरमीम यह की गयी कि हमने कम्पोजीशन फी को रेशनेलाइज किया है। अभी तक जो लोग देर में टैक्स जमा करते थे उनको ५० रुपये कम्पोजीशन फी के देने पड़ते थे। इसका नतीजा यह था कि हल्की गाड़ियों और भारी गाड़ियों में कोई फर्क नहीं रहता था। इस तरमीम के जरिये कम्पोजीशन फी को तमाम महसूल के साथ जोड़ दिया है। इससे छोटी गाड़ियों या मोटर साइकिलों को रखने वालों को कुछ रिलीफ मिलेगा।

तीसरी तरमीम यह है कि सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि प्रदेश में निजी गाडियों और हल्की गाड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है। रजिस्ट्रेशन के बाद यह गाड़ियां दूसरे रीजन्स में भी आ जा सकती हैं। यही नहीं, बल्कि उनको यह भी अधिकार है कि वे एक किस्त एक रीजन में जमा करें और दूसरी दूसरे रीजन में जमा करें। इसकी वजह से काम करने में कई तरह की कठिनाइयां सामने आयीं। गाड़ियों को पता लगाने और उनका हिसाब रखने में भी बड़ी दिक्कत हुई। तो इस संशोधन विधेयक के जरिये ४ किस्तों के बजाय हमने एक ही किस्त कर दी है और एक दफा टैक्स लिया जाय, यह व्यवस्था की है।

चौथी बात यह है कि हमने इस विधेयक के जरिये हल्की गाड़ियों पर रोड्स टैक्स की दरों में कुछ इजाफा किया है। वह मौजूदा टैक्स से तकरीबन २० फीसदी ज्यादा है। माननीय सदस्य शायद जानते होंगे कि इस प्रदेश में रोडवेज टैक्स की दरें और प्रदेशों के मुकाबले में कम हैं। कुछ गाड़ियों का हवाला मैं देता हूं। जैसे फिअटर कार है, उस पर टैक्स दिल्ली में ८० पये है, मध्य प्रदेश में १०० रुपये है, बिहार, उड़ीसा और मद्रास, मैसूर में १२० पया है। बम्बई में ९० रुपया, आसाम में ८० और राजस्थान में ६० रुपया। उत्तर प्रदेश में अभी तक ४८ पया थी और अब यह रकम बढ़ा कर ६० रुपया की जा रही है। इसी तरह से स्टेशन वैगन के महसूल दिल्ली में १०० रुपया, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में १२० रुपया, मध्य प्रदेश में १३० पया; बिहार, उड़ीसा, मद्रास, मैसूर में १५६ पया और बम्बई और पश्चिमी बंगाल में १२० रुपया; आसाम में १०९ पया और राजस्थान में १०५ रुपया है। उत्तर प्रदेश में अभी तक ६८ रुपये थी, अब करीब ८० पया यह रकम की जा रही है। इसी तरह से और भी गाड़ियों का हिसाब है।

---

*१० अगस्त, १९६२ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री मुजफ्फर हसन]

तो आप यह देखेंगे कि बावजूद इस जाफे के उत्तर प्रदेश के बस और जगहों से कम ही रहते हैं। समद में हमको साढ़े चार लाख सालाना की बढ़ोत्तरी हो रही है और इस साल सिर्फ सवा दो लाख पये का इजाफा हो सकेगा। मुख्तसिरतौर से यही इस बिल का मकसद है। यह बताने की जरूरत नहीं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए हमें धन की आवश्यकता है और इसके लिये सभी साधनों को इकट्ठा करना है। इस टैक्स का भार भी गरीब आदमियों पर नहीं पड़ने वाला है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि इस संशोधन विधेयक को सब लोग इत्तफाक राय से मंजूर करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—श्री टम्बेश्वरी प्रसाद ने इसी समय मेरे पास एक अमेंडमेंट भेजा है। अगर परिवहन मंत्री इसमें एतराज न करें तो मैं उनको बुला लूं, और एतराज हो तो टाइम-बार्ड है।

श्री मुजफ्फर हसन—जब तक पहले से इत्तला न हो तो उसको कैसे कंसीडर कर सकते हैं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—प्रवर समिति को भेजने का संशोधन है केवल माननीय सदस्य की अनुपस्थिति के कारण मैंने किया है।

सिंचाई मन्त्री (श्री राममूर्ति)—हमारे दोस्त फरमा रहे हैं कि 'केवल'। लेकिन यह केवल फंडामेंटल चीज है, छोटी सी प्रस्तावना है, आपने सुन लिया, ऐसी कौन सी चीज है इसमें कि इसको वहां भेजा जाय?

श्री मुजफ्फर हसन—अध्यक्ष महोदय, अगर हम इसको मंजूर कर लें तो इसका मकसद ही फ़ौत हो जाता है। आधा साल गुजर चुका है और हमको इस साल बजाय साढ़े चार लाख के सवा दो लाख रुपये की आमदनी होनी है, तो अगर हम इसको २ महीने के लिए टालते हैं तो मकसद ही फ़ौत हो जाता है। हम उसके लिए इजाजत नहीं दे सकते।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मुझे बड़ा दुःख है कि वह कैसे यह कह सकते हैं कि "हम आज्ञा नहीं दे सकते", यह अधिकार तो उपाध्यक्ष महोदय, आपको ही है, वह इसको स्वीकार न करें वह बात दूसरी है, यह वह कह सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—जब नोटिस नहीं है तो दूसरे पक्ष को एतराज हो सकता है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—उसमें श्यामलाल जी का पहले से संशोधन है इसी तरह का। तो नोटिस तो पहले से ही उनको है। एक सदस्य की अनुपस्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं, यह बात दूसरी है, यह नहीं कह सकते कि नोटिस नहीं है। सलिये उपाध्यक्ष महोदय, आप अपने अधिकार का प्रयोग कीजिये और इसकी अनुमति दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—यह तो कायदे की बात है। मेरे सामने सवाल है कि पूरा नोटिस नहीं है, समय नहीं मिला है, इसलिए दिक्कत है मेरे सामने। अगर वह राजी होते तो मैं से मान लेता।

श्री मुजफ्फर हसन—अगर सदस्य महोदय चाहते हैं कि उस पर कुछ बोल सकें तो बोल लें, हमें एतराज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष— बोलने का तो पूरा मौका है ही।

***श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब कोई माननीय सदस्य यह प्रार्थना करें कि प्रवर समिति को भेज दिया जाय तो वह उस विधेयक के सिद्धान्तों को स्वीकार करते हुए ऐसा करता है। वह संशोधन की इच्छा रखता है। अब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनके लिये यह रह जाता है कि या तो इस विधेयक का विरोध करें या समर्थन करें। न दोनों के बीच का एक रास्ता यह है कि प्रवर समिति को भेज दिया जाय। उसमें संशोधन और संवर्द्धन की गुंजाइश रहती है।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने एक स्टैंड ले लिया है, उससे हटना मेरे लिये सम्भव नहीं है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय श्यामलाल जी का है उसका नोटिस माननीय मंत्री जी को है। मैं बिलकुल उन्हीं शब्दों में पढ़े देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—अब यह तय हो चुका है और मैंने एक स्टैंड ले लिया है। अब आप उस पर बहस कर लीजिये।

***श्री टम्बेश्वरीप्रसाद**—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इतनी लचर दलील इस टैक्स के विधेयक को पेश करते हुये यहां दी है कि जो शायद असेम्बली में कभी नहीं हुई होगी। यह कहना कि और प्रान्तों में यहां से टैक्स अधिक है, इसलिये हम बढ़ाते हैं, यह दिखलाता है कि हमारे अन्य प्रान्तों से और बातों में भी समता होनी चाहिये। जब प्रश्न आता है हमारी आमदनी का, इस प्रदेश की आमदनी का, और हम यह देखते हैं कि उन प्रदेशों के मुक़ाबले में हमारी आय किस क़दर बढ़ी है या कम रही है, तो हमारे हर व्यक्ति की, प्रदेश की और हमारे परिवार की आय घटी ही है। माननीय सूचना मंत्री के कमरे में और अन्य मन्त्रियों के कमरे में एक ग्राफ टंगा हुआ है। अगर वे उसे देख लिया करें तो उसमें और प्रदेशों की आमदनी जहां नीचे से बढ़ कर ऊपर चली गई, लेकिन उत्तर प्रदेश की आमदनी बराबर नीचे को चोंच किये हुए झुकती चली जा रही है। जब माननीय मंत्री जी यह कहते हैं कि और प्रदेशों को ज्यादा पैसा मिलता है, इसलिये बढ़ा रहे हैं, तो यह भी देखना चाहिये कि उन प्रदेशों की सरकारों ने वहां की जनता की आय बढ़ाई है या नहीं और यहां नहीं बढ़ाई है।

जब हम यह देखते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस विभाग ने क्या-क्या काम किये हैं, तो उसमें भी पूरी निराशा होती है। इस विभाग ने किसी स्थान पर तो रोडवेज का किराया बहुत अधिक कर रखा है और किसी पर बहुत कम। इस प्रदेश की एक ही जनता से एक ही मार्ग के लिये विभिन्न प्रकार के स्तर मंत्री जी ने बना रखे हैं। सदन में बात करते हुए कभी-कभी हमारे मंत्री लोग कुछ वायदे भी कर दिया करते हैं, जब कि हमारे कांग्रेस के सदस्यगण सवाल पूछा करते हैं। माननीय ताराचन्द माहेश्वरी जी ने सवाल किया था कि सीतापुर—लखनऊ का किराया कम किया जाय तो उसमें वायदा है कि किराया कम किया जायगा। माननीय मंत्री जी उस सवाल को निकाल कर देख लें। लेकिन अभी माननीय मंत्री जी कहेंगे कि हमने कभी वायदा नहीं किया। परिवहन विभाग जो भी कार्य करता है, मैं उसे इस दृष्टि से देखता हूं कि वह कार्य यात्री के हित का या अहित में किस हद तक जा रहा है। आप यही पायेंगे कि किसी सूरत से सरकार ज्यादा पैसा लेले, भले ही यात्री को तकलीफ हो। इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। जब यह टैक्स बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि आखिर इस विभाग की व्यवस्थायें क्या हैं। आप लखनऊ के सरबाग बस स्टेशन की ओर चले जाइये। आये दिन खबरें मिलती हैं कि यात्री खतरे में, उनका सामान खतरे में, स्थान नहीं, और किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। इस विभाग को केवल टैक्स की ही परवाह है।

अब देखिये कि जो टैक्स बढ़ाये जा रहे हैं वे क्या हैं। बस और ट्रक्स के अलावा लाइट वैहिकिल्स पर है। हमारे मंत्री जी ने कहा है कि स्कूटर कम्पनी वालों, अगर तुम दाम नहीं घटाते हो, २,१०० से १,५०० नहीं करते हो, तो सरकार इस बात पर विचार करेगी कि कम्पनीज को वह ले ले। इसके लिये यह दलील दी है कि स्कूटर से सामान्य आदमी दूर काम पर जाते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—कहिये।

श्री बसन्तलाल शर्मा—माननीय मंत्री जी ने मोटर गाड़ी (यात्री-कर) विधेयक प्रस्तुत किया है.....

श्री उपाध्यक्ष—वह खत्म हो गया।

***श्री टम्बेश्वरीप्रसाद**—मैं कह रहा था कि अभी केन्द्रीय सरकार ने घोषणा की है कि हलके प्रकार के यातायात के साधनों को सस्ता होना चाहिये और उनका बढ़ाव भी होना चाहिये। तो देखा जाय कि इस सरकार का यह काम उस सरकार से कितना भिन्न है। एक ओर वह सरकार कहती है कि कम खर्च आना चाहिये और दूसरी ओर हमारी सरकार की निगाह एक ही तरफ़ है कि आदमी की रोज की आवश्यकता की चीज को टैक्स किया जाय। सरकार के टैक्स हमारे सामने इस नीयत से आते हैं कि जनता की आर्थिक दशा को न देखा जाय, बल्कि आदमी की दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं को ऐसे टैक्स किया जाय कि अगर आदमी मरे भी तो सरकार का टैक्स अदा करके मरे। यही दृष्टि सरकार की हर जगह मौजूद है, चाहे वह काश्तकार का छोटे स्तर का लगन हो या कोई लाइट वैहिकिल्स या और प्रकार के साधन हों। सरकार इस नीति को आज यह सदन बिलकुल मानने के लिये तैयार नहीं है, चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के हों। माननीय मंत्री जी की कमजोरी इस मामले में किस हद तक बढ़ गई है? एक मामूली सा संशोधन वह सदन में प्रस्तुत नहीं करने देते हैं कि यह प्रवर समिति को जाय। इस संशोधन से डर कर माननीय मंत्री जी कहते हैं कि यह टाइम-बार्ड है। टाइम-बार्ड यह तब होता जब कि माननीय मंत्री जी का कोई उसमें बिना विचार किये मैं कहता कि माननीय मंत्री जी हमारे सुझावों को मान लें। अगर ऐसी समिति जिसमें दोनों ओर के लोग हों किसी विधेयक के सिद्धान्तों पर विचार करना चाहती है तो मेरी समझ में यह दलील नहीं आई कि वह किस प्रकार प्रवर समिति को न भेजने की मंत्री जी की राय हो सकती है। माननीय मंत्री जी यह दलील दे सकते थे कि प्रवर समिति उनके उसी टैक्स को मान्यता दे दें जिनको उन्होंने यहां स्वीकार करने के लिये रखा है। मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि यह सदन इन टैक्सेज को स्वीकार नहीं करेगा। वे सदा ही टैक्सेशन के ऐसे ही प्रपोजल लाते हैं जिनसे जनता को यातायात अथवा और अन्य प्रकार की जो सुविधायें होती हैं, वे समाप्त हो जायं। माननीय मंत्री जी कोई भी ऐसा टैक्स का प्रपोजल नहीं लाते जिससे अधिक आमदनी वालों को कुछ देना पड़े। उनके पीछे साधारण जनता को टैक्स करने की नीति रहती है चाहे वह बहुगुणा जी की रेयन फैक्ट्री से मजदूरों को निकालने की बात हो या २५ प्रतिशत हरिजनों को कुएं के लिये माफ करने की बात हो। इस प्रकार के सवालों का तो सरकार विरोध ही करती है। इसलिये मैं उनकी इस भावना से कि लाइटर वेहिकिल्स पर टैक्स लगाया जाय, विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी अपने इस विधेयक को वापस ले लेंगे अथवा दूसरे किसी सदस्य के इस प्रस्ताव को कि यह प्रवर समिति में भेज दिया जाय, स्वीकार कर लेंगे।

श्रीमती किश्वर आरा बेगम (जिला रामपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं मोअज्जिज मेम्बरान से अर्ज करती हूं कि यू० पी० की इकोनामी शदीद तौर पर मुतास्सिर है और इस बात की सख्त जरूरत है कि थर्ड प्लान को कामयाब बनाया जाय। किसी भी मुल्क या उसके प्राविन्स के लिये तेजी से तरक्की करने के वास्ते जरूरी है कि वहां की इकोनामी मजबूत हो। प्लान पर अमलदरामद के लिये, नयी तरक्की की स्कीमों को चलाने के लिये रकम की जरूरत है और रकम का जरिया टैक्सेज है। जाहिर है कि जब हम इस बात के कायल हैं कि गवर्नमेंट को टैक्स

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लगाने का अख्तियार है तो हमें इसका भी कायल होना पड़ेगा कि टैक्सेज को कमोवेश करने का भी उसको अख्तियार है। गवर्नमेंट के इस अख्तियार को चैलेंज करना ऐसा ही है जैसा अनार्किज्म और निराजियत की जहनियत को दावत देना। मैं समझती हूं कि अपोजीशन के मोअज्जिज मेम्बर निराजी जहनियत नहीं रखते हैं और न वे यह पसन्द करेंगे कि यह स्टेट ऐडमिनिस्ट्रेशन के नुक्ते नजर से निकम्मी हो जाय और न वो पसन्द कर सकते हैं कि यू० पी० की इकोनामिक्स दिवालिया हो जाय। जाहिर है कि हम लोगों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वह इस हद तक ही नहीं कि हम ऐजीटेशन की जहनियत पैदा करें और यह भी नहीं कि अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिये क्रिटिसिज्म को बुनियाद बनायें और बुनियाद भी ऐसी कि जिसमें वे लोग कि जो समाज को बुलन्द करने और उसको ऊंचा उठाने के लिये प्लानिंग के कायल हैं और जो यह समझते हैं कि एक वेलफेअर स्टेट के लिये और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिये पहले से प्लान बना लेना जरूरी है और आज जब कि आयन्दा पांच साल के लिये प्लान मंजूर हो चुका है और साल भर के लिये बजट भी पास हो चुका है। उस वक्त बजट में रुपये की कमी को पूरा करने के लिये मजीद टैक्सों की जरूरत है, उस वक्त इस काम में रोड़ा अटकाना काफिले की मंजिल को सुस्त करना है। इस वक्त मेरे नुक्ते नजर से गवर्नमेंट की टैक्सेशन की पालिसी पर ऐतराज बेमानी है। यह सही है कि मुल्क इस वक्त कानूनी तौर पर इमर्जेंसी हालत में नहीं है, लेकिन फिर भी गैर मुल्कों का दबाव सख्त से सख्त होता जा रहा है। ऐसी हालत में हमारा, फ्रांटियर भी खतरे में है इसलिये चौकस रहने की जरूरत है। रुपये की कमी की वजह से अगर हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन में झोल पैदा हो गया हो तो आगे आने वाली नस्लें इसको हर्गिज माफ नहीं करेंगी और वह आजादी जो सौ साल की मुसलसल जद्दोजहद के बाद हासिल हुई है, वह खतरे में पड़ जायगी। देश का मफाद पार्टी के मफाद से बालातर है और सस्ती शोहरत से भी बालातर है और इस नुक्तेनजर से कि हमारी बैनुलअकवामी इमदाद भी कम होती जा रही है, हमें अपनी आजाद पालिसी को बरकरार रखने और मुल्क के वकार को ऊंचा करने के लिये तथा महात्मा गांधी के बताये हुए रास्ते पर चलने के लिये ऐसी इमदाद से किनाराकशी अख्तियार करनी पड़ेगी जो शर्तों के साथ है, जिससे हमारी आजाद पालिसी मजरूह होती हो। जाहिर है कि ऐसी इमदाद हमारे लिये एक जंजीर से कम नहीं और एक बार अगर हम जंजीर की गिरफ्त में आ गये तो फिर उससे निजात मिलना मुश्किल है। मैं नहीं समझ सकती कि इस हाउस में एक भी मेम्बर ऐसा होगा जो अपने गले में जंजीर डाल कर उसको दूसरे के हाथ में दे दे।

हमारी कौमी गैरत का तकाजा है कि हम मजबूती से अपने पांवों पर खड़े हों, आने वाले खतरों से निबटने के लिये हमारी इकोनामी मजबूत हो, हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन साफ हो और बेहतर तरीके से काम करता हो। अन्दरूनी अनसोशल एलिमेंट से निपटने के लिये मुनासिब जराये हों और उसके लिये हमें माली एतबार से मजबूत होना चाहिये और इस बात का इनहसार इस अमर पर है कि हम टैक्सेज के सिलसिले में इजाफे को कबूल कर लें। यह एक मामूली सी कुर्बानी है और वक्त के इस्तहकाम के लिये यह कुर्बानी बड़ी कारआमद है और बगैर कुर्बानी दिये सुर्खरुई हासिल नहीं होती है, मुल्क का नाम ऊंचा नहीं होता है। "की वफा हमने तो गैर उसको जफ़ा कहते हैं, होती आई है कि अच्छों को बुरा कहते हैं"।

यह एक बहुत मामूली सा इजाफा है जो मोटर गाड़ियों के यात्रियों पर लगाया जा रहा है, सिर्फ ५ फीसदी सालाना का। गोया एक रुपये पर सिर्फ ५ नये पैसे का, तब यह कोई कयामत का मुकाम नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कि जिस पर तूफान खड़ा किया जा सके। फिर यह सोचा जाय कि इस मामूली इजाफे के बाद गवर्नमेंट क्या सहूलियतें बढ़ा रही है, कितनी नयी सड़कें और पुल बना रही है, आज से पन्द्रह साल पहले यह कारोबार कितना मुख्तसिर था और आज यह कितना तरक्कीयाफ्ता है। इसने कितनी बाकायदगी पैदा की है, तब इसी के ऐडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली रन करने के लिये यह मामूली सा इजाफा लाजिमी है और इसको कबूल करना मुल्क के अजीम मफाद में है।

[श्रीमती किश्वर आरा बेगम]

मैं समझती हूं कि मेम्बरान का सिर्फ यही फर्ज नहीं कि वह अपनी कांस्टीटुएंसी में गवर्नमेंट के खर्चे में इजाफे की बात सोचते रहें, बल्कि उनका यह भी फर्ज है कि वह यह भी सोचें कि गवर्नमेंट के बढ़ते हुए अखराजात के लिये सरमाया किस तरह जमा किया जाय और कौन से ऐसे जराये हैं जिनसे मुल्क के पास काफी सरमाया हो सकता है। अगर वह यह अन्दाज व फिक्र नहीं रखेंगे तो उनकी फिक्र साइंटिफिक नहीं कही जा सकती। लेकिन इसके साथ ही साथ यह मसला भी अटेंशन का है कि इस कानून की दफा ३ रियायती किराये को तसलीम न करके वाजिबुलअदा किराये पर टैक्स वसूल करेगी। जाहिर है कि इससे बहुत सा करप्शन रुक सकता है। लेकिन करप्शन को रोकने का ऐसा तरीका मुनासिब नहीं कहा जा सकता कि जिससे कोई मोटर या टैक्सी का मालिक अपने रिश्तेदारों को या घर वालों को बगैर किराये के ले जाता है या कम किराये पर रियायती दर पर ले जाता है तो भी उसको ऐसी हालत में यात्री कर उतना ही देना होगा जो कि मुकर्ररा है। यह सूरतहाल कुछ अजीब सी हो जाती है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)---उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने जो टैक्सेशन का विधेयक आया है मैं समझता हूं कि यह इतनी जल्दी में लाया गया है कि उसके तमाम पहलुओं पर गहराई के साथ विचार नहीं हुआ है। आज हमारे यहां तृतीय पंचवर्षीय योजना चल रही है और यह कहा जाता है कि उसको पूरा करने के लिये हमें साढ़े १३ करोड़ रुपये की जरूरत होगी। हम देखते हैं कि इस काम को पूरा करने के लिये सरकार बौखलाहट में चारों तरफ अपने पैर फैला रही है, लगान के द्वारा, मोटर टैक्स के द्वारा, यात्री कर के द्वारा हर तरह से गरीब जनता को चूसने के फेर में है। मैं बताना चाहता हूं कि हम टैक्स देने के लिये तैयार हैं और इसमें कोई दो रायें नहीं, हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना सफल होनी चाहिये, लेकिन साथ ही जनता कुछ अच्छे फल की भी आशा करती है। आज आये दिन मोटर दुर्घटनायें होती हैं, सैकड़ों आदमियों की जानें जाती हैं और कितनी ही मातायें बहिनें परिवार में आंसू बहाती हुई रह जाती हैं और कठिनाई का जीवन व्यतीत करती हैं। फैजाबाद-लखनऊ रोड पर रोज मोटर दुर्घटनायें होती हैं जिसमें आये दिन आदमी मरते रहते हैं। टैक्स के प्रश्न पर कोई दो रायें नहीं हैं, लेकिन जो भी टैक्स लगाये जायं वह सोच समझ कर लगाये जायं और इसका ध्यान रखा जाय कि उसका कितना लाभ जनता को मिल रहा है। जब तक हर पहलू पर विचार न कर लिया जाय जब तक जनता के हर हित अहित को न समझ लिया जाय तब तक कानून इस तरह से यहां न आना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह विधेयक अभी अपूर्ण है और इस सम्बन्ध में मैं इतना ही कहूंगा कि मंत्री जी इसे जल्दबाजी में पास न करावें, इसे प्रवर समिति में जाने दें, ताकि हर तरह से सोचसमझ कर ही जनता पर कर भार डाला जा सके।

श्री तमेश्वरप्रसाद (जिला बस्ती)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन में अपने विरोधी दल के माननीय सदस्यों के भाषण सुने। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि हर चीज को नेशनेलाइज किया जाय और जब यह सरकार यह आदेश जारी करती है कि स्कूटर के दाम २ हजार से घटा कर १५०० रुपये कर दिये जायं, उसको सरकार नेशनेलाइज्ड कर देगी। मेरी समझ में नहीं आता कि जो तर्क विरोधी पक्ष के लोग करते हैं और अगर सरकार कहती है कि दाम ज्यादा न लो तो क्या बुरा करती है।

दूसरे कहा जाता है कि कर न बढ़ाये जायं और सुविधायें सब प्राप्त हों, यानी जितनी भी मार्डन एज में सुविधायें प्राप्त होती हैं, शिक्षा की, खेती की या स्वास्थ्य की सारी एमिनिटीज जनता को प्राप्त कराई जायं, लेकिन साथ ही साथ उसके लिये जो खर्च की जरूरत पड़ती है उसके लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया जाय तो मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह से उधर के लोग यह बात कहते हैं कि एमिनिटीज तो सब प्राप्त कराई जायं लेकिन जो व्यय उन पर हो उसका कोई प्रबन्ध न किया जाय। इसके माने यह हुये कि बिना सोचे समझे किसी भी बिल का विरोध करना है और जानबूझ कर जनता में भ्रम फैलाना है। यह जो विधेयक है वह बिल्कुल निर्दोष सा है इसको प्रवर समिति के

सामने ले जाया जाय या इसका विरोध किया जाय इससे जनता का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना हमारे सामने है जिसको पूरा करना है, प्रदेश और देश को आगे ले जाना है जिसके लिये रुपये की जरूरत है। अब अगर आप कर लगाने की बात पर अड़ंगा लगायेंगे या प्रवर समिति में भेजने का प्रयत्न करेंगे तो मेरी समझ में नहीं आता रुपया कहां से लाया जायगा। हमारे एक भाई ने यह भी कहा कि पंजाब की हालत, मध्य प्रदेश की हालत, मद्रास की हालत हमसे बहुत अच्छी है और मन्त्री जी ने भी कहा कि उनके मुकाबले में हमारे यहां कर कम है इसलिये हम कर को बढ़ा रहे हैं। मन्त्री जी ने जो दलीलें दीं उनमें एक यह भी दलील है। यह नहीं है कि चूंकि हमारे प्रदेश में बसों या मोटर वेहिकिल्स का टैक्स कम है इसलिये हम बढ़ा रहे हैं, बल्कि इस नाते बढ़ा रहे हैं और दूसरे प्रदेशों का मुकाबला इसलिये करते हैं ताकि जनता को मालूम हो जाय कि जो टैक्स है वह और प्रदेशों की निस्बत कम है और अगर हम सिर्फ २० फीसदी ही बढ़ा रहे हैं। ऐसी अवस्था में मैं समझता हूं कि यह विधेयक महत्वपूर्ण है और माननीय सदन को इसे स्वीकार करना चाहिये।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल मन्त्री जी ने पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और दिल से करता हूं। लेकिन शिकायत के तौर पर एक बात मन्त्री जी से कहना चाहता हूं क्योंकि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि मन्त्री जी ने भी बहुत से सूबों का उदाहरण दिया तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन सूबों का नाम आपने गिनाया कि वहां रोड टैक्स ज्यादा है तो इस बात को मैं नहीं समझ सका कि जब हमारे देश के प्रांतों में कई प्रांतों में यहां से रोड टैक्स बहुत ज्यादा है तो उस स्तर पर आने में क्या-क्या कठिनाइयां मंत्री जी के सामने हैं? इसको जरा साफ कर दें, क्योंकि यह सवाल बुनियादी तरीके से उठ खड़ा हुआ है, केन्द्रीय सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि बहुत से मामलों में हर सूबों में एकरूपता लायी जाय, जैसे मुआवजे का सवाल है। इसी तरह से जब देश में और बहुत से सूबों में रोड टैक्स ज्यादा है तो कौन सी कठिनाई आ गई कि जब आपने बढ़ाने का भी निश्चय किया तो इतना कम बढ़ाया क्या आपने इतने पर ही सन्तोष कर लिया। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि विरोधी दल विरोध करते हैं लेकिन बहुत से लोग और खास कर कम्युनिस्ट ऐसी पार्टी है जो इस विधेयक का समर्थन करना चाहती है और आपसे कहना चाहता हूं शिकायत के रूप में कि माननीय मन्त्री जी ने इस बिल को बहुत जल्दी में पेश कर दिया। इसको वह पास करा लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आज के कुछ दिन बाद फिर माननीय मंत्री जी को महसूस करना पड़ेगा कि हमने थोड़ा सा टैक्स बढ़ा कर गलती की। इसलिये मेरा निवेदन है कि एकरूपता लाने के लिये जरूरी है कि देश भर के पैमाने पर जो रोड टैक्स है उस हिसाब से अपने यहां रोड टैक्स रखें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज उनको जल्दी है तो इस विधेयक को पास करलें, किन्तु वह पुनः इस प्रश्न पर विचार करें और इसकी अहमियत को समझते हुये रोड टैक्स की दर अधिक रखना चाहिये थी। इससे हमको दो, चार लाख रुपये और अधिक मिल सकते हैं। जहां हम एक-एक पैसे के लिये दर-दर की ठोकर खा रहे हैं और बाहर से भीख मांगते फिर रहे हैं तो फिर क्यों न हम अपने साधनों का इस्तेमाल करें। इसलिये एकरूपता लाने के लिये आप इसमें संशोधन करेंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मैं विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा विधेयक आने पर हम उसका स्वागत करेंगे।

श्री बसन्तलाल शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के सम्बन्ध में श्यामलाल जी के प्रस्ताव पर बोलते हुये टम्बेश्वरी प्रसाद जी ने कहा है कि इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—श्यामलाल जी का कोई अमेंडमेंट पेश नहीं हुआ है।

श्री बसन्तलाल शर्मा---उन्हीं के शब्दों में उन्होंने दोहराया है कि जनमत जानने के लिये दो महीने के लिये उसे भेज दिया जाय। उसका मैं विरोध करता हूं। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं कि इसके उद्देश्य को देखा जाय। उसमें स्पटष्ट है कि इसका सर्वसाधारण से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका सम्बन्ध केवल उन चन्द व्यक्तियों से है जो निजी कार मोटर साइकिल और हल्की गाड़ियां रखते हैं और ऐसे लोग प्रायः धनी व्यक्ति होते हैं। उन पर जाकर इस कर का बोझ पड़ेगा। इससे कोई सर्वसाधारण से सम्बन्ध नहीं रहता है यदि ऐसे बिलों के सम्बन्ध में भी विरोधी पक्ष द्वारा रोड़े अटकाने की नीति अपनाई जाय तो आश्चर्यजनक बात है। विरोधी पक्ष की ओर से बोलते हुये हमारे भाई ऊदल जी ने इसकी भावना को सुन्दर बतलाया, लेकिन एक शंका प्रकट कर दी रोडवेज के बारे में और उसके किराये के बारे में।

श्री ऊदल---मैंने रोडवेज के बारे में या उसके किराये के बारे में कुछ नहीं कहा है और केवल १६ आने समर्थन किया है।

श्री बसन्तलाल शर्मा---चूंकि सड़कों पर भार ज्यादा पड़ता है इसलिये टैक्स बढ़ाया जा रहा है और इसको दो महीने के लिये जनमत के लिये भेजा जाय ताकि इसमें अड़ंगा पैदा हो यह कहां तक उचित है। टम्बेश्वरी प्रसाद जी ने सीतापुर और लखनऊ के रोडवेज बस के किराये के सम्बन्ध में और यात्रियों की असुविधा के सम्बन्ध में कहा जब कि इन दोनों बातों से इस बिल का कोई सम्बन्ध नहीं जुड़ता है। इस सम्बन्ध में जब बजट यहां पेश हुआ था तो सदन में काफी बोला जा चुका है और जब कोई संशोधन उस सम्बन्ध में आये तो वह बोलें लेकिन इस बिल से इन चीजों का कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका सीधा-सीधा सम्बन्ध उन व्यक्तियों से है जो प्राइवेट गाड़ियां चलाते हैं और उनमें सफर करते हैं और ऐश व आराम से रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों पर यदि टैक्स का भार पड़ता है तो हमें उसका हृदय से स्वागत करना चाहिये। इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं और इसको आज ही पास होना चाहिये, जनमत जानने के लिये भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसका मैं घोर विरोध करता हूं। अभी विरोध पक्ष के एक साथी ने इस विधेयक का जोरदार समर्थन किया। इसमें मुझे कोई आश्चर्य नजर नहीं आता, क्योंकि जिस दल से उन माननीय सदस्य का सम्बन्ध है उस दल की यह नीति है कि सरकारी पक्ष का जो भी गलत कदम हो जिससे इस देश में असन्तोष फैले, इस देश में कुछ उथल पुथल हो सके, उसका समर्थन किया जाय और उसी अपने निर्धारित उद्देश्य के अनुसार उन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है। जो टैक्सेशन संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसमें निजी गाड़ियों और हल्की मोटर साइकिलों पर भी टैक्स बढ़ाया गया है। परिवहन मन्त्री जी ने दो, तीन दलीलें इस सम्बन्ध में दीं। एक तो यह कहा गया कि अन्य प्रदेशों में उत्तर प्रदेश के मुकाबले टैक्स अधिक है। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि अन्य प्रदेशों में जो सड़कों की हालत है क्या वैसी ही हालत आपके यहां भी है? नहीं है, आपके प्रदेश में ऐसे भू-भाग हैं जहां एक इंच पक्की सड़क की व्यवस्था आपने नहीं की है। इस प्रदेश में आज ऐसे अभागे विकास खंड हैं जहां एक इंच पक्की सड़क की व्यवस्था आपने नहीं की है। आप अपने पड़ोसी प्रदेश बिहार में देखें कि कितनी बढ़िया किस्म की सड़कें वहां मौजूद हैं। बिहार के जिस किसी भी इलाके में आप जायेंगे आपको तारकोल की सड़कें मिलेंगी। वहां की सरकार को यह नैतिक हक हासिल है कि वह मोटर और दूसरी गाड़ियों से अधिक टैक्स ले। लेकिन आपको यह अधिकार हासिल नहीं है, इसलिये कि आपने कोई व्यवस्था सड़कों की प्रदेश के अनेक अंचलों में नहीं की है। विशेषकर इस प्रदेश का जो पूर्वी अंचल है वहां आप देखेंगे कि जिलों के तीन चौथाई सड़कों से अछूते हैं। ऐसे अभागे इलाके में अगर कोई साधारण किस्म का व्यक्ति

हल्की मोटर साइकिल रखता है तो आपको क्या नैतिक हक हासिल है कि ऐसे मोटर मालिक से आप रोड टैक्स लें ? अन्य प्रदेशों की आमदनी एवं तरक्की का जो चित्रण हमारे माननीय टम्मेश्वरी प्रसाद जी ने किया है उसकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये। कुछ ऐसे क्षेत्र हमारे प्रदेश में अवश्य हैं, विशेषकर पश्चिमी जिलों में, जहां सड़कों की हालत बहुत अच्छी है और जहां निर्जन स्थानों में भी पक्की सड़कों की व्यवस्था की गई है। लेकिन जो घनी आबादी वाला पूर्वी क्षेत्र है उसमें सड़कों का कोई प्रबन्ध नहीं है और आप उन इलाकों से भी यह टैक्स वसूल करेंगे।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। हमारी माननीया सदस्या किश्वर आरा बेगम ने कहा कि नियोजन के लिये कुर्बानी की आवश्यता है। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे विरोधी पक्ष में कुर्बान होने वाले बहुत से लोग हैं। हमारे राजा साहब प्रेम सिंह जी अभी कह रहे थे कि नियोजन के लिये मैं उनके आवाहन पर कुर्बान होने के लिये तैयार हूं। अगर वह कुर्बानी चाहती हैं, तो वे मौजूद हैं और भी बहुत से नौजवान विरोधी पक्ष में मौजूद हैं जो कुर्बानी करने के लिये तैयार हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सरकारी पक्ष के लोगों से कुर्बानी लेना चाहती है तो उसको रहनुमाई करनी चाहिये इसलिये कि वह बहुमत में है और सरकार चलाने की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। मेरा जब ध्यान इस सरकार की फिजूलखर्ची की तरफ जाता है तो मेरा सर झुक जाता है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि किस तरह से ये लोग नीचे के स्तर पर टैक्स करने की बात करते हैं। आज उत्तर प्रदेश के मन्त्रियों का रोब बढ़ गया है। मन्त्रियों के लिये कहा जाता है कि वे छोटी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके पास दो गाड़ियाँ होती हैं। बड़ी गाड़ी लम्बी सफर में इस्तेमाल करते हैं और छोटी गाड़ी सैर तथा सिनेमा वगैरह में। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक का जो उद्देश्य है वह थोथा है और उसके अन्दर कोई तर्क नहीं है और न कोई औचित्य ही है, इसलिये मैं इस विधेयक का सख्त विरोध करता हूं।

एक शब्द और कहना चाहता हूं कि आप नियोजन के नाम पर टैक्स चाहते हैं। जो कुर्बानी तथा त्याग की आवश्यकता है मैं समझता हूं कि उसके लिये हम तैयार हैं, लेकिन हमें दो शिकायतें हैं। एक तो यह कि नियोजन के लिये जो व्यय करते हैं उसमें किफायतशारी करें और फिजूलखर्ची बन्द करें और नियोजन के लिये पूंजी की आवश्यकता है तो ऐसे वर्ग से पूंजी लें जिस वर्ग के पास काफी पूंजी है सरमाया सरमायेदार से लीजिये, गाँव वालों से लेने की कोशिश न कीजिये। उनके पास सरमाया नहीं है। अगर आप ने बिना सोचे समझे विधेयक पास कर लिया और इसका पालन कराया तो इस को समझ लीजिये कि लोगों को बड़ा कष्ट होगा और लोगों को बड़ी भारी परेशानी होगी। आज जो आपने यहाँ नियोजन का कार्य चल रहा है वह बिलकुल अनियोजित ढंग से चल रहा है। केवल आँकड़े बाजी हो रही है आँकड़ों और स्टेटमेंन्ट्स के चक्कर में ही सारा प्रदेश उलझा हुआ है। मौके पर काम नहीं हो रहा है। जिस नियोजन के लिये आप हम से सहयोग चाहते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा परिवहन मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या आपने देखा है कि नियोजन से देहात में तरक्की हो रही है ? पदावार कृषि की कुछ बढ़ी है ? दो योजनायें समाप्त हो गई हैं, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई है। अब आप कहते हैं कि ....

श्री बसन्तलाल शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम २९१ की ओर दिलाना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उससे बिल का क्या सम्बन्ध है ?

श्री उपाध्यक्ष—ठीक है, आप विषय पर ही बोलिये।

श्री मैनेजरसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, २–४ सदस्य ऐसे हैं जिन्हें सूचना मन्त्री जी धारायें सिखाया करते ह। म चाहता हूं कि उन्हें अमृतधारा पिलायें। मैं यह निवेदन कर रहा था कि सरकारी पक्ष से कहा गया कि नियोजन के लिये पैसे की आवश्यकता है और उसकी पूर्ति के लिये ही वे टैक्स लगा रहे हैं। हम कोई झगड़े की बात नहीं कह रहे हैं। नियोजन अनियोजित ढंग पर ही चल रहा है और करोड़ों रुपया व्यर्थ हो रहा है। आपके पास रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन आप सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। जब आप फिजूलखर्ची में रुपया खर्च करते हैं तो फिर क्यों मुसीबतजदा तबके को टैक्स कर रहे हैं? यही बात मैं आप से कहना चाहता हूं. . . और आपके विवेक को जगाना चाहता हूं, आप इस कदम से अपने को पीछे हटायें।

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। अपने प्रदेश में जो नियोजन का कार्यक्रम चल रहा है उसमें फिजूलखर्ची की काफी गुंजाइश कर दी गई है। अफसरों की जो तादाद बढ़ती जा रही है उसकी तादाद कम हो सकती है और ऐसी मदें जिन की कोई उपयोगिता नहीं है जिनसे उत्पत्ति बढ़ती नहीं है, उनमें कटौती कर दी जाय, तो जो निश्चय ही साढ़े चार लाख रुपया आप इस विधेयक द्वारा पैदा करना चाहते हैं, उसकी पूर्ति हो जायगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समाज शिक्षा की मद में जो ढोलक, झांझ, तम्बूरा और नौटंकी की बातें करते हैं, इसको बन्द करें, तो करोड़ों का फायदा हो जायगा। मैं आपके द्वारा, माननीय परिवहन मन्त्रीजी से निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को वापस करें। हमारे माननीय ऊदल जी ने जोरदार समर्थन किया है उसकी तरफ आपको चेतावनी देना चाहता हूं। आपके हर गलत कदम का माननीय ऊदल जी के दल के लोग समर्थन करते हैं इसलिये कि जनता आप से घबड़ा जाय, जनता आपसे ऊब जाय और आपके खिलाफ बगावत करे। उनका भी मतलब हल हो और आप गड्ढे में जायं।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दुर्भाग्य है कि माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी सदन में उपस्थित नहीं है। मेरा विचार बोलने का बिलकुल नहीं था। टम्बेश्वरी प्रसाद जी का भाषण सुनने के बाद मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं उनकी बातों का कुछ उतर दूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय माननीय सदस्य बोल रहे थे, तो मुझे एक शैक्सपियर की लाइन याद आ गई—

"False face must hide what the false heart doth know."

टम्बेश्वरी प्रसाद जी जिस पार्टी से सम्बन्धित हैं और जिस का भाषण कर रहे थे, उससे स्पष्ट होता था कि वह बड़े आदमियों की वकालत करने के लिये सदन में प्रस्तुत हैं। वह कार और स्कूटर रखने वाले की हिमायत कर रहे थे। इसी तरीके से मैनेजर सिंह जी विरोध के लिये विरोध कर रहे थे। उनके पास आर्गूमेंटस नहीं थे। वह कहते थे कि स्कूटर रखने वाला आदमी गरीब है। मैं समझ नहीं पाता कि उनके दिमाग में क्या नक्शा है गरीबी का।

अगर स्कूटर वाले पर टैक्स लगायें तो हमारे दोस्त को उस पर आपत्ति है। आप यों क्यों नहीं कहते कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को मोटर वालों से प्रेम है इसलिये वह चाहती है कि मोटर वालों पर टैक्स न लगाया जाय। मैनेजरसिंह जब बोल रहे थे तो यह भूल गये थे कि वह सदन में बोल रहे हैं। उनका शायद विचार था कि पब्लिक प्लेटफार्म पर भाषण देने के लिये खड़े हुये हैं। उन्होंने कहा कि उधर से माननीय ऊदल जी ने विधेयक का स्वागत किया है, वह इसलिये किया है कि जनता में अनैतिकता फैले। जनता कांग्रेस से नाराज हो जाय और जनता परेशान हो जाय। मैं समझता हूं कि अगर ऐसी बातें किसी पब्लिक प्लेटफार्म पर करते तो उचित होतीं, यहाँ इस तरह की बात करना बहुत शोभा की बात प्रतीत नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय ऊदल जी के भाषण का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। मुझे मन्त्री जी से शिकायत है कि मन्त्री जी ने जो टैक्स की दरें बढ़ाई हैं वह बहुत कम हैं। फिएट गाड़ी पर उन्होंने ४८ रुपये से ६० रुपये किया है।

क्या फर्क पड़ेगा उसको १२ रुपये ज्यादा देने में जो फिएट गाड़ी रख सकता है ? आज तीसरी पंच वर्षीय योजना के लिये इकट्ठा करने का बहुत बड़ा सवाल है। अगर माननीय मन्त्री जी ने ऐसे कुछ अमीर आदमियों पर कुछ और टैक्स लगा दिया होता तो शायद हमारा मन्त्रिमन्डल इस बात पर विचार करता कि गरीबों पर टैक्स कम लगे और हम यह समझते कि एक समाजवादी समाज की ओर हमारा कदम बढ़ा। मुझे दुख है कि टैक्स की दर जो माननीय मन्त्री जी ने बढ़ायी है वह बहुत कम बढ़ायी है। मुझे इस बात का भी दुख है कि हैवी वेहिकिल्स को उन्होंने छोड़ दिया। मैं इस बात से इत्तिफाक नहीं करता कि हेवी वेहिकिल्स को इसमें छोड़ दिया जाय। आज एक-एक लारी वाले को एक एक हजार दो-दो हजार और पांच-पाँच हजार रुपये माहवारी आमदनी है। अगर हम उन पर टैक्स बढ़ा दें और काफी टैक्स बढ़ा दें, कई गुना टैक्स बढ़ा दें तो अन्याय नहीं करेंगे। अगर हम समाजवादी समाज की स्थापना अपने देश और प्रदेश में करना चाहते हैं। तो हमें इस तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा। हमें टैक्स बढ़ाना चाहिये उनके ऊपर जिनकी कैपिसिटी टू पे है, हमें टैक्स बढ़ाना चाहिये उनके ऊपर जिनके पास सरप्लस है। सरप्लस किसके पास है ? मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि सरप्लस अगर किसी के पास है तो इन लारी वालों के पास है, सरप्लस अगर कहीं है, तो इन ठेले वालों के पास है, उस फिएट गाड़ी रखने वाले के पास है जो कि १४ हजार रुपया उसको खरीदने के लिये खर्च कर सकता है, आज अगर सरप्लस है तो उसके पास है जो २१ सौ और २५ सौ का स्कूटर खरीद सकता है अपने बच्चों के लिये। मैं नहीं समझता कि माननीय मैनेजर सिंह को क्या आपत्ति है उनके ऊपर टैक्स बढ़ाने में ? इसके माने यह हैं कि एक तरफ जहाँ हम वह गरीब की बात कर रहे थे वहाँ दूसरी तरफ उसी स्वर में वह अमीरों की वकालत कर रहे थे। यह बात तो समझ में आई जो माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी ने उनकी हिमायत की। वह तो उन लोगों की हिमायत कर रहे थे जिनमें से वह आते हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं। मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करें और टैक्सों की दरों को और बढ़ाने की बात सोचें ताकि हम तीसरी पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने में सफल हों ।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के समक्ष जो माननीय परिवहन मंत्री ने मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके संबंध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं । मैं समझता हूं कि और टैक्सों से यह टैक्स लगाना इस समय उचित है । पंचवर्षीय योजना अगर आपको चलानी है तो मोटर गाड़ियों पर टैक्स लगाना यह इस काम के लिये हितकर है । परन्तु इस हितकर काम में प्रश्न यह है कि इस रुपये का जो आपको इस टैक्स के द्वारा प्राप्त हो रहा हो, उसका सदुपयोग करें। आज इस परिवहन विभाग में जिस तरह कार्य हो रहा है वह कार्य सन्तोषजनक नहीं है । जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता श्री मैनेजर सिंह ने कहा है कि इस प्रांत के पूर्वी अंचल में सड़कों की दशा अत्यन्त दयनीय है और उन दयनीय स्थिति की सड़कों की मोटरों पर और वहाँ के यात्रियों पर यह डाइरेक्ट टैक्स लग रहा है। इसलिये आप अगर टैक्स लगाते हैं और इसलिये लगाते हैं कि आपके प्रांत की पंचवर्षीय योजना सफल हो और हर एक नागरिक का जीवन स्तर ऊंचे उठे तो आवश्यक है कि आप उन सड़कों की तरफ भी ध्यान दें और आप कोशिश करें कि वे सड़क अच्छी हालत में रहें ।

आज हमारे जिले के अन्दर कुछ ऐसी सड़कें हैं जो बहुत आवश्यक हैं और उनकी तरफ सरकार अगर ध्यान दे तो मैं समझता हूं कि उस क्षेत्र के हर एक व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचे उठ सकता है । एक सड़क के संबंध में मैंने निवेदन किया था । उस सड़क पर जो मोटर गाड़ी चलती है वह अब चार महीने के लिये बिल्कुल बन्द हो जाती है इसलिये कि उस सड़क की हालत बहुत दयनीय है । टैक्स लगता है और वसूल होता है लेकिन उनको दुर्दशा भुगतनी पड़ती है । सूचना के लिये मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि परिवहन मंत्री इस तरफ ध्यान दें । मंत्री जी के विभाग ने उन सड़कों की दशा को सुधारने के लिये, वहां के लोगों को आने जाने की

[श्री जगदम्बा प्रसाद]

सुविधा प्राप्त करने के लिये कुछ भी नहीं किया है । आपके विभाग को सुविधा प्रदान करना बहुत आवश्यक है । आपके पास उस क्षेत्र की जनता की तरफ से अकबरपुर से लेकर अहरौला तक सड़क पर रोडवेज या प्राइवेट बस का टैम्पोरेरी लाइसेंस देने के लिये ध्यान आकर्षित कराया गया है लेकिन आज तक परिवहन विभाग ने कोई भी ध्यान नहीं दिया है । इस असुविधा के कारण वहाँ की जनता को असुविधा भुगतनी पड़ती है। वहाँ सड़क पर अगर बस चलती है, मोटर गाड़ी चलती तो उस क्षेत्र की जनता को सुविधा प्राप्त होती और इस मोटर वेहिकिल्स बिल के द्वारा जो टैक्स लगाया जा रहा है वह भी उचित होता, लेकिन आपके अधिकारीगण इतने स्वच्छन्द हैं कि उन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है । मुझे आज इस बात के कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि माननीय परिवहन मंत्री का अपने विभाग पर कोई भी नियंत्रण नहीं है । उस विभाग में आज भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त हो रहा है। आपके विभाग की एक वर्कशाप है जिसके बारे में अखबारों के जरिये से मालूम हुआ कि वहाँ पर गबन है । उस गबन की तरफ आपका ध्यान आकर्षित होना चाहिये । आप जब पंचवर्षीय योजना के नाम पर पब्लिक से रुपया वसूल करते हैं तो पब्लिक इस उम्मीद से आपको रुपया देती है कि आप उसका सदुपयोग करें । उस रुपये को बचाकर उसका सदुपयोग किया जाय । अगर आपके विभाग के कर्मचारीगण रुपये का गबन करते हैं तो वह रुपया बिलकुल दुरुपयोग में जाता है । ऐसी दशा में आपको अधिकार नहीं है कि आप पब्लिक से रुपया वसूल करें।

जिस पंचवर्षीय योजना के नाम पर टैक्स लगाया जाता है वह इस उम्मीद से लगाया जाता है कि हमारे प्रांत के हर एक नागरिक का जीवन स्तर ऊंचे उठे । जिस तरह से और प्रदेशों ने भारतवर्ष में प्रगति की है और हम पीछे रह गये हैं उस तरह से हमारे यहाँ के नागरिक का जीवन स्तर कम आगे बढ़ा है । हमारा उत्तर प्रदेश भारतवर्ष के अन्दर एक बहुत बड़ा प्रांत है और इस प्रांत की आबादी भी और प्रांतों की बनिस्बत अधिक है। आज हमारे इस प्रदेश की प्रगति होना अत्यन्त आवश्यक है । मोटर गाड़ियों के मालिकों पर जो यह टैक्स लगाने की बात है और पंचवर्षीय योजना के नाम पर जो टैक्स लगाया जा रहा है उसको मैं ठीक समझता हूं और इसका समर्थन करता हूं । आपसे साथ ही यह प्रार्थना भी करता हूं कि इस रुपये का सदुपयोग करें । प्रांत के उस पूर्वांचल की सड़कों की दयनीय स्थिति को सुधारने का प्रयत्न करें जिससे वहाँ ही जनता का जीवन स्तर ऊंचा हो । वहाँ की जनता का जीवन स्तर खराब होने के कारण सरकार की आमदनी पर भी उसका असर पड़ता है । आप इसकी दशा पर ध्यान दें, और इस विभाग में जो आजकल भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस पर आप नियंत्रण रक्खें । इस विभाग में कुनबापरस्ती है उसकी तरफ आप ध्यान दें । इस विभाग के जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर महोदय हैं, वह बिल्कुल कायदे कानून के विरुद्ध काम कर रहे हैं। सरकार की आज्ञाओं का भी समुचित रूप से वह पालन नहीं कर रहे हैं । आपके इस विभाग में कुछ ऐसे कर्मचारी भी हैं जो बेचारे आपके इस देश की, आपके इस प्रदेश की आमदनी के अपव्यय को रोकने के लिये दंडित तक किये गये हैं । उनकी ओर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है । जो कर्मचारी सही काम करते हैं उनको यदि दंडित किया जाय तो यह बड़े अन्याय की बात है। ऐसा करना किसी भी सरकार के लिये अशोभनीय है। इसलिये मैं इस संबंध में अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं और मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि जो मैंने आपके सामने सुझाव रखे हैं, उनकी तरफ अवश्य ध्यान दें।

श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय मंत्री जी ने टैक्सेशन के मुताल्लिक हाउस में रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं । परन्तु इसके साथ ही कुछ संशोधन भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव पर कुछ हिस्सों में अमल किया जाय और कुछ में न अमल किया जाय इसे गाजियाबाद में भी उसी समय लागू होना चाहिये जब कि वहाँ के मोटर स्टैंड की हालत अच्छी हो जाय । मैं समझता हूं कि जिस आदमी से टैक्स लिया जाता है तो उस की सेवा करने का भी फर्ज सरकार का हो जाता है । आप यह सुनकर हैरान होंगे कि गाजियाबाद में सन् १९४९ में बस चलना शुरू हुई थी, परन्तु इन १३ सालों के बीत

जाने पर भी वहाँ एक पैसा मरम्मत के नाम पर खर्च नहीं किया गया है। कई दफा मंत्री जी का ध्यान उस ओर दिलाया गया। जनरल मैनेजर को भी लिखा गया, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। पता नहीं उनके पास चिट्ठी पहुंची या नहीं या उन्होंने उसका उत्तर देना नहीं चाहा। १३ साल से रोडवेज वालों का म्युनिसिपल बोर्ड से झगड़ा चल रहा है और किराया नहीं दिया गया है। जगह के प्रश्न पर भी झगड़ा है। यह दोनों विभाग सरकारी हैं। रोडवेज भी इस सरकार के मातहत हैं और म्युनिसिपिल बोर्ड में भी इस वक्त सरकार का ही एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। दोनों मंत्री एक ही पार्टी के मेम्बर हैं। इसीलिये मैं कहता हूं कि यह बेकार की मुकदमेंबाजी क्यों है। दीवानी में इन दोनों के बीच मुकदमा चला। दीवानी में वह फैसला रोडवेज के खिलाफ हुआ और उसने हाईकोर्ट में अपील की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। यदि आप गौर से देखें तो आप को पता चलेगा कि मुकदमेंबाजी में असल में यात्रियों का नुकसान है जब कि उनका कोई कसूर नहीं है। बस स्टैन्ड पर २ फीट गहरे गड़े हैं। कोई गाड़ी बस स्टैंड पर नहीं पहुंच पाती है। रोडवेज की गाड़ियाँ जी० टी० रोड पर खड़ी होती हैं बस स्टैंड पर जगह न होने के कारण। म्युनिसिपिल बोर्ड वाले गड़ों को नहीं ठीक करवाते हैं ताकि सवारियों को आराम हो जाय क्योंकि उनको किराया नहीं मिलता। इतने सालों के बाद भी रोडवेज की हालत इतनी खराब है, परन्तु उस ओर कोई ध्यान नहीं देता। अब वहाँ मास्टर प्लान पास हो चुका है और कैबिनेट ने भी उसको मंजूर कर लिया है। मैंने प्रश्न किया था कि प्लान में जो रोडवेज बस स्टैंड की जगह निर्धारित की गई है वहाँ आप अड्डा क्यों नहीं बनवाते ? बगैर उसको देखे हुये, जो तीन साल पहले हालत थी उसको नजर में रखते हुये, यह लिख दिया गया कि वहाँ पर १०---१२ फीट के गड्ढे थे। मैं आज ही गाजियाबाद से आया हूं, कोई भी माननीय सदस्य जाकर देख सकता है, वहाँ पर १०-१२ इंच के गड्ढे भी नहीं हैं। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने वहाँ उसको ठीक करके एक लेविल में कर दिया है और जो वहाँ नाला था वह भी अब पक्का हो गया और वहीं पर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट अब एक अपना तीन मंजिला आफिस बना रहा है और एक कामर्शियल सेंटर बना रहा है। मगर रोडवेज वाले एतराज करके कहते हैं कि वहाँ पर १०-११ फीट के गड्ढे हैं, बिना तस्दीक किये ऐसी गलत बात लिख दी गयी है।

तो इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक का और टैक्स बढ़ाने का समर्थन करता हूं, लेकिन साथ ही यह भी प्रार्थना करता हूं कि जहाँ आप टैक्स बढ़ाते हैं वहाँ लोगों की सेवा करने की तरफ भी ध्यान रखिये। गाजियाबाद ऐसी जगह है जहाँ पर तीन लाइनें आकर मिलती हैं, जहाँ पर कई बसों की आमद-रफ्त हर समय रहती है, दिल्ली के करीब है, मेरठ को भी रास्ता गया है, हर समय काफी बसें आती जाती हैं। इसलिये गाजियाबाद में बस स्टेशन बनाने की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये और जब तक वह न बन जाय, तब तक टैक्स लागू नहीं करना चाहिये।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्तुत मोटर टैक्सेशन बिल का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी को इस कर के बढ़ाने के लिये बधाई देता हूं। यह कर ऐसा कर है कि जिसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, बल्कि समस्त जनता से है।

श्रीमन्, जहाँ तक मोटरों के टैक्स का सवाल है, मोटर वही लोग रखते हैं जिनके पास काफी पैसा होता है, जो काफी धनी लोग हैं। जिनके पास फालतू पैसा होता है वही कार रखते हैं। इसलिये इनके ऊपर तो कम से कम १५० रुपये टैक्स होना चाहिये। आज जो भी अच्छी२ रोड्स हैं उन पर चलने वाली बसों पर भी ज्यादा टैक्स लगाना चाहिये था ताकि हमारी योजनाओं को पूरा करने के लिये हमें काफी पैसा मिलता। हमें खेद है कि इन पर मामूली कर लगाये गये हैं जिससे हमें ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। इस आदरणीय सदन के सभी माननीय सदस्यों ने इस बिल का समर्थन किया है, यह बड़ी खुशी की बात है। विरोधी दल की तरफ से भी इसका समर्थन हुआ है। हमारी कल्याणकारी सरकार की तरफ से यही एक ऐसा विधेयक पेश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीसिंह]
हुआ है जिसका हर पक्ष की तरफ से समर्थन हुआ है । जब ऐसी बात है तो माननीय मंत्री जी क्यों नहीं इस टैक्स को और बढ़ा देते ? हमारे मंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि यह पहला अवसर है कि विरोधी दल के नेताओं ने इस विधेयक का समर्थन किया । मैं उनसे नम्र निवेदन करता हूं कि इसमें और टैक्स बढ़ाया जाय ताकि अन्य टैक्सों में सुविधा मिले और वह चीजें हटें जो गलत हैं । रोडवेज के कर्मचारियों पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, वह जो चाहते हैं करते हैं । रुपये का अपव्यय और चोरियाँ होती हैं, लाखों रुपये के माल की चोरी पर भी कोई विशेष ध्यान देने वाला नहीं है । गरीबों को निकाल दिया जाता है, हजारों केस मौजूद हैं । इसलिये कर्मचारियों और ऊंचे अधिकारियों की ओर विशेष ध्यान दिया जाय । जो पेसेंजर और सवारी अड्डों पर दिक्कतें हैं उनकी ओर ऊंचे अधिकारियों को ध्यान देना चाहिये । ठेलों से गरीबों के सामान का आदान प्रदान होता है। मेरी व्यक्तिगत राय है कि उन पर अधिक टैक्स नहीं होना चाहिये । बल्कि बसें जो चलती हैं जिनकी परमिटों के लिये दुनिया भर का रुपया इधर से उधर किया जाता है, उन्हीं पर टैक्स लगाना चाहिये । उन्हीं से आमदनी है । अगर इतना टैक्स लग गया तो ठेले बेकार हो जायेंगे और माल की ढुलाई में बहुत बड़ी कठिनाई उत्पन्न होगी जिसको पूरा करने का कोई साधन नहीं है और रेलवे बोगी न मिलने से जो परेशानी होती है वह ठेलों से दूर हो जाती हैं । अगर ठेलों पर टैक्स बढ़ा, फिर किराया बढ़ा और भाव बढ़े तो जनता को खरीद-फरोख्त में कठिनाई होगी । हाँ, सवारी गाड़ियों पर चौगुना होना चाहिये और स्कूटरों पर होना चाहिये । किसान और मजदूर का बच्चा तो पैदल जाता है धूल फांकता हुआ इसलिये स्कूटरों पर टैक्स होना चाहिये ताकि आपकी योजना में जो पैसे की दिक्कत है वह दूर हो और एक करोड़ के बजाय ४–५ करोड़ टैक्स वसूल हो सके और घाटे का बजट है वह पूरा हो सके । इसलिये मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए परिवहन मंत्री को बधाई देता हूं और निवेदन करता हूं कि ये टैक्स बढ़ाये जायं ।

श्री हरीदत्त काण्डपाल (जिला अल्मोड़ा)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मुजफ्फर हसन—अध्यक्ष महोदय, यह बिल ऐसा मासूम और सीधा-सादा था, मैं तो उम्मीद नहीं करता था कि इसकी कुछ मुखालिफ्त की जायगी । माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी ने उसकी मुखालिफत की, वह तो समझ में आने वाली बात थी, लेकिन मुझे ताज्जुब है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से भी इस बिल की मुखालिफत की गयी। सूरत यह है कि हमसे यह कहा जाता है कि आप नीचे के तबकों पर टैक्स न लगायें, ऊपर के तबकों पर लगायें लेकिन जब हमने मोटर वेहिकिल्स पर टैक्स तजबीज किया तो भी उसकी मुखालिफत की जाती है । तो हर चीज में जो मुखालिफत का जज्बा मौजूद है, वह किसी न किसी शक्ल में जाहिर हो ही जाता है ।

मुझे खुशी हुई माननीय ऊदल जी ने न सिर्फ अपनी तरफ से बल्कि अपनी पार्टी की तरफ से भी इस बिल का स्वागत किया और मैं उम्मीद करता हूं कि तरक्कीपसंद हर पार्टी का हर आदमी इसकी ताईद करेगा । मुझे तकलीफ हुई जब एक साथी ने कहा कि यह चीज तो बाहर प्लेटफार्म पर कहने की थी, सदन में इस चीज को नहीं आना चाहिये था। यह एक बहुत सीधा सादा बिल है, लेकिन इसमें यह शिकवा जो किया गया है, माननीय ऊदल जी और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी किया है, कि टैक्स कम लगाया गया है, वह बात बिलकुल सही है, लेकिन टैक्स लगाने में यह बात भी देखनी पड़ती है कि पहले इस पर कितना टैक्स लगा हुआ था और अब कितना बढ़ाया जा सकता है और जरूरत होगी तो आगे और भी बढ़ाया जा सकेगा । मैं उम्मीद करता हूं कि यह बिल बिना किसी विरोध के पास हो जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६२ [Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Sanshodhan) Bill, 1962] पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २, ३ तथा ४

२—यूनाइटेड प्राविन्सेज मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ४ की उपधारा (१) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड जोड़ दिया जाये :

यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९३५ की धारा ४ का संशोधन ।

"Provided that the tax payable in respect of the period —

(*a*) prior to the commncement of the U. P. Motor Vechicles Taxation (Sanshodhan) Adhiniyam, 1962, shall be determined in accordance with the appropriate rates specified in the First Schedule as it stood prior to its amendment by the said Adhiniyam ; and

(*b*) after the commencement of the said Adhiniyam, shall be determined in accordance with the rates specified in the First Schedule."

३—मूल अधिनियम की धारा ५ में—

(१) उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९३५ की धारा ५ का संशोधन ।

"Provided that the tax in respect of transport vehicle may be paid in four equal instalments, payable on or before the fifteenth day of January, April, July and October :

Provided further that the difference between the tax payable under section 4 for any period and the tax already paid for the said period in accordance with the provisions of this Act as it stood prior to its amendment by the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Sanshodhan) Adhiniyam, 1962, shall be paid within four months from the date of commencement of the said Adhiniyam", और

(२) उपधारा (२) में शब्द और अंक "not exceeding Rs. 50 in addition to the tax" के स्थान पर शब्द "not exceeding the amount of tax payable in a year in respect of the motor vehicle in addition to the tax due therefor" रख दिये जायें।

४—मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 'ए' और 'बी' के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :—

यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९३५ का प्रथम (अनुसूची) का संशोधन ।

PART "A"

Vehicles other than Transport Vehicles Rs.

1. Motor cycles (including motor scooters and cycles with attachment for propelling the same by mechanical power) not exceeding 406 kgms. in weight unladen—

(*a*) Motor bicycles—

(i) not exceeding 91 kgms. in weight unladen 20

	Rs.
(ii) exceeding 91 kgms. in weight unladen	32
(*b*) Tricycles	32
(*c*) Bicycles or tricycles used for drawing a trailer or a side-car—in addition to the rates above	4
II. Vechicles constructed and used solely for the conveyance of passengers and light personal luggage with seating accommodation for not more than six persons exclusive of the driver (including cycles and tricycles) weighing more than 406 kgms. unladen—	
(i) (*a*) not exceeding 1,016 kgms. in weight unladen	60
(*b*) exceeding 1,016 kgms. but not exceeding 1,270 kgms. in weight unladen	80
(*c*) exceeding 1,270 kgms. but not exceeding 1,778 kgms. in weight unladen	100
(*d*) exceeding 1,778 kgms. in weight unladen	120
(ii) Trailers drawn by vehicles covered by this article	20
III. Vehicles including eycles and tricycles weighing more than 406 kgms. unladen. constructed, or adapted for use, for the conveyance of more than six persons (exclusive of driver)—	
(i) if fitted wholly with pneumatic tyres, and—	
(*a*) not exceeding 1,016 kgms. in weight unladen	92
(*b*) exceeding 1,016 kgms. but not exceeding 1,778 kgms. in weight unladen	152
(*c*) exceeding 1,778 kgms. but not exceeding 2,540 kgms. in weight unladen	200
(*d*) exceeding 2,540 kgms. but not exceeding 3,556 kgms. in weight unladen.	292
(*e*) exceeding 3,556 kgms. but not exceeding 5,080 kgms. in weight unladen	376
(*f*) exceeding 5,080 kgms. in weight unladen for every 1,016 kgms. or part thereof in excess of 5,080 kgms.	156
(*g*) trailers drawn by vehicles covered by this article—	
(*a*) to carry load not exceeding 1,016 kgms.	104
(*b*) to carry load exceeding 1,016 kgms.	200
(ii) if fitted with resilient tyres—the appropriate tax payable for a vehicle of the same unladen weight with pneumatic tyres together with an addition of $33\frac{1}{3}$ per cent thereon.	
(iii) if fitted with non-resilient tyres—the appropriate tax payable for a vehicle of the same unladen weight with pneumatic tyres together with an addition of 66 2/3 per cent thereon.	

PART "B"

Transport Vehicles

	Rs.
IV. Vehicles plying for hire for the conveyance of passengers and light personal luggage of passengers—	
(1) with seating capacity for not more than three persons exclusive of the driver	120
(2) with seating capacity for four persons, exclusive of the driver	196
(3) with seating capacity for more than four but not more than six persons, exclusive of the driver ..	300
(4) with seating capacity for more than six persons but not more than 20 persons, exclusive of the driver for the first six seats	300
with an addition for every seats in excess of six and up to twenty, of	
(*a*) if intended for use on an A-class route ..	24
(*b*) if intended for use on a B-class route ..	16
(*c*) if intended for use on a C-class route ..	12
(5) with seating capacity for more than 20 but not more than 32 persons, exclusive of the driver—	
(*a*) if intended for use on an A-class route—	
for the first 20 seats	668
for every additional seat..	28
(*b*) if intended for use on a B-class route—	
for the first 20 seats	552
for every additional seat	24
(*c*) if intended for use on a C-class route—	
for the first 20 seats	472
for every additionl seat	16
(6) with seating capacity for more than 32 persons, exclusive of the driver—the tax payable under the forgoing clause for the first 32 seats with an addition for every seat in excess of 32, of—	
(*a*) if intended for use on an A-class route ..	56
(*b*) if intended for use on a B-class route ..	40
(*c*) if intended for use on a C-class route ..	24
V. Vehicles plying for hire for the conveyace of a limited number of passengers and the transport of a limited quantity of goods—	
the tax payable under Article IV in respect of the authorised number of passenger seats, together with an additional tax for every 51 kgms. of authorised load of goods—	
(*a*) if intended for use on an A-class route ..	12
(*b*) if intended for use on a B-class route ..	8
(*c*) if intended for use on a C-class route ..	4

Rs.

VI. Vehicles plying for hire for the transport of goods only-.

(A) if fitted entirely with pneumatic tyres, and—

(*a*) if intended for use on an A-class route—

(i) for the first 762 kgms. of authorised load .. 280

(ii) for every additional 51 kgms. of authorised load 10

(*b*) if intended for use on a B-class route—

(i) for the first 762 kgms. of authorised load .. 252

(ii) for every additional 51 kgms. of authorised load 8

(*c*) if intended for use on a C-class route

(i) for the first 762 kgms. of authorised load 228

(ii) for every additional 51 kgms. of authorised load 6

(B) if fitted with resilient tyres—the tax payable under this article for a vehicle of the same authorised load capacity, if fitted with pneumatic tyres, together with an addition of 33-1/3 per cent thereon ;

(C) if fitted with non-resilient tyres—the tax payable under this article for a vehicle of the same authorised load capacity, if fitted with pneumatic tyres, together with an addition of 66-2/3 per cent thereon.

VII. Vehicles intended for use on a special route—the appropriate tax payable under article IV, V, VI or IX in respect of an A-class route, together with such additional tax not exceeding 50 per cent of such appropriate tax as may be prescribed by the State Government.

VIII. Vehicles plying for hire in respect of which a tax has been paid under any of the Articles IV, V, VI and VII when intended for use in special or temporary circumstances and for a limited period on a route or routes other than those over which they otherwise ply—in addition to any tax paid under any of the foregoing articles, a tax at such daily rate not exceeding Rs. 3 as the State Government may prescribe, for every day or part thereof during which it is intended to use any such vehicle in such special or temporary circumstances :

Provided that nothing in this article shall apply to a motor vehicle which is temporarily the subject of a private hiring agreement for the purpose of a specific journey :

Provided further that no additional tax shall be payable if a motor vehicle does not use the road or roads for which it is permanently licensed during the period it is temporarily allowed to ply on a route or routes other than those in respect of which it is permanently licensed.

IX. Vehicles used for the carriage of goods in connection with a trade or business carried on by the owner of the vehicle but not plying for hire or reward :

(A) if fitted, entirely with pneumatic tyres, and—

(*a*) if intended for use on an A-class route—

(i) for the first 762 kgms. of authorised load	252
(ii) for every additonal 51 kgms. of authorised load.	8

(*b*) if intended for use on a B-class route—

(i) for the first 762 kgms. of authorised load	228
(ii) for every additional 51 kgms. of authorised load.	8

(*c*) if intended for use on a C-class route—

(i) for the first 762 kgms. of authorised load	204
(ii) for every additional 51 kgms. of authorised load.	6

(B) if fitted with resilient tyres—the tax payable under this article for a vehicle of the same authorised load capacity, if fitted with pneumatic tyres, together with an addition of 33-1/3 per cent thereon ;

(C) if fitted with non-resilient tyres—the tax payable under this article for a vehicle of the same authorised load capacity, if fitted with pneumatic tyres, together with an addition of 66-2/3 per cent thereon.

X. Tractor drawing a trailer and used for purposes other than agricultural purposes unless its combined unit makes an articulated vehicle—

A tax at the flat rate of Rs. 100 per annum, in addition to the tax paid in respect of the trailer or trailers drawn by it."

श्री उपाध्यक्ष—अब चूंकि इसके खंडों में कोई संशोधन नहीं है इसलिये मैं सभी खंडों को एक साथ रख रहा हूं।

प्रश्न यह है कि खंड २, ३ और ४ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मेरे खयाल से सब खंडों को एक साथ नहीं पेश कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—जब कोई संशोधन नहीं है तो सब को एक साथ लिया जा सकता है। पहले आपने इस पर सोचा नहीं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—आप कहें पहले तब तो हम लोग सोचें। पहले से हम कैसे कह सकते हैं कि आप क्या सोचेंगे?

श्री उपाध्यक्ष—यह तो दोबारा रखे गये थे। पहले खंड २, ३ और ४ रखा गया था, फिर आपने उस पर एतराज किया तो घंटी बजायी गयी, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपको मालूम नहीं हुआ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अब तो एक-एक खंड होगा?

श्री उपाध्यक्ष—जी नहीं।

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६२

यूनाइटेड प्राविन्सेज मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ को कतिपय प्रयोजनों के लिये संशोधित करने का

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा।

(२) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा, जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ नियत करे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मुजफ्फर हसन—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६२ [Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Sanshodhan) Bill, 1962] पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६२ [Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Sanshodhan(Bill, 1962] पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) विधेयक, १९६२

परिवहन मन्त्री (श्री मुजफ्फर हसन)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) विधेयक, १९६२ [The Uttar Pradesh Motor Gadi (Yatri Kar) Vidheyak, 1962] पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, जो यात्री-कर विधेयक मैंने पेश किया है, उसके बारे में कोई लम्बा चौड़ा ब्यान देने की जरूरत नहीं है। इस सदन में और सदन के बाहर बराबर इस बात की चर्चा रहती है कि सूबे की बहबूदी के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना की सफलता जरूरी है और योजना की सफलता के लिये धन की आवश्यकता है। इस सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि केन्द्र से मिलने वाली सहायता का भी हम तभी उपयोग कर सकते हैं जब कि सूबे में हम अपने हिस्से की व्यवस्था कर लें। इसलिये इस बात की जरूरत है कि आमदनी के सभी साधन जुटाये जायं। इसी मकसद से यह बिल सदन के सामने पेश किया गया है जिसके द्वारा शहरों में चलने वाली गाड़ियों को छोड़ कर अन्य पैसेंजर गाड़ियों के मुसाफिरों पर कुछ कर लगाने का प्रस्ताव है। इस कर की दर फिलहाल मौजूदा कर का ५ फी सदी होगी लेकिन विधेयक के द्वारा सरकार को यह भी अधिकार होगा कि जरूरत पड़ने पर यह कर १५ फी सदी तक बढ़ाया जा सके। इसके अलावा कर की वसूली का हिसाब-किताब रखने और उसके सम्बन्ध में अपील आदि करने की व्यवस्था भी इस बिल के द्वारा की गयी है। यह आशा की जाती है कि इस कर के द्वारा सरकार को तकरीबन ७५ लाख रुपये सालाना की आमदनी होगी।

इस सिलसिले में माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये मैं इतना और अर्ज करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश, केरल और पश्चिमी बंगाल को छोड़ कर तमाम दूसरे सूबों में मुसाफिरों पर पहले से ही यह कर लगा हुआ है। अन्य सूबों में तो गुड्स फ्रैट पर भी यह टैक्स लगा हुआ है लेकिन उत्तर प्रदेश में दूसरे टैक्सों को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ मुसाफिरों पर यह कर लगाने का प्रस्ताव है। हालांकि सब सूबों के यात्री-कर के आंकड़े मौजूद नहीं हैं लेकिन बम्बई प्रदेश में यह कर किराये का १० फी सदी है, पंजाब में पहले १६.६ फी सदी था और अब इजाफा करके २० फी सदी हो गया है। इसके अलावा दूसरे सूबों में भी, जहां तक हमारी जानकारी है यह कर दस प्रतिशत से कम नहीं है लेकिन इस सूबे में इस समय केवल ५ प्रतिशत कर ही लगाने का प्रस्ताव है, मैं समझता हूं कि यह किसी तरह से भी गैरवाजिब नहीं है। मुझे इस बात का पूरा अहसास है कि कर लगाना या बढ़ाना किसी भी सरकार को अच्छा नहीं लगता और खास कर ऐसे सूबे में कि जहां जनता गरीब हो। लेकिन इस गरीबी से भविष्य में निजात पाने के लिये चारा भी यही है कि हम हर तरह के साधन जुटायें ताकि गरीबी को दूर कर सकें और नये-नये पैदावार के जराये अपने यहां बढ़ा सकें। इस लिये इस सूबे की बहबूदी के लिये ही यह बिल सदन के सामने पेश किया गया है। मुझे उम्मीद है कि माननीय सदन इसे खुशी से मंजूर करेगा।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, मेरा प्रवर समिति के लिये एक संशोधन था उस पर क्या आज्ञा हुई ?

श्री उपाध्यक्ष—श्री चन्द्रबलीसिंह तथा श्री शिवचरन के संशोधन हैं आप का नोटिस समय से नहीं था इसलिये वह नहीं लिया जा सकता।

(श्री चन्द्रबलीसिंह तथा श्री शिवचरन के नाम पुकारे गये लेकिन वे अनुपस्थित थे।)

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—श्रीमन्, यह बिल इतना व्यापक है कि यह गरीब से गरीब को भी छूता है। यह तृतीय पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये पेश किया जा रहा है। यदि यह प्रवर समिति में चला जाय तो इस पर पूरे तौर पर विचार करने की सुविधा हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष—मैं पहले ही कह चुका कि इस की इजाजत नहीं दूंगा लेकिन आप इस पर विचार कर सकते हैं।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—अगर आप एलाऊ कर देते तो अच्छी तरह से उस पर विचार हो जाता।

श्री उपाध्यक्ष—जी नहीं, उसके बारे में मैं निर्णय दे चुका हूं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, आज सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने वाक आउट कर दिया है। आज सुबह तो आपने आगे बढ़कर कहा था कि आप की क्या राय है लेकिन इस समय आपने मन्त्री जी से भी नहीं पूछा कि उनको आपत्ति है या नहीं, मैंने सुबह भी कहा था कि आप नेता सदन से पूछ लें। मैं समझता हूं कि आज की विशेष परिस्थिति में आज्ञा मिलना ही चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—अगर मन्त्री महोदय मान लेते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री मुजफ्फर हसन—मैं प्रवर समिति में भेजने के मुआफिक तो नहीं हूं लेकिन विचार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) विधेयक, १९६२ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर दे दे और उसमें परिवर्तन और परिवर्द्धन कर सके।

मैंने इस संशोधन को इस मन्तव्य से पेश किया था कि यह बिल जो यात्री-कर के नाम से हमारे सामने आया है, छोटे से छोटे आदमी को भी छूने जा रहा है। हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना बनी है और उसको सफल करने के लिये हम हर तरह का प्रयास कर रहे हैं और हम को आज ऐसा मालूम हो रहा है कि हम ने पहले नीचे से शुरू किया है जबकि योजनाओं का लाभ अभी तक ऊपर के ही कुछ लोगों को हुआ है। इस सम्बन्ध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी संसद में जिक्र किया था कि इन योजनाओं का लाभ कहां गया और सारी दुनिया और देश यह देखता रहा कि यह पैसा बड़े लोगों के हाथ में गया, पूंजीपतियों के हाथों में गया, भले ही इस स्थिति की प्रतीति पंडित जी को न हो। उनसे अर्थात् पूंजी पतियों से रुपया प्राप्त करके यदि योजना को सफल बनाया जाता तो इस विधेयक के लाने में सार्थकता थी। लेकिन यह विधेयक जो कर के रूप में आया है, उसकी शुरुआत गरीब आदमी से हुई है। आप कभी बस स्टेशन पर गये हों तो देखा होगा कि सैकड़ों की तादाद में मुसाफिर गाड़ी में बैठने का इन्तजार करते रहते हैं, कभी-कभी टिकट नहीं मिलता और जिस काम के लिये जाना चाहते हैं वह काम भी नहीं कर पाते हैं। किसी को कचहरी जाना है, विवशता में दूर तक सफर करना है फिर भी उसको सुविधायें प्राप्त नहीं हो पातीं। इस विधेयक के जरिये जो मुसाफिर मजबूरी में, अपनी रोजी के लिये, अपना दुख-दर्द दूर करने के लिये यात्रा करने जा रहे हैं उनको भी ५ फीसदी से ले कर १५ फीसदी तक टैक्स देना पड़ेगा। अजीब चीज है, जब उसको प्लान से कोई लाभ नहीं हुआ, ब्लाक के अन्दर या बाहर जो योजनायें हैं उनको ध्यान से देखें तो मालूम होगा कि जिसके पास कुछ है उसी को योजना से मिला भी है और जिसके पास कुछ नहीं है उसको कुछ नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में जिसको कुछ भी नहीं मिला उसको टैक्स देने के लिये मजबूर करना, कहां का न्याय है? इसी को ध्यान में रख कर मैंने इस बिल को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा था। वहां वाद-विवाद के दौरान में मुमकिन है सरकार को विश्वास हो जाता कि इन गरीबों पर टैक्स नहीं लगना चाहिये। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि वह इसको मानने के लिये तैयार नहीं हैं।

हमारे प्रान्त की योजना ४९७ करोड़ रुपये की है और उस पैसे को इकट्ठा करने के लिये हमारी सरकार हर तरीके से प्रयत्नशील है। अभी-अभी आपके सामने मोटर टैक्सेशन बिल पेश हुआ। हमने उसका विरोध नहीं किया क्योंकि हम समझते हैं जिनके पास पैसा है उनसे लेना चाहिये और योजना को सफल बनाना चाहिये ताकि प्रदेश में सुख-शान्ति हो तथा लोग आजादी का मजा चख सकें। लेकिन इस समय जब यह बिल आया तो हमें उसका विरोध करना पड़ा। क्योंकि योजना में उनका कोई स्थान नहीं है जिन पर टैक्स लगने जा रहा है। योजना की जो आमदनी है वह ऊपर की तरफ जा रही है। ऐसा मालूम होता है योजना उलट दी गई है, सर नीचे और पैर ऊपर, खून का दौर सर की तरफ कर दिया गया। पता नहीं उसकी क्या स्थिति होगी। सारे धन का बहाव चाहे विदेशों से आया हो चाहे यहां का हो, धीरे-धीरे

पूंजीपतियों की तरफ चला जा रहा है और बेचारा किसान, मजदूर, मेहतर, मुसहर आंखें फाड़-फाड़ कर देख रहा है कि सारा पैसा हमारे नाम पर आता है, राजा रानी के नाम पर, वोट के समय उसकी महत्ता बढ़ जाती है क्योंकि अगर वोट न मिले तो यह सरकार यहां दिखाई न दे, लेकिन सूखी रोटी और सब्जी के लिये यदि वह राजा रानी हाथ फैलाता है तो उसको इन्कार कर दिया जाता है। वह देखता है हमारे नाम पर देश में लूट कैसी मची हुई है। इसलिये मुझे कहना है कि जिनके लिये योजना बनायी जा रही है जब तक उनको उससे लाभ नहीं पहुंचेगा तब तक उनका सहयोग प्राप्त नहीं होगा। यदि योजना को सुनियोजित ढंग से और "फार्मेशन आफ दि लास्ट मैन" जो अन्त्योदय–योजना का प्रीएम्बिल है, उसको कार्यान्वित नहीं किया गया तो काम चलने वाला नहीं है। इसी को दूसरे ढंग से कह दूं तो सही मानी में यह "फार्मेशन-आफ दि लास्ट मैन" कर रहे हैं, हर आदमी को आखिरी आदमी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको हर तरह से पामाल कर रहे हैं। गरीब को हमेशा के लिये गरीब, यह योजना कर देगी, उन्हें दीन और हीन बना देगी। वह योजना कभी सफलीभूत नहीं हो सकती चाहे यात्री-कर लगाया जाय, चाहे कितना भी रुपया वसूल कर लें। रुपया योजना की कसौटी नहीं हो सकता। जब तक जन-मानस उसको अपना नहीं समझता है। इसलिये मैंने सोचा था कि यदि माननीय मन्त्री जी इस पर विचार करें और इन सारे पहलुओं पर सोचें लेकिन इसको समझने का मौका प्रवर समिति में मिलता। इसलिये मैंने यह प्रस्ताव किया था कि यह विधेयक प्रवर समिति में चला जाय, जिसे इसको परिवर्तित एवं परिवर्धित करने का पूरा अधिकार हो ताकि जन-मानस को अपने साथ लेकर इस योजना को हम अपना सकें और इसे सफल बना सकें। इन शब्दों के साथ मैं फिर इस्तदुआ करूंगा कि यह प्रस्ताव मान लिया जाय और विधेयक प्रवर समिति को भेज दिया जाय।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को इस बात के लिये बधाई है कि यद्यपि वह सहमत नहीं थे कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय फिर भी उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि प्रवर समिति में इसे भेजने के प्रस्ताव पर अगर सदन चाहे तो बहस हो जाय। कदाचित उनकी यह मंशा होगी कि इस बहस से प्रकाश पड़ेगा उन सिद्धान्तों पर जिनके अन्तर्गत हमें यह तय करना चाहिये कि इस टैक्स को लगाया जाय या नहीं, लेकिन शायद उनका ऐसा खयाल नहीं होगा कि एकदम से हम योजना को कोसने पर ही आ जायंगे। जब योजना पर बहस की मांग की जाती है तब तो कुछ माननीय सदस्य उससे भागते हैं और उसको हटा लेते हैं लेकिन और प्रश्नों में जब कि योजना पर डिसकशन उससे रिलेवेंट नहीं होता उस वक्त योजना की बात कही जाती है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के पीछे हजारों आदमियों का दिमाग लगा, बड़े-बड़े विशेषज्ञ, बड़े-बड़े नेताओं का दिमाग, चाहे वे किसी भी पार्टी के रहे हों, लगा। उसमें कई वर्ष लग गये। लेकिन जब खराबी निकालनी होती है तो किसी चीज की जरूरत नहीं होती। न किसी प्रयत्न की, न किसी अध्ययन की। कोई भी आदमी जो इतनी बड़ी योजना बनी है, इतने रुपये, इतना सामान, समय इतना प्रयत्न और इतना दिमाग लगा है उसमें कोई न कोई खराबी हमेशा निकाल सकता है। जब कभी छोटे से छोटा बिल हमारे सामने आता है, छोटे से छोटा कर का प्रस्ताव हमारे सामने आता है तब आप हमारी योजनाको कोसने लग जायं, यह बात समझ में नहीं आती है।

अब प्रश्न यह आता है कि कर लगना चाहिये या नहीं लगना चाहिये। जनता, जिस पर टैक्स लगता है, कभी भी किसी देश और किसी काल में कर का स्वागत नहीं कर सकती और जन प्रतिनिधि चुनकर यहां आते हैं। उनके लिये बहुत रोचक कार्य नहीं होता कि वे किसी कर के प्रस्ताव का समर्थन करें। अगर जन प्रतिनिधि कर लगने पर उसका विरोध करें, उसमें कुछ जनप्रतिनिधित्व की भावना झलकती है, खुद जनता में कहने का मौका मिलता है कि आपके खिलाफ टैक्स लग रहा था और हमने उसका विरोध किया। कुछ ऐसा लगता है कि हम सर्वप्रिय बनेंगे, अगली बार हमें अधिक वोट मिलेंगे, ऐसे प्रलोभन हमारे सामने आते हैं। लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारियों को भी तो अपने सामने रखना है। जब हमें तृतीय पंचवर्षीय योजना के

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट]

लिये कुछ धनराशि उपलब्ध करनी है तो उसके लिये साधन जुटाने भी हैं और उसमें यह देखना है कि कहां पर हम टैक्स लगा सकते हैं। अभी सदन ने एक मेजर पास किया। मैं समझता हूं बड़ा सराहनीय कार्य हुआ। एक ऐसे वर्ग पर हमने टैक्स डाला जो उसको बड़ी आसानी से सहन कर सकता है। अब दूसरा वर्ग आता है। अभी जो रेलों पर यात्री टैक्स बढ़ा उसकी एक नेसेसरी कारोलरी भी यह है क्योंकि अगर व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाय और इस दृष्टि से देखा जाय कि रेल और रोडवेज के यात्रियों के टैक्स में कोई इक्वीलिब्रियम कायम रखा जाय तो यह जरूरी था कि रोडवेज के यात्री का भी टैक्सेशन उस मात्रा में बढ़ता जिस मात्रा में रेलवे का बढ़ा। मैं तो ऐसा समझता हूं कि अगर कदाचित् ये दोनों विभाग एक सरकार के अन्डर में होते तो एक साथ ही दोनों पर टैक्स बढ़ा होता, लेकिन चूंकि वह केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत है और यह प्रदेशीय सरकार के अन्तर्गत है इसलिये कुछ समय का भी और कुछ रेट की दर में भी अन्तर हुआ। आज देश के सारे प्रदेशों में, तीन प्रदेशों को छोड़कर, यात्री-कर लग रहा है। तो जब सारे देश में यह सिद्धान्त माना जा चुका कि अनिवार्य रूप में यह टैक्स लगाया जायगा तो फिर ऐसा कर आपत्तिजनक नहीं हो सकता।

अब तीसरा प्रश्न यह आ सकता है कि जो ५ परसेंट इस समय प्रस्तावित किया जा रहा है यह ठीक है या ज्यादा है, वह एक्सेसिव भी हो सकता है। तो इसके लिये भी हमें दूसरे सूबों की तरफ़ देखना पड़ेगा। पंजाब में यह टैक्स दस वर्ष से लागू है और शुरू में १६.६ परसेंट था जो बढ़ कर २० परसेंट तक आ चुका है। मध्य प्रदेश में यह कर १० परसेंट है और बम्बई में भी १० परसेंट है। जो प्रस्तावित विधेयक है इसमें ५ परसेंट दर बढ़ाने की बात है। तो किसी भी दृष्टि से देखा जाय इसका औचित्य है। अप्रिय हो, कुछ कष्टकर भी हो क्योंकि कष्टकर तो हर टैक्स होता ही है, लेकिन आवश्यक है, अनिवार्य है। इसलिये सदन के हर सदस्य को उस अपने बड़े लक्ष्य को सामने रख कर जिसकी पूर्ति प्रदेश और देश की उन्नति के लिये आवश्यक है, यह लाजिमी हो जाता है कि इसे अपना सहयोग और सहमति प्रदान करे।

अब केवल एक बात रह जाती है कि यह प्रवर समिति को भेजा जाय या नहीं। ऐसे बिल हो सकते हैं जिनको प्रवर समिति में भेजने से उनका परिवर्धन और संशोधन हो सके। लेकिन इस बिल में जो माननीय सदस्यों ने संशोधन दिये हैं उनको देख कर या जो प्रवर समिति के प्रस्तावकर्ता हैं उनके भाषण को सुन कर यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि वहां इसमें क्या सुधार हो सकता है? इसका मूलभूत विरोध हो सकता है या मूलभूत समर्थन हो सकता है, लेकिन क्या सुधार हो सकता है इसका संकेत या क्या अच्छाई हो सकती है, इसका संकेत न तो संशोधन से मिलता है और न जिन सज्जन ने प्रस्ताव पेश किया उन्होंने अपने भाषण में ही बताया है। योजना की बात तो हुई लेकिन इस बात पर कोई प्रकाश नहीं पड़ा कि प्रवर समिति में जाने से क्या लाभ हो सकता है। इसलिये मैं प्रवर समिति वाले प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय केसरीप्रसाद जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये मैं यहां खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुये माननीय मंत्री जी ने कहा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये हमें साधन जुटाने हैं, उसके लिये यह सरकार गतिशील है और उसी का नतीजा यह बिल भी है। इसमें किसी का मतभेद नहीं हो सकता कि जो लोग योजनाओं में विश्वास करते हैं और चाहते हैं कि हमारे देश का आर्थिक विकास हो क्योंकि हम जानते हैं कि उसके बिना हमारे देश की जो स्थिति है उसमें सुधार नहीं हो सकता है, और हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। मतभेद इस बात पर है कि इन योजनाओं के लिये साधन कहां से लाये जायं, कौन इनका खर्चा बरदाश्त करे। इसके उपर सरकार में और हम में गहरा मतभेद है। सरकार की प्रवृत्ति आज यह है कि इन योजनाओं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिये जो रुपया इकट्ठा किया जाय उनका भार गरीब जनता पर भी पड़े और अमीर जनता पर भी पड़े।

हम लोग और हमारी पार्टी यकीन करती है कि योजनायें बढ़ें, मुस्तैदी से उनको लागू करें, विस्तार करें और उनको पूरा करने की कोशश करना सरकार का कर्तव्य है और जनता का भी कर्तव्य है। लेकिन हम मुस्तैदी से इस बात का विरोध करते हैं कि योजनाओं का भार गरीब जनता पर भी पड़े जिनकी पिछले ११ सालों में आमदनी बढ़ी नहीं है बल्कि घटी है और इसके आंकड़े भी प्रस्तुत किये गये हैं और बताया भी गया है। इससे पहले एक विधेयक आया था हम लोगों ने उसका स्वागत किया और उसका समर्थन इस बात को ध्यान में रखते हुये किया था कि हमें कहीं न कहीं टैक्स लगाना पड़ेगा, कहीं न कहीं बोझा डालना पड़ेगा। हम कहते हैं कि जो लोग साधन सम्पन्न हैं और जिन्होंने बड़े-बड़े मुनाफे कमाये हैं, उनके ऊपर टैक्स का बोझ डाला जाय। मैं समझता हूं कि इन बातों पर विचार करने के लिये ही यह प्रस्तुत किया गया है। मैं समझता हूं कि प्रवर समिति में जाने से इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर सकते हैं। लेकिन यहां पर इस प्रकार से इसको पास करना उचित नहीं होगा। इसलिये मैं इस संशोधन का समर्थन कर रहा हूं।

मंत्री जी ने तथा अग्रवाल जी ने कुछ सूबों का उदाहरण दिया कि वहां पर यह टैक्स लगा हुआ है और हम लोग बहुत देर के बाद लगा रहे हैं, जहां हमारी निगाह दूसरे सूबों के टैक्सों पर जाती है वहां इस तरफ भी जानी चाहिये। क्या यह सही नहीं है कि दूसरे सूबों में जो साधन-सम्पन्न हैं उन पर ज्यादा टैक्स लगाया गया है? दूसरे सूबों में गरीब जनता की आमदनी बढ़ी है। इसके उदाहरण सदन में दिये गये हैं। महाराष्ट्र और पंजाब में बढ़ने की बात करते हैं तो क्या वहां पर किसानों की आमदनी पर-एकड़ नहीं बढ़ी है? क्या महाराष्ट्र के मजदूरों की आमदनी यू० पी० के मजदूरों के मुकाबले में पिछले ग्यारह वर्षों में नहीं बढ़ी है? तो जहां उनके साधन बढ़े हैं, उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि इस सरकार के अन्दर एक साहस की कमी है और वह यह है कि जो भी बिल योजनाओं के नाम पर आ रहे हैं उनमें सरकार अप्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में अधिकार लेना चाहती है ताकि उसका मनमाने ढंग से इस्तेमाल करे। इसलिए मैं इसका घोर विरोध करता हूं। हम नहीं चाहते कि सरकार को हम बेलगाम का अधिकार दे दें।

उद्देश्य और कारण में कहा गया है कि पहले पांच फी सदी लेना चाहते हैं लेकिन व्यवस्था यह है, सरकार अपने हाथ में यह अधिकार लेना चाहती है कि वह जिस समय चाहे १५ फीसदी तक बढ़ोत्तरी कर सकती है। मैं समझता हूं कि यह आपत्तिजनक है। इस प्रकार का अधिकार सरकार को कभी भी नहीं देना चाहिए कि दो-तीन महीने के बाद कह दें कि अब हमको जरूरत है, हम अब १५ फीसदी लेंगे। इस प्रकार का मनमाना अधिकार आप सदन से लेना चाहते हैं, इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि हमारे सूबे के अन्दर ऐसे लोग हैं जिन पर टैक्सों का भार योजनाओं को पूरा करने के लिए पड़ना चाहिए। हमने समय-समय पर सरकार को सुझाव भी दिया कि चीनी के मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय, बिजली के कारखानों का राष्ट्रीयकरण हो, जिनकी आमदनी ज्यादा है उन पर टैक्स का बोझ डाला जाय, उसको दोहराना नहीं चाहता। तो जो टैक्स बढ़ाने के सिद्धान्त रूप से विरोधी भी नहीं हैं, जो जानते हैं कि विकास के लिए टैक्स का बढ़ाना जरूरी है, मतभेद केवल साधन जुटाने के तरीकों पर है, ऐसा मतभेद प्रवर कमेटी के अन्दर शान्त वातावरण में हल किया जा सकता है। मैं इन भावनाओं के साथ इसका विरोध करता हूं।

मैं माननीय परिवहन मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति में जाने दें। तीन हफ्ते का समय है, एक हफ्ता कर लें, तीन दिन कर लें। हमें देर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके अन्दर बैठ कर मुमकिन है कि ऐसा रास्ता निकल आये कि सरकार जो गरीब जनता के ऊपर किराया बढ़ाने जा रही है, वह न हो। मैं माननीय अग्रवाल जी से इस बात में सहमत नहीं हूं कि रेलवे में किराया बढ़ गया। जब वह बढ़ा था तो जनता ने उसका विरोध किया था। मैं नहीं समझता कि अगर कोई अच्छा काम करे तो उसका अनुकरण

[श्री चन्द्रजीत यादव]

करने का उदाहरण दिया जाय, और अगर कोई बुरा काम करे तो भी उसका अनुकरण किया जाय। बुरे कामों का अनुकरण करना कम से कम छोड़िए। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं इस प्रस्ताव का, जो माननीय पांडेय जी ने प्रस्तुत किया है, समर्थन करता हूं।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मोटर गाड़ी (यात्री-कर) विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है, मैं इसके समर्थन में बोलते हुए जो हमारे केसरी प्रसाद जी ने उसे प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया है, उसका विरोध करता हूं और वह इसलिए करता हूं कि यद्यपि संशोधनों का जिक्र इस समय नहीं है लेकिन फिर भी उन पर अगर दृष्टि डाली जाय तो आप यह स्पष्ट देखेंगे कि उनमें कहीं भी कोई भावना किसी माननीय सदस्य की ऐसी नहीं है कि यह कर न लगे। यह बात दूसरी है कि पांच प्रतिशत के स्थान पर दो या ढाई प्रतिशत लगे। लेकिन लगे जरूर। कर के लगाने के सम्बन्ध में संशोधनों के भावों को देखने से स्पष्ट पता चलता है कि सब की राय है कि कर लगाया जाय। जब तृतीय पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये साधन जुटाने हैं तो ऐसी स्थिति में प्रवर समिति में भेजना आवश्यक है। प्रवर समिति को जब कोई बिल भेजा जाता है तो इस वास्ते भेजा जाता है कि उसमें अगर कोई भारी भूल रह गयी हो या कोई जटिल समस्यायें हल करने के लिए रह गई हों तो उन पर विचार करके उनको हल किया जा सके। किन्तु यह सीधा सादा विधेयक है जिसका स्पष्ट उद्देश्य यह है आमदनी को बढ़ाना। माननीय चन्द्रजीत जी यादव ने जो कि योजनाओं के कट्टर समर्थक हैं उन ने भी इसका विरोध करते हुए और घोर विरोध करते हुए यह कह दिया कि रेलवे का किराया बढ़ा है, उसका विरोध किया गया लेकिन केन्द्रीय सरकार ने बढ़ा दिया तो किया क्या जाय? मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि हमारा परिवहन विभाग एक वाणिज्य विभाग है और उसके द्वारा हमें आमदनी और घाटा दोनों का एक मूल रूप देखने को मिलता है। वह बिल्कुल एक बनिया की दूकान की तरह से चलता है और जब रेलवे का किराया बढ़ा है और हमारा किराया कम रहता है तो यह स्वाभाविक है कि यात्रियों का बोझ हमारे रोडवेज के ऊपर और हमारी यात्री गाड़ियों के ऊपर बढ़ेगा और यह स्वाभाविक है कि ज्यादा यात्री उससे सफर करना चाहेंगे। ऐसी स्थिति में हमें किराया बढ़ाना चाहिए। लेकिन किराया बढ़ाते हैं तो एक शंका पैदा होती है क्योंकि रोडवेज की गाड़ियां पूरे सूबे भर में नहीं चलती हैं। किन्हीं किन्हीं सड़कों पर वे चलती हैं और किन्हीं किन्हीं सड़कों पर प्राइवेट गाड़ियां चलती हैं। ऐसी स्थिति में सरकार अगर कर लगाती है तो सरकार कर उन गाड़ियों पर भी लगा सकती है जो कि निजी गाड़ियां चलती हैं और यह कर उन यात्रियों से भी लिया जा सकेगा जो कि रोडवेज की गाड़ियों में सफर करते हैं।

उदाहरण देते समय यह कहा जाता है कि अन्य प्रदेशों से हमारे प्रदेश की उन्नति कम हुई है, अन्य प्रदेशों से हमारे प्रदेश की आमदनी कम है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब अन्य प्रदेशों से मुकाबिला किया जाता है, आमदनी बढ़ाने के लिए, तो उसका घोर विरोध किया जाता है? आखिर ऐसे कौन से तरीके हैं कि जिनसे सरकार बगैर आय को बढ़ाये हुए जिसके कि ऊपर योजना की सफलता निर्भर करती है, इस प्रदेश की उन्नति कर सके? यदि योजनाओं को सफल करना है तो उसके लिए आय के साधन बढ़ाने ही होंगे। हाउस में विरोधियों की ओर से नाना प्रकार की कल्पनायें की गईं और उसे एक उलझी हुई गुत्थी के रूप में रखा गया कि मुख्य मंत्री जी या तो इससे इन्कार करें कि वह लगान नहीं बढ़ा रहे हैं या फिर उसको स्वीकार करें। वह चाहते थे कि उसकी स्वीकारोक्ति उनसे कराते और उनका राजनीतिक उद्देश्य उससे पूरा होता। वास्तव में भावना तो कुछ और ही रहती है। यह चाहते हुए भी कि हमारी पंचवर्षीय योजनायें सफल हों, लेकिन जनता के सामने अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए और वोट मांगने के लिए वह ऐसा करते हैं। वोट का लांछन सरकारी पक्ष पर लगाया जाता है। लेकिन क्या विरोधी दल वोट के लिए यह सब नहीं करता है। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि करों का विरोध आत्मा से समर्थन करते हुए भी केवल इसलिए किया जाता है कि जनता से यह कह सकें कि हम

तो करों का विरोध करते हैं लेकिन सरकार तुम्हारे ऊपर कर लगा रही है। माननीय पांडेय जी ने इसे प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव करते हुए अपने भाषण में कोई ऐसी बात नहीं की जो प्रवर समिति को उसमें करना हो। उन्होंने बार बार जोर दिया कि गरीब जनता पर टैक्स लगाया जायगा, गरीब जनता इसको भोगेगी। मैं उपाध्यक्ष महोदय ! आपको बताना चाहता हूं कि वास्तव में गरीब जनता कौन है ?

(इस समय ४ बजकर १६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

गरीब जनता जिसको कहना चाहिए या गरीब जनता की जो परिभाषा करनी चाहिए वह गरीब जनता वास्तव में वह है कि जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह रेलगाड़ी या मोटर गाड़ी में सफर कर सकें। आज भी अधिकांश व्यक्ति जो वास्तव में गरीब हैं घोड़ों पर यात्रा करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं या बैलगाड़ी पर यात्रा करते हैं। आप देखेंगे कि बड़ी-बड़ी बरातें, जो तीन-तीन, चार-चार सौ व्यक्तियों की जाती हैं, पैदल जाती हैं और बैलगाड़ियों से जाती हैं। मोटर गाड़ी या रेलगाड़ी से सफर करने के लिए वही लोग कमर बांधते हैं जिनके पास पैसा होता है। क्या आपने रोडवेज की खिड़की से टिकट कटाते समय नहीं देखा है कि जो लोग लाइन लगा कर टिकट लेने के लिए खड़े होते हैं उनको अगर लोअर का टिकट नहीं मिलता है तो फौरन अपर का ले लेते हैं ? तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति साधारण तरीके से धन दे सकता है, जो सरकारी आय के साधन में सहयोग दे सकता है उसके लिए विरोध करना और नाना प्रकार की कल्पना करके यह भी कह देना कि लगान बढ़ाया जायगा, यह उचित नहीं है। हमारी सरकार ने कोई ऐसी स्वीकारोक्ति तो दी नहीं है कि अमुक प्रकार का लगान हम बढ़ाने जा रहे हैं। हां, यह बात जरूर है कि पंचवर्षीय योजना को सफल करने के लिये धन जुटाना है। पिछले बातों का यहां पर जिक्र करना असंगत होगा। यहां पर कहा गया कि राजस्व मंत्री जी गलती करते हैं और मंत्रिगण गलत कहते हैं। कहा गया कि १०८ करोड़ का टैक्स लगाने की जरूरत है। ऐसी बातें कही गईं। मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जब ७ अरब के लिये जोर दिया गया तो पूरे हाउस ने तथा विरोधीदल की तरफ से भी जोर दिया गया कि ७ अरब कम से कम केन्द्रीय सरकार से मांगा जाय तीसरी पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये। उसका मूल उद्देश्य यही था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना यदि सफल होगी तो हमारा प्रदेश प्रगति की तरफ बढ़ेगा। जब प्रगति की तरफ बढ़ेगा तो प्रत्येक व्यक्ति की आय के साधन बढ़ेंगे। आय के साधन बढ़ेंगे तो हमारी स्थिति अच्छी होगी। जब उस आय के साधन बढ़ाने के लिये, पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये धन जुटाया जाता है तो उसका विरोध क्यों होता है ? यह आश्चर्य की बात है कि एक विरोधाभास पैदा किया जा रहा है जो मेरी समझ में नहीं आता है। मैं तो यही कहूंगा कि करों की वसूली के लिये जितने भी रास्ते सरकार निकाल सकती है वे इसी प्रकार के मार्ग हो सकते हैं जिनके द्वारा जनता को अधिक कष्ट भी न हो और पैसा भी सुगमता-पूर्वक जनता से सरकार के पास आ जाय।

कहा गया कि गरीब जनता पर टैक्स लग रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम बराबर इस बात को कहते हैं कि हमारा प्रान्त गरीब है और हमारे प्रदेश की जनता गरीब है तो फिर किस अमीर से टैक्स वसूल किया जाय और किस अमीर से धन मांगा जाय ? कौन सी अमीर की परिभाषा अपने यहां रखें कि उनसे धन वसूल किया जाय ? इस सरकार के सदस्य, जो बहुमत में यहां पर बैठे हुये हैं, काफी वोटों से जीतकर यहां पर आये हैं। उनको भी इस बात की चिन्ता है कि उनको जनता के सामने जाकर मुंह दिखाना है। सरकार भी अपनी इस जिम्मेदारी को समझती है लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यदि हमें किसी घर को बनाना है तो यह स्वाभाविक है कि उस घर के अन्दर रहने वाले सदस्यों के सहयोग से ही उसका निर्माण हो सकेगा। कोई बाहरी व्यक्ति आकर उसको नहीं बना सकेगा। अपने प्रदेश को यदि प्रगति के पथ पर ले जाना है, अपने प्रदेश को यदि विकसित करना है, अपने प्रदेश के नागरिकों की आमदनी को यदि बढ़ाना है और हमें प्रदेश के अन्दर यदि सुगमतापूर्वक सुविधा के साधनों को जुटाना है तो यह आवश्यक है कि हमारे प्रदेश की जनता को कर का भार वहन करना

[श्री बसन्तलाल शर्मा]

पड़ेगा, चाहे वह किसी रूप में हो। लेकिन यहां पर हर कर का विरोध किया जाता है। मैं अपने भाई चन्द्रजीत जी यादव से, जो साम्यवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, अच्छे समझदार और अनुभवी हैं, निवेदन करना चाहता हूं कि वह कोई ऐसा सुझाव दें जिसके द्वारा सरकार के पास उन साधनों की पूर्ति के लिये धन इकट्ठा हो जाय और प्रदेश की जनता को कर के भार से वंचित करके पैसा इकट्ठा किया जा सके। यह निश्चित है कि उस कर से सड़कें बनाई जायंगी। इस प्रदेश के अन्दर सड़कें बनाई जायंगी, कृषि की आमदनी बढ़ेगी, प्रदेश के अन्दर बड़े-बड़े पुल बनेंगे, प्रदेश के अन्दर बड़े बड़े औषधालय खुलेंगे, बड़ी-बड़ी चीजें पैदा होंगी, कल कारखाने खुलेंगे तो उससे इस प्रदेश की जनता लाभ उठायेगी। उसको ही उनसे लाभ पहुंचेगा। तो उस लाभ को प्राप्त करने के लिये हर एक व्यक्ति को त्याग करने के लिये सहर्ष तैयार रहना चाहिये। आज यदि सर्वसाधारण पर कोई टैक्स लगाने का प्रश्न आता है तो उसके लिए धमकी दी जाती है कि हम आन्दोलन करेंगे। यदि कोई ऐसा टैक्स लगाया जाता है जिसके द्वारा केवल जनता को सुख सुविधा प्रदान करना चाहते हैं या जनता के आमदनी के साधन बढ़ाना चाहते हैं या गरीबी दूर करना चाहते हैं तो उसका भी विरोध किया जाता है। १० रुपये खर्च करने वाले से यदि यह कहा जाता है कि तुम १० के बजाय ११ खर्च कर दो जिससे तुम्हारे लिये प्रगति के साधन जुटाये जा सकते हैं तो उसका घोर विरोध होता है। वह विरोध भी ऐसे व्यक्तियों के द्वारा होता है जो प्रगतिशील हैं। तो ऐसी स्थिति में ठंडे दिल से हमको सोचना होगा। आज यह भी लांछन लगाया जाता है कि यदि यह सदन १५ प्रतिशत का अधिकार दे देता है तो वह अपने अधिकारों से वंचित हो जायगा। एक तरफ यह शिकायत करना कि एक एक पाई जो सरकार लगान द्वारा बढ़ा कर लायेगी तो उसको बरदाश्त नहीं किया जायगा तो फिर दूसरी तरफ अनुभव के आधार पर सरकार जब इसे ऐसे साधनों से लेने जा रही है तो उसका भी विरोध किया जाता है। यह केवल ३ स्टेट्स, जो हमारे माननीय परिवहन मंत्री जी ने बताई, केरल, उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी बंगाल को छोड़ कर बाकी सब प्रदेशों के अन्दर यह लागू है। केवल अनुभव के लिए यह कर लगाया जा रहा है और फिलहाल ५ प्रतिशत लगा रहे हैं और फिर १५ प्रतिशत तक का अधिकार ले रहे हैं। यदि इसे हमारे प्रदेश की जनता वहन कर लेती है और सहर्ष बर्दाश्त कर लेती है, तो शीघ्र ही थोड़े समय के अन्दर कर को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए फिर से यह मसला सदन में उपस्थित किया जायगा और सदन का समय नष्ट किया जाय तो यह ठीक नहीं होगा। इसीलिए १५ प्रतिशत के अधिकार की बात कही गई है। इन विचारों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति में भेज कर समय नष्ट होगा और यह अच्छा विधेयक है इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं पांडे जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि यह प्रस्ताव प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। मेरे साथियों ने अभी इस बारे में जो बीच का भेद रखा है कि ५ प्रतिशत की यदि आवश्यकता होगी तो ५ प्रतिशत और यदि १५ की आवश्यकता होगी तो १५ प्रतिशत कर दिया जायगा। तो यह ऐसा अस्त्र है कि आज हम ५ प्रतिशत की स्वीकृति दें, परन्तु वह हो सकता है कि कल ही अनुभव करने लगें और १५ प्रतिशत कर सकते हैं। मैं कह सकता हूं कि सरकार ऐसा प्रस्ताव लावे जो एक राय को लेकर चले। हम भी एक राय के पक्ष में हैं। यह १५ प्रतिशत के अधिकार वाली बात मेरी समझ में नहीं आती है। यह अधिकार सरकार के हाथ में सौंप देना ठीक नहीं है।

दूसरी बात हमारे सभी लोग योजनाओं का बड़ा भारी नाम लेते हैं। हर बात में वे योजनाओं को चलाने की बात कह दिया करते हैं। शायद वे समझते होंगे कि हम लोग योजनाओं के खिलाफ हैं, परन्तु ऐसी बात नहीं है। हम तथा हमारी पार्टी दोनों ही योजना के समर्थक है। परन्तु अपनी योजनाओं को पश्चिमी देशों के बल पर पूरा करने के पक्ष में हम नहीं हैं। हम ऐसी योजना चाहते हैं जो भारत के ४४ करोड़ लोगों को काम में लगा सके और उनकी उन्नति कर सके। देश में फैली हुई बेकारी को दूर कर सके। परन्तु आज पश्चिमी देशों से लाखों

करोड़ों रुपया कर्ज लेकर बड़े बड़े कारखाने चालू किये जा रहे हैं परन्तु देश में फिर भी बेकारी बढ़ती चली जा रही है, तो ऐसी योजना को हम स्वीकार नहीं कर सकते । हम ऐसी योजना के पक्षपाती हैं जो भारतीयकरण की योजना हो और देश के सभी लोग काम पा सकें । तृतीय योजना के बारे में एक माननीय सदस्य ने कहा था कि यदि आप यह गारंटी दें कि योजना के पूर्ण हो जाने पर देश से बेकारी समूल हट जायगी तो हम आपके सब टैक्सों को बर्दाश्त कर लेंगे । परन्तु आप यह आश्वासन नहीं दे सके । ५-६ पंचवर्षीय योजनायें क्यों न चला डालें तो भी सब लोगों को काम मिल सकेगा, इस बात की आप गारंटी नहीं दे सकते । इसलिये ऐसी योजना लाभ-दायक नहीं है । हमारे एक साथी ने कहा कि यह अनुपात रेलवे से कम है । सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने जो पास किया उसका जनता ने विरोध किया है और विरोध करने के बाद भी इस जनता की उनको कोई फिक्र नहीं है । वह मदांध होकर जो चाहे पास करते हैं । आप इसी विधान सभा को ले लीजिये, यहां जो हम कहते हैं वह चाहे सही हो फिर भी उसको आप नहीं मानते । ऐसा करना गलत है । आपको सही कार्य में आश्वासन देना चाहिये । केवल कुछ सदस्यों के अधिक होने पर आप अपनी ही मनमानी करें, यह ठीक नहीं है । आप लोग एक पार्टी के रूप में हैं, पार्टी का आर्डर है इसलिये बहुत से लोग मजबूर हैं और मजबूरी में दस्तखत कर देते हैं । ऐसा तो ठीक नहीं है । आप लोगों को चाहिये कि स्पष्ट ही कहें और सत्य बात हाथ उठा कर कहें । अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट है कि बहुत से लोग यहां ऐसे हैं जो इस कर के विरोधी हैं, लेकिन मजबूर हैं, उनको हाथ उठाना ही पड़ेगा ।

वास्तव में आज जो गरीब जनता हैं वह बसों में नहीं चलती, वह बैलगाड़ियों में चलती है । उससे उनको कितनी कठिनाई होती है । हमें जल्दी से जल्दी ऐसे साधन मुहइया करना चाहिये जिससे कि बसों में यात्रा कर सकें और जिस रास्ते को वह ४ दिन में बैलगाड़ी द्वारा पूरा करते थे उसको वह एक दिन या दो दिन में कर सकें । तो कहने की बात तो दूसरी है, मगर हमें इस प्रश्न पर आज विचार करना चाहिये कि और एकमत से इस ५ परसेंट और १५ परसेंट के लूपहोल पर विचार करना चाहिये । इसके लिये जरूरी है कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय और जो उसकी राय हो उस पर यह सदन विचार करे ।

योजना का बड़ा ढोल पीटा जाता है । आज हमारे अन्दर करैक्टर नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है । एक पुल बनता है, तुरन्त ही उसका एक खम्भा टूट जाता है । इंजीनियर वगैरह सब गायब हो जाते हैं । आखिर यह है क्या ? आपकी योजना कागज पर कब तक चलेंगी ? आपको अपनी योजनाओं को प्रक्टीकल रूप देने के लिये करैक्टर नाम की वस्तु लानी पड़ेगी । जब हमारे अन्दर से अपनापन का भाव दूर होगा, हम अपने स्वार्थ को अलग रख कर, समाज के हित को सामने रख कर कार्य करेंगे, तभी हमारी योजनायें पूरी होंगी । आपको समाज को सामने रख कर चलना चाहिये । आज प्रजातंत्र नहीं, पार्टी रूल हो गया है । पार्टी की तरफ से कोई बात आयेगी, वह तुरन्त हो जायेगी किन्तु विरोधी दल की तरफ से अगर कोई सही बात भी कही जायेगी तो वह नहीं होगी । यह सब क्या है ? यह प्रजातंत्र नहीं है, पार्टीवाद है । इस पार्टीवाद म गरीबों को फंसाने की कोशिश की जायगी तो यह कोई शोभा की बात नहीं होगी । आज अगर आप वचन दें कि तृतीय योजना को पूरा किया जायगा, पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल होगा, तो लोग टैक्स जरूर देंगे । आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना का तो प्रारूप हमें मिला था, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना का कोई प्रारूप हमें नहीं मिला । हमें आप बताइये कि दूसरी योजना में आपने क्या प्रगति की, कितना खर्च किया, उसका पूरा हिसाब हमारे सामने रखिये । हम लोग उस पर विचार करने के लिये तैयार हैं । इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बिल को प्रवर समिति में भेजा जाय और उसके बाद यहां पर विचार हो ।

***श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल** (जिला इटावा)—अध्यक्ष महोदय, हमारे परिवहन मंत्री जी ने जो मोटर टैक्सेशन (संशोधन) बिल पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल]

हुआ हूं इस बिल के विरोध में जो शब्द कहे गये हैं उनको सुनने का मुझे अवसर मिला और वह सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ कि इतनी सीधी-सादी बात जो जनहित में है उसका भी विरोध किया जा रहा है और उसे बार बार प्रवर समिति में भेजने के लिये कहा जा रहा है। बात यह है कि हमें देश को समृद्धिशाली बनाना है और अपनी तीसरी योजना की पूर्ति करना है। यहां कहा गया कि हमारी योजनायें विफल हुई हैं, देश आगे नहीं बढ़ रहा है, उसके बजाय दूसरी योजना बनानी चाहिये, मैं समझता हूं कि ऐसी चीजों के कहने का समय नहीं है। आज दो रायें नहीं हो सकतीं कि दोनों योजनाओं को पूरा करने के बाद हमारा देश समृद्धि के पथ पर अग्रसर हो रहा है और जो बाधाएं शेष थीं उनको पूरा करने के लिये हम तीसरी योजना लेकर चले हैं जिससे देश समृद्धिशाली बनेगा, आगे बढ़ेगा और औद्योगीकरण करेगा। लेकिन आलोचनाएं और विरोध किया जाता है। जरा ठंढे दिल से विचार करें कि योजना के सिवाय आगे बढ़ने का और क्या रास्ता रह जाता है? उसकी पूर्ति के लिये अगर मोटर टैक्स में वृद्धि करते हैं तो कौन सी बड़ी बात हो जायगी?

इन शब्दों के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं और जो अमेंडमेंट इसके विरोध में हुए हैं, उनका विरोध करता हूं।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष की ओर से जो प्रवर समिति में भेजने के लिये प्रस्ताव रखा गया है मैं उसके समर्थन में कुछ कहना चाहता हूं। श्रीमन्, बड़ी अजीब सी बात सरकारी पक्ष की ओर से कही जाती है। अभी एक सदस्य ने कहा कि योजना बड़ी पवित्र है, उस पर बेकार चर्चा की जाती है। लेकिन यह विवाद का विषय है। जिन लोगों ने यह बनायी है वह भले ही कहें कि यह सफलता की ओर ही ले जाने वाली है, लेकिन पिछले दिनों के आंकड़े और कार्य हैं, उससे यह सिद्ध होता दिखाई नहीं देता कि यह वास्तविकता की ओर ले जाने वाली है। एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—रक्षपाल जी, जिस प्रस्ताव का समर्थन करने आप खड़े हुए हैं वह इस प्रकार से है कि "उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रा-कर) विधेयक, १९६२ को प्रवर समिति को इस अधिकार के साथ भेज दिया जाय जो एक सप्ताह में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे जो विधेयक में और संशोधन और परिवर्द्धन कर सके"। तो इसका मतलब यह है कि कर का सिद्धान्त स्वीकार करके केवल विधेयक में परिवर्तन और परिवर्द्धन की आवश्यकता है। तो इस योजना में कोई खराबी है, यह प्रश्न नहीं है। आपको दिखलाना है कि इस विधेयक में कौन सी कमियां हैं जिनका समावेश करना है, कौन से ऐसे जनरल प्रिंसिपिल्स इसमें हैं जिनको निकाल देना है और किनकी वृद्धि करनी है। इस बात का ध्यान रखिये। कर नीति का विरोध नहीं हो रहा है, बल्कि इस कर में क्या परिवर्तन या परिवर्द्धन करना है, यह विषय आपका है। वैसे जो आप कहना चाहें।

श्री रक्षपालसिंह—चूंकि उधर के सदस्यों का एक मात्र आधार यह है कि योजना के आधार पर सब कुछ करना चाहिये और जैसा कि पुरानी कहावत है, "राम राम जपना, पराया माल अपना।" ठीक उसी प्रकार से सरकारी पक्ष की ओर से योजना, योजना कहना और लोगों पर कर लगाना, इस प्रकार की बात दिखाई देती है। इसलिये मैंने उल्लेख किया और मैं एक बात का उल्लेख करते हुए समाप्त करूंगा कि योजनायें वास्तव में वास्तविक नहीं हैं। आज जिलों के अन्दर विकास खंडों पर योजनायें चलती हैं, उनसे किसी प्रकार की उन्नति नहीं हो रही है। न तो प्रति एकड़ पैदावार बढ़ रही है और न हालत सुधर रही है। बड़ी बड़ी योजनाओं के बारे में मुझे नहीं कहना है।

केन्द्र से जो दूकानदारी है उसका उल्लेख किया गया है, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि यह दूकानदारी बहुत खतरनाक सिद्ध होगी। हमें कहा गया था कि रिहंद बांध से

कानपुर तक बिजली मिलेगी, लेकिन यह मध्य प्रदेश की तरफ चली जाने वाली है, कानपुर को मिलने वाली नहीं है । तो यह दूकानदारी के नाम पर सब चल रहा है, यह ठीक नहीं है । मैं प्रवर समिति में इस विधेयक के ले जाने के बारे में केवल दो बातें कहना चाहता हूं । पहली बात तो यह है कि हमारे यहां १०, १५ प्रतिशत जो टैक्स बढ़ानेवाली बात है, यह प्रारम्भिक रूप में बहुत ही विरोध करनेवाली बात है । अभी ६ महीने या ३ महीने जब होंगे जब तक किसी मिल-मालिक से पैसा वसूल नहीं हो पावेगा तो कह दिया जायगा कि हम कैसे पैसा वसूल करें, वह वसूल नहीं हो पा रहा है, चलो थोड़ा सा कर और बढ़ा दो । यह भी कहा गया कि इस साल के लिये लगाया जा रहा है । यह साल किस दिन तक रहेगा, यह कहना भी कठिन है । यह एक बहुत व्यापक बात इसमें रखी गई है । यह भी तर्क दिया गया कि रेलवे के समान टैक्स बढ़ाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिये । लेकिन जो सुविधायें रेलवे ने दी हुई हैं क्या वे हमें रोडवेज में मिलती हैं ? रेलवे में रोजाना की आवश्यकताओं से निपटने के लिये, रास्ते ही में, सब इन्तजाम है, चिट्ठी-पत्री लिखने की भी सुविधा है, लेकिन रोडवेज में ऐसी कोई सुविधा नहीं है ।

एक साथी ने कहा कि इन करों का बोझ बड़े आदमियों पर ही पड़ेगा । यह भी कहा या कि लोअर का टिकट खत्म होने पर ही अपर के टिकट बिकते हैं । लेकिन अगर वह कानपुर रग बस अड्डे पर जाकर देखें तो पहले अपर का टिकट खत्म होता है । वहां यह सही हो सकता है, पलेन्तु ऐसा दूसरी जगह बिलकुल नहीं होता, अपर की सीटें खाली पड़ी रहती हैं । लंगड़े-लूले इन बसों से चलकर अपनी गुजर ८, १० आने मांग कर कर लेते हैं । एक साधारण सा आदमी भी अपनी अर्जी देने के लिये ४, ६ आने खर्च करके बस पर बैठकर जिला केन्द्र पर पहुंच जाता है । इन सबके ऊपर यह टैक्स पड़ेगा, जिससे उनके काम में रुकावट डाली जा रही है । तो इस प्रकार यह टैक्स छोटे से छोटे आदमी के ऊपर भी प्रभाव डालता है ।

एक बात का मैं और उल्लेख करना चाहता हूं । हम रोडवेज में सभी बातों को करने जा रहे हैं । यात्री-कर बढ़ाने की भी सोच रहे हैं । लेकिन कर्मचारियों के बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा जिनसे हम आवश्यकता से अधिक काम लेते हैं । उनके ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है, आने-जाने के, उनके टी० ए० डी० ए० की और उनकी नौकरी के स्थायीपन की बात भी सोचनी होगी । इन सब बातों की इस विधेयक में व्यवस्था करने के लिये इसे प्रवर समिति में भेजा जाय ।

इतना कहने के बाद मैं इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री रामभजन (जिला खीरी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, परिवहन मंत्री जी ने जो बिल पेश किया है उसके समर्थन के लिये, और विरोधी दल ने जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया है, उसके विरोध के लिये मैं खड़ा हुआ हूं ।

मान्यवर, यह बात मानी हुई है कि इस वक्त हमारा देश ऐसे युग में चल रहा है जिसमें हमें आर्थिक और सामाजिक उन्नति करनी है । इसके लिये हमारे देश में योजनाओं का संचालन हो रहा है । हमारी प्रथम और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता देखकर बाहर के लोग भी जो यहां आते हैं, प्रशंसा करते हैं और यह बहुत ही गर्व की बात है । हमारे विरोधी दल के लोग हमारी छोटी से छोटी चीज के लिये आलोचना करते हैं, यह बड़े ही ताज्जुब की बात है । एक तरफ तो वे चाहते हैं कि हमारे देश की तरक्की हो, और दूसरी तरफ यह चाहते हैं कि हमारे देश की जनता से पैसा न वसूल हो । हमारे देश की जनता का जैसा उन्हें खयाल है वैसा हमको भी है । हम लोग भी जिम्मेदारी से काम करने वाले हैं । यह बात नहीं कि हम अपने देश के ऊपर अन्धाधुन्ध टैक्स बढ़ाते चले जावें और किसी प्रकार से जनता का हित न करें । हमारी एक नीति है और वह नीति यह है कि देश को ऊंचा उठावें । वैसे ही हमारा देश बहुत ही गरीब है और पिछड़ा हुआ है उसमें भी हमारा प्रदेश सबसे गरीब है और पिछड़ा हुआ है । और आजादी के पहिले जो हमारा प्रदेश और प्रदेशों से आगे था वह पिछड़ गया । उसका एक कारण यह हुआ कि

[श्री रामभजन]

प्रति व्यक्ति और प्रान्तों ने योजना के ऊपर ज्यादा खर्चा किया और हमारा प्रदेश कुछ कम खर्च कर पाया । इस वक्त हमारा प्रदेश दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में आना चाहता है क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो कृतघ्न कहलायेगा, जनता की ठीक प्रकार से सेवा करने वाला न होगा । इसलिये हमारी सरकार इस बात का प्रयत्न कर रही है इस तरह से टैक्स लगाये जिनसे हमारे प्रदेश की आमदनी बढ़े और उसके कारण प्रदेश को आगे बढ़ाया जा सके । ५ प्रतिशत का जो कर लगाया गया है वह बहुत सोच समझ कर लगाया गया है । इसके बाद १५ प्रतिशत की भी व्यवस्था की गयी है लेकिन वह भी नेकनीयती के साथ की गयी है कि अगर कहीं इससे अधिक टैक्स लगाने की आवश्यकता पड़ी तो १५ प्रतिशत तक लगाया जा सकता है । जब कि हमारे सूबे में ५ प्रतिशत टैक्स लगाया जा रहा है दूसरे प्रदेशों में १५, १६ प्रतिशत है । इस प्रकार से हमारी सरकार प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहती है ।

विरोधीदल के लोग कहते हैं कि इस बिल को प्रवर समिति में भेज दिया जाय । प्रवर समिति में उन बिलों को भेजा जाता है जो विवादास्पद होते हैं लेकिन यह तो बिलकुल सीधासादा बिल है । इसमें किसी तरह की बारीकी नहीं है । इसलिये इस बिल को प्रवर समिति में भेजने के माने यह होते हैं कि इसमें अड़ंगा लगाया जाय, देर की जाय । आज तो जरूरत इस बात की है कि जितनी जल्दी प्रदेश को साधन सम्पन्न बनाया जा सके, बनाया जाय । यही हमारी और सरकार की मंशा है । लेकिन विरोध पक्ष के लोग जब तनख्वाह या देश की तरक्की का मामला आता है तो कहते हैं कि खर्चा अधिक करो लेकिन उन कामों के लिये रुपया कहां से आये ? जिस प्रकार से सूर्य अपनी किरणों से पानी को भाप के रूप में खींचता है और फिर उसी को वर्षा के रूप में बरसा देता है, इसी प्रकार से सरकार जनता से आहिस्ता आहिस्ता रुपया वसूल करती है और उसको जनता पर खर्च करती है । अतः मैं बहुत नम्रता के साथ निवेदन करता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति को न भेजा जाय तथा यहां इसको पास कर दिया जाय ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय केसरी-प्रसाद पांडेय जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है, उसका समर्थन करने के लिये मैं यहां खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, जब इस बिल को आप देखेंगे और मेरा खयाल है कि आपने और माननीय सदस्यों ने इसको देखा होगा, तो आपको मालूम होगा कि इसके उद्देश्य और कारणों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रदेश की सरकार का विश्वास यह है कि शहर और देहात में बड़ा अन्तर है यानी शहर के लोग कम आमदनी करते हैं और देहात के लोग ज्यादा आमदनी करते हैं । इसके उद्देश्य और कारणों में यह साफ कहा गया है कि यह बिल देहाती क्षेत्रों में लागू होगा और नगरों में नगर-पालिका, नगरमहापालिका या सरकार यदि चाहें तो इस बिल के द्वारा टैक्स लगा सकतीं हैं । जिन माननीय सदस्यों के भाषण हुये हैं, खास तौर से बसंतलाल जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जो विकास के कार्य हुये हैं उनसे शहरी एरिया के आदमियों की आय घटी है और देहाती क्षेत्रों में बढ़ी है ? यदि देहाती क्षेत्रों की आमदनी बढ़ी है तो टैक्स लगा दिया जाय लेकिन सरकार स्वयं कहती है कि देहाती क्षेत्रों की आमदनी नहीं बढ़ी किन्तु घटी है और शहरों में बढ़ी है फिर क्या कारण है कि एक ही मां अपने दो बच्चों के साथ दो प्रकार का व्यवहार करती है । कारण क्या है ? शहरों के लोगों के लिये तो टैक्स मना करते हैं और देहात के लोगों से टैक्स वसूल करने के लिये यह विधेयक लाया गया है । दूसरी बात जब मैं विधेयक के उद्देश्य और कारणों को पढ़ता हूं तो उसमें यह भी कहा गया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये अतिरिक्त साधन जुटाने के लिये यह बिल लाया गया है । श्री बसन्त लाल जी ने जानना चाहा था कि टैक्स न लगे और विकास का काम भी चलता रहे उसके लिये कोई रास्ता तो बतलाइये । श्री बसन्त लाल जी पुराने सदन के सदस्य हैं और मेरा खयाल है कि वे शायद प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट भी पढ़े हों । माननीय नवलकिशोर जी इस समय सदन में मौजूद नहीं हैं, उनकी अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट मौजूद हैं जिसमें कहा गया है कि १६ करोड़ रुपये की बचत की जा सकती है । लेकिन

मुझे अफसोस है कि जब उधर के बैठने वाले लोग मंत्री नहीं रहते हैं तब तो बचत की बात करते हैं लेकिन मंत्री बन जाने के बाद दूसरी तरह से सोचने लगते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि १६ करोड़ रुपये की बचत वाले काम को सरकार क्यों नहीं कर रही है ? आज जो १६ करोड़ रुपये की लूट मची हुई है और जो इंजीनियरों व ठेकेदारों की जेबें भरी जा रही है उसे क्यों नहीं बचाया जाता, १७०–७५ लाख रुपये से क्या होने वाला है ? श्री बसन्तलाल जी ने कहा कि गरीब जनता बैलगाड़ियों पर चलती है । मैं पूछता हूं कि उनके गांव में कितने हरिजन परिवार हैं जो बैलगाड़ी रखे हुये हैं तथा वे यह भी बतावें कि बैलगाड़ी पर चढ़ने पर ज्यादा खर्च होता है या मोटर पर। अगर आजमगढ़ में या गाजीपुर में माननीय कृष्णानन्दराय जी ४० मील जायं तो एक तो दो-तीन दिन में पहुंच सकेंगे और बैल के भूखे और खली पर ही १० रुपये लग जायगा । फिर भी श्री बसन्त लाल जी कहते हैं कि बैलगाड़ी पर तो गरीब लोग चलते हैं । आखिर क्या बात है, क्या वे गांव में रहते हैं और वहां का अध्ययन उन्होंने किया है ? यदि किया है तो दिल में बात दूसरी है और कहते कुछ और हैं । ऐसी बात आप क्यों करते हैं ? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस नियोजन के ऊपर जो भी पैसा खर्च करने की बात की जाती है, उससे जिसका लाभ होना चाहिये उसका कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। मैं उदाहरण दूं, ११ साल का मुझे अनुभव है, माननीय पंत जी जब इस प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तो कितने मंत्री यहां सुशोभित थे ? जब डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी यहां के मुख्य मंत्री थे तब कितने मंत्री यहां सुशोभित रहे और आज गुप्ता जी के आने के बाद इतने अधिक मंत्रियों की फौज क्यों हो गयी ? मैं पूछता हूं कि क्या इसी तरह किफायतशारी का दम आप भरते हैं और आप कहते हैं कि हम गरीबों को फायदा पहुंचायेंगे ? आप इन मंत्रियों की फौज को क्यों कम नहीं करते हैं ? पंडित जवाहर लाल जी कहा करते हैं कि 'आराम हराम है', फिर ४५ मंत्रियों की फौज क्या काम करती है ? श्रीमन्, आप को बतलाऊं कि ये मंत्री लोग जब अपने अपने जिले में दौरे पर जाते हैं तो वहां के सारे अधिकारी परेशान हो जाते हैं । सारा काम बन्द हो जाता है, अदालतें बन्द हो जाती हैं, सभी पुलिस अधिकारी, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, और तहसीलदार उनके पीछे पीछे घूमा करते हैं । यदि वे पीछे पीछे न घूमें तो फिर उनका तबादला हो जाता है । तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नियोजन के नाम पर मितव्ययिता कीजिये, कम खर्च कीजिये और प्राक्कलन कमेटी ने जो उपदेश दिया है उसे मानें । अगर श्रीमन्, आपके द्वारा बनायी हुई कमेटियों के उपदेशों को ही मानना ये शुरू कर दें तो इससे काफी पैसे इकट्ठा हो जायेंगे, ७५ लाख रुपये क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह विधेयक सेलेक्ट कमेटी के अन्दर भेजा जाय या नहीं, इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है ?

श्री रामसुन्दर पांडेय—दूसरी बात श्रीमन्, आप देखें कि इस ऐक्ट के खंड २ (ज) में कहा गया है "यात्री गाड़ी" का तात्पर्य (ड्राइवर के अतिरिक्त) छः से अधिक यात्रियों को ले जाने वाली या ले जाने के लिये अनुकूलित ऐसी मोटर गाड़ी से है, जो पूरी यात्रा या उसके प्रक्रमों के लिये प्रत्येक यात्री द्वारा या उसकी ओर से दिया गया अलग किराया या पारितोषिक लेकर यात्रियों को ले जाती है । यानी बड़े-बड़े लोगों की कारें इसमें शामिल नहीं होंगी । एक दो नहीं, हम रोज देखते हैं कि मंत्रियों की गाड़ियां, मिली हैं, अकेले मंत्री जी को लेकिन रोज सारा मंत्री जी का परिवार और उन के रिश्तेदार मोटर पर चढ़े घूमते हैं । इसी तरह से देहात में भी जो ६ आदमियों से कम वाली गाड़ी होगी उसका इस्तेमाल होता होगा जिस पर कि आप टैक्स नहीं लगा रहे हैं। ऐसे लोगों को यह छूट क्यों दी जा रही है ? इस विधेयक में साफ लिखा है कि आगे और कहां तक आप जा सकते हैं । अभी कहा जाता है कि ५ प्रतिशत से अधिक नहीं लगा रहे हैं । माननीय जगदीशशरण जी अग्रवाल मौजूद नहीं हैं उन्होंने इस ऐक्ट को पढ़ा नहीं है। उनकी बात है कि केवल ५ प्रतिशत ही बढ़ाया जा रहा है । बिल में साफ है कि सरकार जिस दिन चाहेगी गजट कर के १५ प्रतिशत तक बढ़ा सकती है तो सरकार के इस वक्त कहने का क्या भरोसा है। आज जो ५ प्रतिशत लगाया जा रहा है वही कल गजट कर के १५ प्रतिशत किया जा सकता है और श्री जगदीशशरण अग्रवाल जी की बात खत्म हो जायगी । यह साफ होना चाहिये कि

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

किस तरह से उस का घटना बढ़ना होगा । इस में यह भी है कि कुछ व्यक्तियों को कर से मुक्त भी किया जा सकता है, कौन मुक्त होंगे कि जो दूसरे प्रदेश को जाने वाले होंगे, उनको छूट मिलेगी । वह बतायें कि दूसरे सूबों को हम जायेंगे, माननीय कृष्णानन्द जी, माननीय बसंतलाल जी या माननीय केसरीप्रसाद जी जायेंगे ? जाते हैं वही बड़े लोग और उनको दूसरे प्रदेश में जाने पर छूट होगी । इसके अलावा सरकार के अफसर जो संचालित करेंगे उनको भी अधिकार दिया गया है कि वह छूट जिसको देंगे उस को मिलेगी । यह भी शंका की बात है और इसको साफ होना चाहिये और इस पर भी प्रवर समिति में जाकर विचार होना चाहिये ।

आप यह भी देखेंगे कि इस बिल में कर की वसूली के लिये जुर्माने की रकम भी रखी गई है, अगर देर होगी तो जुर्माना भी होगा । श्रीमन्, आप तो दीवानी अदालत में पैरवी करने वाले प्रसिद्ध वकील रहे हैं । आप हमारी बात के हामी होंगे, इसमें यह भी रखा गया है कि अपील अधिकारी जो फैसला करेगा उस फैसले की दीवानी अदालत में कोई पूछ-ताँछ नहीं हो सकेगी । इस तरह की पाबन्दी के कानून पेश होते हैं और उधर के लोग प्रजातंत्र का दम भरते हैं और चाहते हैं कि ऐसी चीज का विरोध भी न किया जाय । वे चाहते हैं कि मार भी डालें और अदालत में याचना भी हम न कर सकें, जिस दीवानी अदालत की निष्पक्षता में कोई सन्देह नहीं है और जो बिलकुल निष्पक्ष होती है वहां तक जाने में वह रोक लगाते हैं और साथ ही यह चाहते हैं कि यह प्रवर समिति में न जाय और इसका फैसला यहीं पर बहुमत के बल पर हो जाय । यह बिलकुल अनुचित है ।

इस विधेयक में और भी बहुत सी बातें हैं कि जिन पर प्रवर समिति में जाने पर विचार हो सकता है और मेरा विचार है कि वहां जाने से इसमें बहुत कुछ घटाया बढ़ाया जा सकता है और यह भी मुमकिन हो सकता है कि इस से सरकार को भी लाभ हो और कर की वसूली और अधिक हो जाय और ७५ लाख से और अधिक आय उनको हो सके । फर्क इसमें यही है कि जिनको हम कर के मुक्त रखना चाहते हैं सरकार उन से भी कर लेना चाहती है और जिन पर हम कर लगाना चाहते हैं सरकार उनको मुक्त करना चाहती है । मैं समझता हूं कि प्रवर समिति में हमारे उनके विचारों का समन्वय ठीक तरह से हो सकेगा । श्री मुजफ्फर हसन साहब, जो पुराने समझदार राजनीतिज्ञ हैं, केसरी पांडेय जी के संशोधन पर विचार करके, २४ घंटे ही बैठ कर के सर्वसम्मति से बिल ले आयें तो वह शीघ्र ही पास हो जायगा और सारे प्रदेश में शान्ति का वातावरण स्थापित किया जा सकेगा ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---अध्यक्ष महोदय, हमारे संशोधन पर इधर के जिन साथियों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अक्षरशः सहमत हूं और फिर एक बार मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इसको सोचें और समझें और इस बिल को यदि वह प्रवर समिति में भेज सकें तो बहुत अच्छा होगा और उनको जन मानस का पूरा सहयोग प्राप्त हो सकेगा । यदि यह, सहयोग प्राप्त हुआ तो उनको तीसरी योजना को चलाने में, उसको सफलतापूर्वक पूरा करके में काफी सहायता मिलेगी और जनसाधारण भी आश्वस्त होगा ।

एक बात और कहना चाहता हूं मंत्री जी की मंशा सम्भवतः इस बिल को पेश करके केवल एक शुरूआत कर देने की बात है कर लगाने की । एक फीलर सा उन्होंने छोड़ दिया है । पहले मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन बिल पास करा लिया दूसरा इसे ले आये हैं एक साइकोलाजिकल वातावरण बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं जिससे किसानों पर जो कर लगने जा रहा है उसके लिये रास्ता प्रशस्त हो जाय । मेरी राय है कि अगर वह इस वातावरण को बनाना चाहते हैं तो भी जरूरी है कि यह विधेयक निश्चित रूप से प्रवर समिति में जाय, २४ घंटे के लिये ही जाय जहां शान्तिपूर्वक लोग समझदारी से विचार कर सकें । इसमें तीन बातें हैं, एक तो ५ से १५ परसेंट तक टैक्स बढ़ाने की बात है, दूसरी कुछ अधिकारियों को नियुक्त करने की बात और तीसरी

अपीलेंट कोर्ट की बात है। इन सब के बारे में शान्त वातावरण में प्रवर समिति में सोचा जा सकता है। इस विधेयक को हम सुन्दर रूप देकर आगे बढ़ा सकते हैं। यदि यह चीज सम्पन्न हो सकती तो निश्चित ही इस विधेयक के सर्वसम्मति से पास होने में कोई दिक्कत न होती।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२० अगस्त, १९६२।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८९ पर]

सूचना

सन्	पिछले शेष	साल में प्राप्त हुआ	कुल	साल में कितना प्रयोग में आया	कितना शेष रहा
	टन	टन	टन	टन	टन
१९५९ ..	३३५	६२२	९५७	४६१	४९६
१९६० ..	४९६	५३७	९३३	४००	५३३
१९६१ ..	५३३	१,०५२	१,५८५	४७९	१,१०६

विधान सभा प्रदेश उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९२ पर]

सूची १

अण्डरट्रायल बन्दी का नाम	आई० पी० सी० की दफायें जिसके आधीन बन्द है
१	२
१—भगौती ..	३९५/३९७
२—पारसनाथ चौबे	४५२/३२३
३—देवनाथ ..	६० इक्साइज ऐक्ट
४—नन्दलाल ..	३२४
५—खत्तूराम ..	३०४
६—श्रीमती सोना देवी	४१९/४२०
७—श्रीमती कुन्ती	२२४
८—रामनवलसिंह	१०७/११७
९—लहुरी ..	१०९
१०—असगर अली	१०८ रेलवे ऐक्ट
११—अंगनूराम ..	११३/१३२ रेलवे ऐक्ट
१२—नन्हतू ..	३९२
१३—रामजतन ..	३९२
१४—खरभान ..	३९२
१५—उमेशदत्त शर्मा	४०९/४६८/१२०
१६—रामबली ..	३९५/३९७
१७—अमरनाथ ..	१०९
१८—कुहैस ..	१०९
१९—देवनारायण ..	१०९
२०—यारमुहम्मद ..	३६८
२१—सदरुद्दीन ..	३६८
२२—जगन्नाथ ..	६० इक्साइज ऐक्ट
२३—रेखा ..	६० इक्साइज ऐक्ट
२४—प्यारे ..	३०४
२५—लालबहादुर (१)	४५७

अण्डरट्रायल बन्दी का नाम	आई० पी० सी० की दफायें जिसके अधीन बन्द है
१	२
२६—लालबहादुर (२)	६० इक्साइज ऐक्ट
२७—माताभीख ..	४५७
२८—सधई ..	३०४
२९—मंगरू ..	(१) ३७९ (२) ३७९ (३) ३७९ (४) ३७९
३०—निरंजन ..	१०९
३१—भगेलू ..	३०४
३२—अद्या ..	(१) ३९९/४०२ (२) १०९ (३) १९ आर्म्स ऐक्ट
३३—वरन ..	३०२
३४—लक्ष्मन ..	३०२
३५—प्रभू ..	३०२
३६—रामशिरोमणि ..	३०२
३७—हीरा ..	३०२
३८—जवाहिर ..	३०२
३९—जैराम ..	३९५/३९७
४०—घमण्डी ..	४११
४१—प्यारे (२) ..	१०९
४२—रामचन्दर ..	३७९
४३—लोटू ..	३९५/३९७
४४—गिरजा ..	३९५/३९७
४५—इनरू ..	३९५/३९७
४६—जैराम ..	३९५/३९७

अण्डरट्रायल बन्दी का नाम	आई० पी० सी० की दफायें जिसके आधीन बन्द हैं
१	२
४७—पुरुषोत्तम ..	९५/३९७
४८—शिवजौर ..	३९५/३९७
४९—रामनरेश ..	(१) ६० इक्साइज ऐक्ट (२) ४५७/५११/२२४
५०—रामलखन ..	(१) ३९५/३९७ (२) ३९५/३९७ (३) ३९४/३२३/३२४ (४) १९ आर्म्स ऐक्ट
५१—रामवरन ..	(१) ३९५/३९७ (२) ३९५/३९७ (३) ३९४/३२३/३२४
५२—सलीम ..	(१) ३९४/३२४/३२३ (२) ३९५/३९७ (३) ३९५/३९७
५३—इन्द्रापति ..	(१) ३९४/३२३/३२४ (२) ३९५/३९७ (३) ३९५/३९७
५४—जतन ..	(१) ३९५/३९७/३२४ (२) ३९५/३९७ (३) ४५७
५५—शरसिंह ..	१०८ रेलवे ऐक्ट

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९२ पर]

सूची २

श्री केशरी प्रसाद पांडेय द्वारा पूछे गये ७वें सोमवार के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या १४ के उत्तर में कही गई सूची।

जिला कारागार जौनपुर में निम्नलिखित उद्योग चल रहे हैं।

१—मूंज की चटाई बनाना,

२—दरी बुनना,

३—नेवार बुनना,

४—कुर्सियों की मरम्मत करना, तथा

५—हेम्प की चटाई बनाना।

उक्त उद्योगों पर वर्ष १९६१ में १२०५ रु० ७६ नये पैसे खर्च हुआ तथा इनसे ७६३ रुपय की आमदनी हुई।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २२–२४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९७ पर]

जिला	व्यक्ति या फर्म जिनके पास एक से अधिक भट्ठे हैं	स्थान जहाँ पर भट्ठे हैं	श्रेणी	मिलने वाले वैगनों की संख्या ५९–६०	६०–६१	६१–६२	इन वर्षों में कौन-कौन भट्ठे नहीं चले
१	२	३	४	५			६
१ बुलन्दशहर	(१) वैरी ब्रादर्स	(खुर्जा) डिबाई (बुलन्दशहर) चोला।	..	२८	१५	१२	चले
	(२) मोहनलाल काली चरन	शिकारपुर और सबदलपुर	..	१२	७	६	चले
	(३) नत्थूमल	(बराल और गुलावटी)	..	१३	६	५	चले
२ अलीगढ़	(१) विश्वम्भर प्रसाद श्रीराम	अतरोली (अतरोली)	क्रमशः	१८	८	६	चला
	(२) द्वारिका प्रसाद राधेश्याम	अलीगढ़ जी० टी० रोड अलीगढ़	अ/ब	१३	२	४	६१–६२ में कोयले की कमी से नहीं
		खैर रोड अलीगढ़	क्रमशः	१३	२	६	चला
			अ/ब	७	२	४	,,
	(३) किसन लाल ऐंड सन्स	अलीगढ़ (गोंरगाबाद)	क्रमशः	१०	८	७	चला
		हाथरस	अ/ब	१०	८	५	चला
	(४) टीका राम ऐंड सन्स	चन्दनिया अलीगढ़	क्रमशः	१८	६	६	चला
		रामघाट रोड अलीगढ़	अ/ब	२३	३	६	६१–६२ में कोयले की कमी के कारण नहीं चला।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	(५) धूर्मसिंह जिरोली	जम्मनपुर मल्लपुर	क्रमशः	२१	९	६	चला
			अ/व/व	१९	५	५	चला
	धूर्मसिंह अतरौली	कासिमपुर गिदौरा		१५	४	४	चला
	(६) श्री राम अरोड़ा	गाजीपुर त०	क्रमशः	१८	४	६	चला
	अतरौली।	अतरोली	अ/व	१८	४	४	चला
	(७) पिशावा उद्योग कार्यालय	चरवातल त० अतरोली. (पिसावा त० खैर)	क्रमशः	१३	२	४	६१–६२ में कोयले की कमी से नहीं चला
		चन्दौसी त० खैर	व–व	१०	६	४	,,
	(८) रामचन्दन गुप्ता ऐंड सन्स	हरिनगर अलीगढ़	व/अ	२५	४	५	चला
		महुवा त० इगलास	(अस्थाई)	१२	३	४	चला
३—बिजनौर	१—प्यारेलाल बलवन्त सिंह	चान्दपुर ..	अ	११	१०	६	चला
	२—प्यारेलाल बलवन्तसिंह	नूरपुर	अ	२	२	१३	चला
४—बदायूं	जिला सहकारी संघ	सहसवान आसफपुर पुसावा दातागंज, भटपुरी		४५	४६	७५	चले
५—फर्रुखाबाद	गजराज सिंह	मामापुर, कायमगंज	अ	..	..	..	
			अस्थायी	..	..	..	
			,,	..	..	..	
६—इटावा	रहीशउद्दीन	..	अ अस्थायी	२	२	..	
			स्थाई	२५	१६	१६	चले
७—इलाहाबाद	हुकुमचन्द ऐंड सन्स	सैनी	व	..	..	..	
		फाफामऊ	व	३	२४	३१	चले
		नैनी	अ	१३	..	..	
८—गोरखपुर	टेकूमल	गोरखपुर	अ	३०	१५	९	चला
	टेकूमल	सिसवा	व	११	३	९	१९६० में नहीं चला (कारण ईंट का स्टाक अधिक था)

विधान सभा

जिला	व्यक्ति या फर्म जिनके पास एक से अधिक भट्ठे हैं	स्थान जहाँ पर भट्ठे हैं	श्रेणी	मिलने वाले वैगनों की संख्या ५९–६०	६०–६१	६१–६२	इन वर्षों में कौन कौन भट्ठे नहीं चले
१	२	३	४	५			६
	बलीराम	खजनी	ब	१४	९	१०	चला
	बलीराम	गोरखपुर	अस्थाई	१५	११	३९	चला
	कृपालदास	गोरखपुर	'ब'	१५	२२	३३	चला
	कृपालदास	पिपराइच	अस्थायी	११	११	३६	चला
९—खीरी	उधवदास (२ भट्ठे)	..	..	३९	७	७	चले
	श्यामकिशोरलाल (२ भट्ठे)	..	..	३१	४	४	चले
१०—गोंडा	गुरुमुखलाल (२ भट्ठे)	..	बी	९	५	६	चला
			ए	१४	१०	११	चला
११—प्रतापगढ़	सुगनीचन्द (दरपाना मल) (२ भट्ठे)	..	..	२५	८	९	चले

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०६ पर)

पद	परिगणित एवं पिछड़ी जातियों के अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या	दलित वर्गीय एवं पिछड़ी जातियों की की संख्या	योग
(क) फारेस्ट गार्ड	१०	६	१६
(ख) कैटिल गार्ड	..	..	..
(ग) क्लर्क	१	..	१
(घ) चपरासी	१	..	१
(ङ) रेंजर	..	..	..

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०७ पर)

जनवरी, १९६२ से जून, १९६२ तक उत्तर प्रदेश में ढोये गये कोयले के मासिक आंकड़ों का विवरण

	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	योग
स्लैक कोक ..	१,८३३	१,१८६	१,९५८	१,८०७	१,५६६	२,२१८	१०,५६८
साफ्ट हार्ड कोक ..	६४०	९२५	८३१	८६५	८९९	७९१	४,९५१
एस० एस० आई० (स्माल स्केल इंडस्ट्रीज) ..	४१	२१	६२	७१	६५	८८	३४८
					योग		१५,८६७

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०८ पर)

श्री राम प्रसाद सेवक द्वारा की गई १० मांगें

(१) प्रत्येक सफाई कर्मचारी का सालाना तरक्की का एक रुपया तथा उसी के साथ पच्चीस प्रतिशत के हिसाब से महंगाई भत्ता जो तीन साल से नहीं दिया गया है, बढ़ाया जावे और ३ वर्ष का एरियर दिया जावे।

(२) प्रत्येक सफाई कर्मचारी को यू० पी० सरकार के आदेश सं० १७२९--जी/११--ए--११२०--६०, दिनांक १ दिसम्बर, १९६१ के आधार पर मजदूर श्रेणी में मान कर समस्त सुविधायें दी जायं।

(३) सफाई कर्मचारियों के बने क्वार्टर जो अभी तक ठीक तौर से नहीं बने हैं शीघ्र ठीक बनवा कर बिजली, पानी, टट्टियाँ, स्नान गृह आदि बनवाये तथा किराया वेतन का लिहाज रखते हुये लगाया जाये। प्रत्येक हरिजन बस्ती में बिजली पानी तथा पक्के खरंजे का शीघ्र प्रबन्ध किया जावे।

(४) प्रत्येक हरिजन बस्ती में पुस्तकालय तथा वाचनालय खोले जायं।

(५) सफाई कर्मचारियों का त्योहारों पर काम करने तथा अन्य छुट्टी के दिनों में काम करने का ओवरटाइम दिया जावे।

(६) गैर कानूनी तौर पर निकाले गये कर्मचारियों को पुनः वापस लिया जाय। साथ ही साथ जितने दिन हटाया है उसका वेतन दिया जाय।

(७) प्रत्येक कूड़ा व मैला गाड़ी वाले कर्मचारियों को १०५ रुपये भैंसा एलाउन्स दिया जावे। साथ ही गाड़ियों पर भी काम करने वालों को भी होल टाइम का कर्मचारी बना दिया जाय।

(८) सफाई कर्मचारियों के आपसी मामलात को शाँतिपूर्वक तय करने के लिये कन्सीलियेशन (Conciliation) कमेटी बनाई जाय। दो नुमाइन्दे सफाई कर्मचारियों के लिये जायं।

(९) सफाई कर्मचारियों को कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बनाई जाये ताकि सफाई कर्मचारी सूदखोरी के चुंगुल से छुटकारा पा सकें।

(१०) प्रत्येक दो सौ गज के फैसले पर प्राइवेट घरों में काम करने वाले सफाई कर्मचारयों को मैला व कूड़ा डालने का प्रबन्ध होना चाहिये।

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११२ पर)

क्रम-संख्या	लाइसेंसी का नाम	प्रोप्राइटर का नाम		जिस वर्ष से उनके पास लाइसेंस है
लोहा स्टाकिस्ट				
१	मेसर्स केदारनाथ सुन्दर लाल, बिन्दकी।	सर्वश्री केदार नाथ	..	१९४८
२	श्री बेनी माधव गुप्ता, फतेहपुर	श्री बेनी माधव गुप्ता	..	१९५३
कोल डिपो होल्डर्स				
१	मेसर्स भारत स्टोर्स, फतेहपुर ..	श्रीमती मामूना खातून	..	१९५४
२	,, शिव सागर मिश्र, खागा	सर्वश्री शिवसागर मिश्र	..	१९५९
३	,, रामगोपाल त्रिपाठी, बिन्दकी	श्री राम गोपाल	..	१९५४
सीमेंट स्टाकिस्ट				
१	मेसर्स राम जियावन परागी लाल, फतेहपुर	श्री परागीलाल राम दास		१९५२
२	,, बेनी माधव गुप्ता, फतेहपुर	श्री बेनी माधव गुप्ता	..	१९५९
३	,, फतेहपुर आयरन एंड हार्डवेयर ट्रेडिंग कम्पनी, फतेहपुर।	श्री गुरु प्रसाद गुप्ता	..	१९५९
४	,, राम शंकर राधेश्याम, फतेहपुर	राम शंकर राधेश्याम	..	१९६०
५	,, कृष्ण कुमार उपाध्याय, बिन्दकी	श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय	..	१९५२
६	,, अग्रवाल ब्रदर्स, फतेहपुर	श्री राम कृष्ण अग्रवाल	..	१९६०
७	,, अशफाक हुसैन, फतेहपुर	श्री अशफाक हुसैन	..	१९६०
८	,, परागीलाल राम किशुन, बिन्दकी।	परागीलाल राम किशुन	..	१९५१
९	,, रामनाथ रामशंकर, बिन्दकी	रामनाथ राम शंकर	..	१९५९
१०	,, श्री धन्नालाल गुप्त, बिन्दकी	श्री धन्ना लाल गुप्ता	..	१९५९
११	,, श्री राम लाल मुन्नी लाल, खागा।	राम लाल गुप्ता	..	१९५८
१२	,, रामदास गुप्ता, खागा	राम दास गुप्ता	..	१९५९
१३	मथवारी दीन गंगादीन, खागा	गंगादीन	..	१९५३
१४	शिव शंकर उमाशंकर, खागा	शिवशंकर बालकृष्ण	..	१९५९

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे ११५ पर)

SUBORDINATE FOREST (RANGERS', DEPUTY RANGERS' AND FORESTERS') SERVICE RULES, 1951

Rule 5—Source of Recruitment—

Recruitment to the Service shall be made from the following sources :

(*c*) *Foresters—*

(1) *By promotion of—*

(i) forest guards and other subordinates of long and meritorious service, and holding the Hindustani Middle Examination Certificates,

(ii) Younger forest guards and other subordinates holding High School Examination Certificate (or equivalent qualification).

NOTE—Not more than fifty percent of the total number of posts of foresters may be filled by promotion.

(2) *By direct appointment—*

of candidates who hold the High School Examination Certificate (or equivalent qualification).

Rule 7—Age ——————————

——————————

(2) The age of a candidate recruited to the Service..... shall be.....under rule 5(*c*) (2) not more than 23 years on January 1 of the year in which the recruitment is made :

Provided that exemption from maximum age limit may be granted by the Government in special cases where it is considered necessary in public interest or in the interest of fair dealing.

नत्थी 'ञ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११५ पर)

उन्नाव जिले के स्थायी भट्ठों की सूची

क्रम-संख्या	भट्ठा मालिक का नाम	भट्ठे का स्थान	श्रेणी
१	मेसर्स सोहन लाल चतुर्भुज अग्रवाल ..	उन्नाव ..	"ए"
२	,, चन्द्र माधव पाँडे ..	उन्नाव ..	"ए"
३	,, चेतू मल एडवानी ..	उन्नाव ..	"ए"
४	,, सेठ ईश्वरदास कंगूमल ..	उन्नाव (गलपवड़ा) ..	"बी"
५	,, बिहारी लाल पदम लाल ..	उन्नाव ..	"बी"
६	,, रत्न नारायन बाजपेयी ..	नवलगंज ..	"बी"
७	,, बाँके बिहारी लाल एंड सन्स ..	बांगरमऊ ..	"बी"
८	,, राधा कृष्ण तिवारी ..	सफीपुर ..	"बी"
९	,, छेदी लाल शुक्ला ..	हसनगंज ..	"बी"
१०	,, इकबाल शंकर दीक्षित ..	हसनगंज ..	"बी"

सहकारी समिति के भट्ठे की सूची

(१)	मेसर्स सहकारी संघ ..	.. उन्नाव
(२)	,, ,, ,, ..	.. सफीपुर
(३)	,, ,, ,, ..	.. मोहान
(४)	,, ,, ,, ..	.. नवाबगंज
(५)	,, ,, ,, ..	.. लुमेरपुर

अस्थायी भट्ठे की सूची

(१)	श्री लाल सिंह ..	.. दरिया खेरा
(२)	श्री अनन्त भाबी ..	.. देवगानो
(३)	श्री शिवा शंकर दीक्षित ..	.. भगवन्तनगर
(४)	श्री सिद्धेश्वर ठाकुर प्रसाद ..	.. पुरवा
(५)	श्री नन्हू मुगेरी ..	.. बांगरमऊ
(६)	श्री सुरेश बिहारी सेठ ..	.. मौरावां
(७)	श्री युगुलकिशोर सोनी ..	.. मौरावां
(८)	श्री मजीउद्दीन ..	.. उबरी

नत्थी 'ट'

(देखिये पीछे पृष्ठ १४५ पर)

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) विधेयक, १९६२

उत्तर प्रदेश राज्य में कतिपय वर्गों की लोकसेवा गाड़ियों में ले जाये जाने वाले यात्रियों पर कर लगाने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह धारा और धारा ३० तुरन्त प्रचलित होंगी और शेष उपबन्ध उस दिनांक से प्रचलित होंगे जो राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

परिभाषाएं

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में—

(क) "व्यवसाय" का तात्पर्य यात्री-गाड़ी द्वारा यात्रियों को ले जाने के व्यवसाय से है;

उ० प्र० अधिनियम संख्या २, १९५९।

(ख) "नगर" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ में यथापरिभाषित नगर से है;

(ग) "वाहन-समूह-स्वामी" का तात्पर्य ऐसे परिचालक से है जिसके पास एक सौ या उससे अधिक यात्री-गाड़ियों को चलाने के लिये अनुज्ञा-पत्र हो या जो इतनी यात्री-गाड़ियां चलाता हों;

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६

(घ) "नगरपालिका" का तात्पर्य यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ में यथापरिभाषित म्युनिसिपैलिटी से है;

(ङ) "परिचालक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका नाम यात्री-गाड़ी के अनुज्ञा-पत्र में उस गाड़ी के अनुज्ञा-पत्र-धारी के रूप में दर्ज हो और जब कोई ऐसा अनुज्ञा-पत्र न हो तो यात्री गाड़ी के स्वामी से है, और

(१) धारा १५ और १८ में, कोई ऐसा व्यक्ति तो तत्समय यात्री-गाड़ी का प्रभारी हो; तथा

(२) किसी राज्य परिवहन प्रतिष्ठान की यात्री-गाड़ी के सम्बन्ध में, राज्य सरकार द्वारा, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, प्रभारी अधिकारी के रूप में घोषित कोई व्यक्ति (और विभिन्न व्यक्तियों को इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के प्रयोजनों के लिए प्रभारी अधिकारी घोषित किया जा सकता है) भी इसके अन्तर्गत हैं;

(च) यात्री का तात्पर्य यात्री-गाड़ी में यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति से है किन्तु इसके अन्तर्गत उस यात्री-गाड़ी का परिचालक या ड्राइवर या कन्डक्टर या ऐसा कर्मचारी नहीं है जो उस यात्री-गाड़ी के सम्बन्ध में से अपने कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये यात्रा कर रहा हो;

(छ) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है;

(ज) "यात्री-गाड़ी" का तात्पर्य (ड्राइवर के अतिरिक्त) छः से अधिक यात्रियों को ले जाने वाली या ले जाने के लिये अनुकूलित ऐसी मोटर गाड़ी से है, जो पूरी यात्रा या उसके प्रक्रमों के लिये प्रत्येक यात्री द्वारा या उसकी ओर से दिया गया अलग किराया या पारितोषिक लेकर यात्रियों को ले जाती है, और जब कोई बस ठेका-गाड़ी के रूप में प्रयोग में लायी जाये तो वह भी इसके अन्तर्गत होगी किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी बस नहीं है जो केवल नगरपालिका या नगर के भीतर अथवा नगरपालिका या नगर को जाने वाले ऐसे मार्गों पर और ऐसे आसन्न क्षेत्रों में चलती हो, जिन्हें राज्य सरकार तदर्थ विज्ञापित करे;

(झ) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है;

(ञ) "कर" का तात्पर्य धारा ३ में उल्लिखित कर से है;

(ट) "कर अधिकारी" का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सम्पूर्ण राज्य अथवा उसके किसी क्षेत्र या किन्हीं क्षेत्रों के लिये कर अधिकारी नियुक्त करे और राज्य सरकार सम्पूर्ण राज्य या उसके किन्हीं भी क्षेत्रों के लिये एक से अधिक अधिकारियों को कर अधिकारियों के रूप में नियुक्त कर सकती है; और

ऐक्ट संख्या ४, १९३४

(ठ) शब्द और पद "ठेका-गाड़ी", "किराया", "मोटर गाड़ी" "बस", "अनुज्ञा-पत्र" और "राज्य परिवहन प्रतिष्ठान" के वही अर्थ होंगे जो मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ में "contract carriage", "fare", "motor vehicle", "omnibus", "permit" और "State Transport undertaking" के दिये गये हैं।

यात्री-गाड़ियों द्वारा ले जाये जाने वाले यात्रियों पर कर का लगाया जाना

३—(१) इस धारा के प्रचलित होने के दिनांक से और उसके पश्चात् यात्री गाड़ी द्वारा ले जाये जाने वाले प्रत्येक यात्री पर उस दर से कर लगाया जायेगा जो उस यात्री द्वारा यात्री-गाड़ी के परिचालक को देय किराये के पांच प्रतिशत के बराबर हो और उसका भुगतान राज्य सरकार को किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि कर की धनराशि की गणना आवश्यकतानुसार निकटतम नये पैसे में की जायेगी तथा आधे नये पैसे और उससे अधिक को पूरा नया पैसा गिना जायेगा और आधे नये पैसे से कम को छोड़ दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण—यदि यात्री-गाड़ी किसी यात्री को रियायती दर पर या बिना किराये के ले जाये, तो इस धारा के प्रयोजनार्थ यात्रा के लिये सामान्य रूप से देय किराया ही ऐसे यात्री द्वारा देय किराया समझा जायेगा।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, उस उपधारा के अधीन लगने वाले कर की दर बढ़ा सकती है, किन्तु इस प्रकार नहीं कि वह उक्त किराये के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो जाये।

कर से मुक्ति

४—राज्य सरकार, गजट में विज्ञापित आज्ञा द्वारा ऐसी शर्तों (यदि कोई हों) पर जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जायें, किसी अन्तर्राज्यिक मार्ग पर यात्री-गाड़ी में ले जाये जाने वाले अथवा किसी ऐसी यात्री-गाड़ी में, जो किसी शैक्षिक, चिकित्सीय, लोकोपकारी या इसी प्रकार के अन्य उद्देश्य की पूर्ति के लिये चलायी जाती हों, आने-जाने वाले यात्रियों को कर का भुगतान करने से पूर्णतः या अंशतः मुक्त कर सकती है।

कर की वसूली की रीति

५—कर यात्री-गाड़ी के परिचालक द्वारा वसूल किया जायेगा और उसका भुगतान राज्य सरकार को नियत रीति से किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार ऐसे कर की धनराशि के बदले में जो परिचालक द्वारा राज्य सरकार को देय हो, एक मुश्त धनराशि स्वीकार कर सकती है या स्वीकार करने के लिये सहमत हो सकती है।

विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना

६—(१) परिचालक प्रत्येक ऐसी गाड़ी के सम्बन्ध में, जो उसके अधिकार में हो, कर अधिकारी या नियत अधिकारी को, नियत प्रपत्र में और ऐसी रीति तथा कालान्तरों से जो नियत किये जायें, एक विवरणी प्रस्तुत करेगा या करायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये वाहन-समूह-स्वामियों के सम्बन्ध में अन्य परिचालकों से सम्बद्ध नियमों से भिन्न नियम नियत किये जा सकते हैं।

(२) यदि कोई परिचालक, समुचित कारण के बिना, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अनुमत समय के भीतर ही विवरणी प्रस्तुत न करे तो कर अधिकारी यह निदेश दे सकता है कि वह परिचालक अपने द्वारा देय कर की धनराशि के अतिरिक्त, प्रत्येक यात्री-गाड़ी के सम्बन्ध में, जब तक वह विवरणी प्रस्तुत न करे, तब तक के प्रत्येक ऐसे दिन के लिये शास्ति स्वरूप दस रुपये से अनधिक धनराशि दे।

कर का भुगतान प्रत्येक महीने सरकारी खजाने को किया जायेगा

७—धारा ६ के अधीन प्रस्तुत की गयी विवरणियों के अनुसार किसी महीने के लिये देय कर का भुगतान परिचालक द्वारा सरकारी खजाने को किया जायेगा और ऐसे भुगतान की रसीद कर-अधिकारी या नियत प्राधिकारी को सम्बद्ध महीने के ठीक बाद वाले महीने के १५वें दिन या उसके पूर्व भेजी जायेगी।

विवरणी न होने पर अथवा उसके अशुद्ध या अपूर्ण होने पर प्रक्रिया

८—(१) यदि किसी यात्री-गाड़ी के सम्बन्ध में परिचालक द्वारा किसी महीने या उसके भाग के लिये कोई विवरणी प्रस्तुत न की गयी हो अथवा यदि किसी यात्री-गाड़ी के सम्बन्ध में परिचालक द्वारा किसी महीने अथवा उसके भाग के लिये प्रस्तुत की गयी विवरणी कर अधिकारी को अशुद्ध या अपूर्ण प्रतीत हो तो वह अशुद्ध होने की दशा में परिचालक को अपना अभ्यावेदन (यदि कोई हो) देने का, और अपूर्ण होने की दशा में प्रस्तुत की गयी विवरणियों की शुद्धता और पूर्णता सिद्ध करने का, समुचित अवसर देने के पश्चात् वह धनराशि अवधारित करेगा जो परिचालक द्वारा राज्य सरकार को उक्त महीने या उसके भाग के लिये कर के रूप में देय हो:

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार अवधारित धनराशि किसी भी दशा में उस अधिकतम कर से अधिक न होगी, जो यात्री-गाड़ी के उस महीने या उस के भाग में बराबर पूरे यात्री ले जाने की दशा में सरकार को देय होता।

(२) उप-धारा (१) के अधीन अवधारित धनराशि या उसके शेष धनराशि, जैसी भी स्थिति हो, का भुगतान परिचालक द्वारा सरकारी खजान को

किया जायेगा और ऐसे भुगतान की रसीद कर अधिकारी या नियत प्राधिकारी को उक्त अवधारण के तीस दिन के भीतर भेज दी जायेगी।

किराये का कर निर्धारण से छूट जाना

९—यदि किसी महीने के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन लगाया जाने वाला कर किसी कारणवश निर्धारण से पूर्णतः या अंशतः छूट गया हो तो कर अधिकारी, उस महीने की समाप्ति के तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय परिचालक को नोटिस देने और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो उक्त अधिकारी आवश्यक समझे वह कर निर्धारित कर सकता है जो निर्धारण से छूट गया हो।

कर का भुगतान न करने पर शास्ति

१०—यदि पूर्वोक्त धाराओं के उपबन्धों के अनुसरण में किसी यात्री-गाड़ी के सम्बंध में किसी महीने या उसके भाग के लिये राज्य सरकार को देय सम्पूर्ण कर या उसके किसी भाग का भुगतान समय पर न किया जाये, तो कर अधिकारी स्वमति से इस प्रकार देय कर के अतिरिक्त शास्ति भी आरोपित कर सकता है जो उस अधिकतम कर के २५ प्रतिशत से अधिक न होगी जो यात्री-गाड़ी के उस महीने या उसके भाग में बराबर पूरे यात्री ले जाने की दशा में सरकार को देय होता।

कर या शास्ति के बकायों की वसूली

११—(१) इस अधिनियम के अधीन आरोपित किसी कर या शास्ति का बकाया मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा।

(२) कर उस यात्री-गाड़ी पर, जिसके सम्बन्ध में यह देय हो, और उसके पुर्जों पर भी, प्रथम भार होगा।

धनराशि का लौटाया जाना

१२—नियत प्राधिकारी, तदर्थ प्रार्थना करने वाले परिचालक को नियत रीति से ऐसी धनराशि लौटा देगा जो उस परिचालक ने इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा देय पायी गयी धनराशि के अतिरिक्त अदा की हो।

अपील

१३—(१) राज्य सरकार सम्पूर्ण राज्य के लिये एक अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करेगी।

(२) अपीलीय प्राधिकारी को अपील निम्नलिखित के विरुद्ध की जा सकेगी—

(क) धारा ६ की उपधारा (२) के अधीन शास्ति का भुगतान करने के लिये निदेश;

(ख) धारा ८ की उपधारा (१) के अधीन परिचालक द्वारा राज्य सरकार को देय धनराशि का अवधारण ;

(ग) धारा ९ के अधीन कर-निर्धारण; और

(घ) धारा १० के अधीन शास्ति का आरोपण।

प्रतिबंध यह है कि जब तक कि अपीलीय प्राधिकारी का यह समाधान न हो जाये कि निर्धारित कर की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है तब तक वह अपील ग्रहण नहीं करेगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि अपीलीय प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि परिचालक निर्धारित कर देने में असमर्थ है तो वह उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, ऐसे कर का भुगतान हुए बिना अपील ग्रहण कर सकता है।

(३) अपील उस आज्ञा के दिनांक से साठ दिन के भीतर की जायेगी जिसके विरुद्ध वह की जा रही हो:

प्रतिबन्ध यह है कि यह अवधि, उचित कारण प्रकट किये जाने पर, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा बढ़ायी जा सकती है।

(४) अपीलीय प्राधिकारी, अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी आज्ञा दे सकता है जो वह उचित समझे।

(५) इस धारा के अधीन अपील पर दी गयी प्रत्येक आज्ञा अन्तिम होगी।

रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र देना

१४—(१) प्रति यात्री-गाड़ी के लिये दो रूपये के हिसाब से शुल्क का भुगतान किये जाने पर रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र नियत रीति से किसी भी ऐसे परिचालक को दिया जायेगा जो उसके लिये नियत प्राधिकारी को प्रार्थना-पत्र दे।

(२) रजिस्ट्री का प्रत्येक प्रमाण-पत्र बिना नवीकरण के तब तक वैध होगा जब तक कि वह रद्द या निलम्बित न हो जाये।

ऐक्ट संख्या ४, १९३९

(३) रजिस्ट्री का कोई भी प्रमाण-पत्र उस यात्री-गाड़ी के सम्बन्ध में नहीं दिया जायेगा जो मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के अधीन रजिस्ट्रीकृत न हो और यदि उस ऐक्ट के अधीन रजिस्ट्री निलम्बित या रद्द कर दी जाये, तो उस यात्री-गाड़ी के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन दिया गया रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र भी, यथास्थिति, निलम्बित या रद्द समझा जायेगा।

(४) यदि परिचालक, जिसे उपधारा (१) के अधीन रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र दिया गया हो, अपना व्यवसाय हस्तान्तरित कर दे अथवा उसे समाप्त या बन्द कर दे तो वह उसकी सूचना, ऐसा करने के तीस दिन के भीतर, नियत प्राधिकारी को देगा और उक्त प्राधिकारी व्यवसाय के ऐसे हस्तान्तरण, समाप्ति या बन्द करने के दिनांक से रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र रद्द कर देगा।

(५) (क) परिचालक की मृत्यु हो जाने पर कोई व्यक्ति, जो उसका विधि प्रतिनिधि होने का दावा करे, परिचालक की मृत्यु होने के तीस दिन के भीतर इस तथ्य की सूचना नियत प्राधिकारी को देगा।

(ख) तदुपरान्त नियत प्राधिकारी प्रमाण-पत्र को प्रार्थी अथवा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के नाम में संक्रमित कर देगा जिसे परिचालक की मृत्यु होने के पश्चात् अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया गया हो।

(६) यदि परिचालक यात्री-गाड़ी हस्तान्तरित कर दे तो वह व्यक्ति जिसे वह गाड़ी हस्तान्तरित की गयी हो उस कर और शास्ति (यदि कोई हो) का, जिसका भुगतान हस्तान्तरणकर्ता ने हस्तान्तरण के दिन तक न किया हो, इस प्रकार भुगतान करेगा मानो वह व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत परिचालक हो और वह व्यक्ति अपने को रजिस्ट्रीकृत कराये बिना उस यात्री-गाड़ी को न चलायेगा।

रजिस्ट्री के बिना यात्री-गाड़ियों को चलाने का निषेध

१५—कोई भी परिचालक राज्य में यात्री-गाड़ी तब तक नहीं चलायेगा जब तक कि उसके पास उस गाड़ी के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र न हो या, रजिस्ट्री की कार्यवाही हो रही होने की दशा में, जब तक कि ऐसी रसीद न हो जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि गाड़ी के सम्बन्ध में रजिस्ट्री के प्रमाण-पत्र के लिये प्रार्थना-पत्र दे दिया गया है और उसके लिये शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

लेखे और रजिस्टर रखना

१६—प्रत्येक परिचालक यात्री-गाड़ियों के सम्बन्ध में तथा उसमें यात्रा करने वाले यात्रियों के सम्बन्ध में वसूल किये गये कर और किराये के नियत प्रपत्रों में लेखे और रजिस्टर रखेगा।

समय सारिणी और किराया-सारिणी देना

१७—(१) प्रत्येक परिचालक, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जो नियत की जाये, नियत प्राधिकारी को किराया-सारिणी तथा एक ऐसी सारिणी देगा जिसके द्वारा उसकी यात्री गाड़ियों के आने-जाने के समय विनियमित होते हों तथा व्यवसाय से सम्बद्ध ऐसे अन्य ब्यौरे भी देगा जिनकी नियत प्राधिकारी समय-समय पर आज्ञा द्वारा अपेक्षा करे।

(२) उपधारा (१) में उल्लिखित किराये, समय या ब्यौरों में यदि कोई भी परिवर्तन हो तो उसकी सूचना परिचालक द्वारा नियत प्राधिकारी को उस परिवर्तन के प्रभावी होने के तीस दिन के भीतर दी जायेगी।

कर दिये बिना यात्रा करने का निषेध

१८—इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन की गयी अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुए, यात्री-गाड़ी में न तो कोई यात्री, तब तक यात्रा करेगा और न परिचालक उसे उसमें यात्रा करने देगा जब तक कि उस यात्री को यात्रा के लिये नियत प्रपत्र में ऐसा टिकट जारी न कर दिया गया हो, जिसमें किराये और कर की धनराशियां पृथक-पृथक दिखायी गयी हों :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि यात्रा राज्य के बाहर से शुरू हो तो कर राज्य में प्रवेश करते ही देय हो जायेगा।

टिकट प्रस्तुत करना

१९—यात्री, यात्रा के दौरान में या उसके ठीक पूर्व या पश्चात् मांग की जाने पर, नियत प्राधिकारी को धारा १८ में उल्लिखित टिकट दिखायेगा।

प्रवेश करने, निरीक्षण करने और तलाशी लेने का अधिकार

२०—(१) यात्री-गाड़ी का ड्राइवर, नियत प्राधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर, गाड़ी को रोकेगा या रोके रखेगा ताकि नियत प्राधिकारी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन आरोपित किसी कर्तव्य का पालन कर सके, और उक्त प्राधिकारी ऐसा करने के लिये गाड़ी में प्रवेश और यात्रा भी कर सकता है।

(२) नियत प्राधिकारी कर-निर्धारण करने या इस बात की जांच करने के प्रयोजन से कि इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं, किसी ऐसे स्थान में जहां पर सामान्यतः परिचालक द्वारा गाड़ी खड़ी की जाती हो या जहां पर वह अपने व्यवसाय से सम्बद्ध लेखे रखता हो, प्रवेश कर सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है तथा ऐसे निरीक्षण या तलाशी के दौरान में किसी भी लेख्य पर प्रतिहस्ताक्षर कर सकता है।

ऐक्ट संख्या ५, १८९८

(३) उपधारा (२) के अधीन सभी तलाशियां कोड आफ क्रिमनल प्रोसीजर, १८९८ के उपबन्धों के अनुसार ली जायेंगी।

(४) उपधारा (१) में उल्लिखित प्राधिकारी को ऐसी वर्दी या ऐसे अन्य विशिष्ट चिन्ह धारण करना होगा जो नियत किया जाये।

साक्षियों को उपस्थित होने के लिये बाध्य करने आदि का अधिकार

२१—अपीलीय प्राधिकारी को, और इस अधिनियम के अधीन जांच या कर-निर्धारण करने वाले कर अधिकारी को भी, निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में ऐसी सभी शक्तियां, अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो किसी दीवानी वाद के अवसर पर दीवानी न्यायालय में निहित होते हैं :—

(क) साक्षियों को उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ दिलाकर, या प्रतिज्ञान कराकर अथवा अन्यथा उनका बयान लेना तथा साक्षियों के बयान लिये जाने के लिये कमीशन जारी करना या प्रार्थना करना;

(ख) किसी को कोई लेख्य प्रस्तुत करने के लिये बाध्य करना, और

(ग) अवमान के दोषी व्यक्तियों को दण्ड देना।

अपराध और दण्ड

२२—(१) यदि कोई व्यक्ति :—

(क) इस अधिनियम के अधीन देय किसी कर के भुगतान से कपट पूर्वक बचे या बचने दे, या

उत्तर प्रदेश मोटर-गाड़ी (यात्री-कर) विधेयक, १९६२ के सम्बन्ध में वित्तीय विवरण का ज्ञापन-पत्र

विधेयक के खंड २ के उपखंड (ट) में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सम्पूर्ण राज्य अथवा उसके किसी क्षेत्र या किन्हीं क्षेत्रों के लिये एक से अधिक "कर अधिकारी" नियुक्त करे और विधेयक के खंड १३ में राज्य सरकार को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करने के लिये प्राधिकृत किया गया है । प्रस्तावित विधेयक, जब वह अधिनियमित किया जायगा, के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये अपेक्षित कर्मचारिवर्ग की नियुक्ति में एक वर्ष में लगभग ३,५०,००० रु०, [२,८०,३०० रु० (आवर्तक) और ६९,७०० रु० (अनावर्तक)] व्यय होगा, किन्तु यह व्यय वित्तीय वर्ष १९६२–६३ में बहुत कम होगा क्योंकि अधिनियम वर्ष के उत्तरार्द्ध में प्रवृत्त हो सकेगा ।

मुजफ्फर हसन,
परिवहन मंत्री ।

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश मोटर-गाड़ी (यात्रा-कर) विधेयक, १९६२ के उन उपबन्धों के सम्बन्ध में ज्ञापन-पत्र जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान की प्रस्थापनायें अन्तर्ग्रस्त हैं

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) विधेयक, १९६२ में कुछ ऐसे उपबंध हैं जिनमें कुछ मात्रा में विधायन अधिकारों का प्रतिनिधान है । खंड ३० (१) में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह सामान्यत: विधेयक के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिये और विशेषतया खंड ३० के उपखंड (२) में दी गई कतिपय बातों के लिये नियम बनाये । ये नियम विधेयक में, जैसा कि वह विधान मंडल द्वारा अधिनियमित किया जाय, दिये गये उन शासी निदेशकों को समुचित रूप से ध्यान रखते हुये, उसमें उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति के निमित्त, बनाये जायेंगे । विधान मंडल को इन नियमों का परीक्षण और उनमें परिष्कार करने का अवसर प्राप्त होगा क्योंकि खंड ३० के उपखंड (३) में इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि ऐसे समस्त नियम विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष कुल चौदह दिन की अवधि के लिये रखे जायेंगे वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे जो विधान मंडल उनमें करना चाहे ।

उपर्युक्त खंडों के अतिरिक्त विधेयक के अन्य खंडों में भी प्रतिनिहित विधायन की प्रस्थापनायें हैं जिन्हें नीचे दिया गया है:

खंड २ (ज)—इस खंड में राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह अधिनियमित हो जाने के पश्चात् इस विधेयक के उपबंधों से, नगरपालिका या नगर से आसन्न क्षेत्रों और नगर अथवा नगरपालिका के बीच यात्रियों को ले जाने वाली यात्री गाड़ियों को मुक्त करने के लिये उक्त क्षेत्रों को विज्ञाप्ति करें ।

खंड ३ (२)—इस खंड में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह कर की दरों को उस धनराशि तक बढ़ाये जो किराये के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक न हो ।

खंड ५—इस खंड में राज्य सरकार को वह रीति नियत करने का अधिकार दिया गया है जिसके अनुसार यात्री गाड़ी के परिचालक द्वारा वसूल किये गये कर का भुगतान राज्य सरकार को किया जायेगा ।

खंड ६ (१)—इस खंड में राज्य सरकार को यह अधिकर दिया गया है कि वह उन नियमों द्वारा उन प्रपत्रों और उस रीति को नियत करे जिनके अनुसार विवरणी कर अधिकारी या नियत प्राधिकारी को, यात्री गाड़ी के परिचालक द्वारा, ऐसे कालान्तरों से, जो ऐसे नियमों में नियत किये, प्रस्तुत की जाय ।

खंड १२—इस खंड में राज्य सरकार के वह रीति नियत करने का, अधिकार दिया गया है जिसके अनुसार नियत प्राधिकारी तदर्थ प्रार्थना करने वाले परिचालक को ऐसी कोई भी धनराशि लौटा सकता है जो उक्त परिचालक द्वारा देय पायी गई धनराशि से अधिक अदा की गई हो ।

खंड १४—इस खंड में राज्य सरकार की वह रीति नियत करने का अधिकार दिया गया है जिसके अनुसार, प्रति यात्री-गाड़ी के लिये २ रु० के हिसाब से शुल्क का भुगतान करने पर रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र किसी भी परिचालक को, जो उसके लिये प्रार्थना-पत्र दे, दिया जायेगा ।

खंड १६—इस खंड में राज्य सरकार को वे प्रपत्र नियत करने का अधिकार दिया गया है जिनमें परिचालक यात्री गाड़ियों, तथा उनमें यात्रा करने वाले यात्रियों, के सबंध में वसूल किये गये कर और किराये के लेखे और रजिस्टर रखेगा ।

खंड १७ (१)—इस खंड में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसा समय नियत करे जिसके भीतर और ऐसी रीति नियत करे जिसके अनुसार कोई परिचालक नियत प्राधिकारी को किराया सारणी तथा एक ऐसी सारणी देगा जिसके द्वारा उसकी यात्री

गाड़ियों के आने-जाने के समय विनियमित होते हों तथा व्यवसाय से सम्बद्ध ऐसे अन्य ब्यौरे भी देगा जिनको नियत प्राधिकारी समय-समय पर आज्ञा द्वारा अपेक्षा करे ।

खंड १८—इस खंड में राज्य सरकार को यात्री-गाड़ी में यात्रा करने के लिये टिकट का प्रपत्र नियत करने का अधिकार दिया गया है ।

खंड २० (४)—इस खंड में राज्य सरकार को ऐसी वर्दी या ऐसा अन्य विशिष्ट चिन्ह नियत करने का अधिकार दिया गया है जो नियत प्राधिकारी द्वारा धारण किया जायेगा ।

प्रतिनिहित विधायन की ये सभी प्रस्थापनायें सामान्य प्रकार की हैं ।

मुजफ्फर हसन,
परिवहन मंत्री ।

———

उत्तर प्रदेश सचिवालय

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१३० एस० ए०—१९६२—८४५ ।